सत्यमेव जयते

सोमवार,
७ दिसंबर, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

पांचवा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation

भाग १—प्रश्न और उत्तर

संसदीय वाद विवाद

(भाग १—प्रश्न और उत्तर)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

सोमवार, ७ दिसम्बर १९५३

सदन की बैठक डेढ़ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सूती कपड़े का निर्यात

*६६४. **श्री एस० एन० दास**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री, २८ मार्च १९५३ के तारांकित प्रश्न संख्या १०५० के सम्बन्ध में पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों के दिये गये उत्तरों की ओर निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे कि माननीय मंत्री ने जो एक सौ करोड़ गज़ सूती कपड़े के निर्यात का लक्ष्य बताया था उस के इस वर्ष पूरा हो जाने की कहां तक आशा की जाती है?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): इस वर्ष अक्तूबर के अन्त तक ५५ करोड़ ५० लाख गज़ कपड़े का कुल निर्यात हो चुका है। पूरे साल के आंकड़े क्या होंगे इस के सम्बन्ध में तो केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है।

श्री एस० एन० दास: मैं जान सकता हूं कि क्या व्यापारियों ने विदेशी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के तरीकों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा दिये गये आदेशों का पालन किया है और यदि किया है तो किस सीमा तक?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: इस सम्बन्ध में सरकार के सारे प्रस्ताव अभी पूरे किये जा रहे हैं।

श्री एस० एन० दास: मैं जान सकता हूं सूती कपड़ों के गुण प्रकार पर नियंत्रण करने के लिये एक संस्थान बनाने का जो प्रस्ताव था उसके सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: निर्यात किये जाने वाले कपड़े के गुण प्रकार पर नियंत्रण लागू करने का प्रश्न भी विचाराधीन है।

श्री एस० एन० दास: मैं जान सकता कि क्या कपड़ा निर्यात प्रोत्साहन समिति ने जो हाल ही में नियुक्त की गई है, कोई सुझाव दिये हैं?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: हमने निर्यात प्रोत्साहन समिति अभी तक नहीं स्थापित की है। एक ऐसी समिति स्थापित करने का हम विचार कर रहे हैं।

श्री राघवाचारी: मैं जान सकता हूं कि उसमें कितना भाग खड्डी वाले कपड़े का है?—मेरा तात्पर्य निर्यात से है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: बहुत मोटे ढंग से लगभग दस प्रतिशत।

सामुदायिक परियोजनायें (दिल्ली राज्य)

*६४५. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उद्घाटन के पश्चात् एक वर्ष में दिल्ली राज्य की सामुदायिक परियोजनाओं पर कुल कितना रुपया खर्च किया गया है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : ५१,५१६ रुपया ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या कारण था कि जब एक वर्ष के लिये सात लाख रुपया स्वीकृत किया गया था फिर भी कुछ हज़ार रुपये ही खर्च किये गये ?

श्री हाथी : स्वीकृत धन राशि सात लाख रुपया नहीं थी । तीन वर्ष के लिये स्वीकृत कुल धन राशि सत्तरह लाख रुपया थी ।

सरदार हुक्म सिंह : मैं तो उस सात लाख रुपये की बात कर रहा हूं जो पहले वर्ष के लिये जो कि अब लगभग बीत चुका है स्वीकृत किये गये थे । इस में से केवल कुछ हज़ार रुपये खर्च हुए हैं । मैं इसका कारण जानना चाहता हूं ।

श्री हाथी : इस परियोजना के सम्बन्ध में मुख्य कठिनाई यह थी कि आयव्ययक की स्वीकृति में विलम्ब हो गया । अफ़सर नियुक्त नहीं किया गया । अनेक प्रारम्भिक कठिनाइयां और भी थीं । ग्राम-कार्यकर्ता उपलब्ध नहीं थे । यह एक ऐसी परियोजना थी जो अच्छी तरह से चल नहीं सकी । सदन को याद होगा कि पिछले सत्र के समय बताया गया था कि दस प्रतिशत ऐसी परियोजनायें हैं जो अच्छी तरह से चल नहीं रही हैं । यह भी उन्हीं में से एक है । बाद में इस की स्थिति सुधर गई और अब यह अच्छी तरह से चल रही है ।

सरदार हुक्म सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या जिन कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण के लिये नीलोखेड़ी भेजा गया था उन्होंने कार्य करना आरम्भ कर दिया है ?

श्री हाथी : उन्होंने इसी वर्ष सितम्बर में कार्य करना आरम्भ कर दिया है ।

आल इंडिया रेडियो कार्यक्रम परामर्शदात्री समिति

*६४६. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आल इंडिया रेडियो के दिल्ली केन्द्र की कार्यक्रम परामर्शदात्री समिति के सदस्यों को चुनने में नियुक्तक अधिकारियों ने किन बातों पर ध्यान दिया है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : सदस्यों को उनकी प्रसारण सम्बन्धी रुचि के कारण तथा इस केन्द्र से प्रसारित किये जाने वाले अनेक प्रकार के कार्यक्रमों में सुधार सम्बन्धी लाभदायक सुझाव देने की क्षमता रखने के कारण चुना जाता है ।

सरदार हुक्म सिंह : मैं जान सकता हूं कि जब यह चुनाव किया जाता है तो क्या भाषाओं तथा बोलियों को भी किसी प्रकार का प्रतिनिधित्व दिया जाता है ?

डा० केसकर : जी नहीं, श्रीमान् । जैसा कि मैं निवेदन कर चुका हूं यह चुनाव कार्यक्रमों में सुधार करने के सुझावों की उपयोगिता पर निर्भर करता है । यह ऐसी समिति नहीं है जिस में कोई जातीय प्रतिनिधित्व दिया गया हो अथवा भाषाओं, बोलियों या प्रदेशों के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाता है ।

सरदार हुक्म सिंह : मैं जान सकता हूं कि सन् १९५३ में कितने अवसरों पर आल इंडिया रेडियो ने उनके परामर्श को अस्वीकार किया ?

डा० केसकर : मेरे माननीय मित्र के दिमाग में इस परामर्शदात्री समिति के

उद्देश्य तथा कार्यों के सम्बन्ध में एक प्रकार का भ्रम है। वर्ष में एक दो या तीन बार इस समिति की बैठक होती है कार्यक्रमों की जो अनुसूची उनके सामने रखी जाती है उसमें वे या तो कुछ परिवर्तन करते हैं या सुझाव देते हैं। वह स्थायी रूप से कार्य नहीं करती है तथा ऐसा कोई अवसर नहीं आता है कि सदस्य जो सुझाव चाहें देते रहें और उन सुझावों को स्वीकार करना पड़े।

श्री मुनिस्वामी: मैं जान सकता हूं कि क्या राज्यों के सरकारी अफ़सर भी इस परामर्शदात्री समिति के सदस्य हो सकते हैं ?

डा० केसकर: वे पूर्ण रूप से सदस्य नहीं हो सकते हैं परन्तु कभी कभी ग्रामीण परामर्शदात्री समितियों में कुछ सरकारी अधिकारियों को भी भाग लेने का अवसर दिया जाता है परन्तु इस कार्यक्रम परामर्शदात्री समिति में एक भी सरकारी अधिकारी नहीं है।

श्रीमती ए० काले: क्या मैं इस समिति के सदस्यों के नाम तथा वह अवधि जिस के लिये उनकी नियुक्ति की गई है जान सकती हूं ?

डा० केसकर: इस के लिये मुझे सूचना की आवश्यकता है क्योंकि उनकी संख्या तीस है।

बच्चों के लिये फिल्में

*६४७. **डा० राम सुभग सिंह:** क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार बच्चों के लिये विशेष फिल्में बनाने का विचार करती है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): जी हां, श्रीमान्। प्रयोगात्मक प्रयास के रूप में बच्चों के लिये दो पूरी लम्बाई वाली फिल्में बनाने का विचार है। लगभग आधे दर्जन प्रलेखीय फिल्मों को बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये उनके अनुकूल बनाने का विचार है।

डा० राम सुभग सिंह: क्या किण्डर गार्टेन के स्तर से ऐसी फिल्में बनाने का प्रयत्न किया गया है जो बच्चों की आवश्यकताओं के लिये उपयोगी सिद्ध हों ?

डा० केसकर: यह तो केवल एक प्रस्ताव है। फिल्म निर्माण करते समय इन सब बातों को ध्यान में रखा जायेगा।

डा० राम सुभग सिंह: क्या सरकार बच्चों के लिये बनाई जाने वाली फिल्मों को मनोरंजन कर से मुक्त करने का विचार करती है ?

अध्यक्ष महोदय: मेरा विचार है कि मनोरंजन कर एक राज्य विषय है।

सेठ गोविन्द दास: बच्चों के यह जो फिल्म बनेंगे यह किन किन भाषाओं में बनेंगे ?

डा० केसकर: इस पर अभी कोई निश्चय नहीं हुआ है, लेकिन अधिक से अधिक भाषाओं में बनाने का प्रयत्न किया जायगा।

सरदार ए० एस० सहगल: क्या किसी निर्माता कम्पनी ने बच्चों के लिये विशेष फिल्में बनाने का प्रस्ताव रखा है ?

डा० केसकर: किसी कम्पनी द्वारा कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं रखा गया है। बंगाल के एक निर्माता ने बच्चों के लिये एक फिल्म बनाई है। हमारे ध्यान में अभी यही एक उदाहरण आया है।

काश्मीर इम्पोरियम

*६४८. **श्री वी० पी० नायर:** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पृथ्वी राज रोड, नई दिल्ली पर स्थित काश्मीर इम्पोरियम की व्यापार सम्बन्धी गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिये दिल्ली की एक संस्था

को पांच लाख रुपये की पेशगी धन राशि दी गई है ?

(ख) इस संस्था की प्रबन्ध समिति के सदस्य कौन कौन हैं ?

(ग) क्या इस संस्था द्वारा किये गये किसी अभ्यावेदन के फलस्वरूप इस पेशगी धन राशि को दिया गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग). यह प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होते हैं ।

प्रवासियों को पारपत्र

*६४९. **श्री वी० पी० नायर :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत के प्रवासियों को जारी किये जाने वाले पारपत्रों के सम्बन्ध में प्रधान आयुक्त कार्यालय दिल्ली द्वारा की गई कुछ कथित अशुद्ध कार्यवाहियों के सम्बन्ध में विशेष पुलिस व्यवस्था द्वारा कोई जांच की गई है ?

(ख) यदि हां, तो क्या वह जांच समाप्त हो चुकी है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खान) : (क) तथा (ख). दिल्ली राज्य सरकार के पारपत्र विभाग के कार्यकरण के सम्बन्ध में लगाये गये कुछ कथित आरोपों की ओर भारत सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया था तथा विशेष पुलिस व्यवस्था से उसकी जांच करने को कहा गया था । यथासमय उसने बताया कि इन आरोपों को प्रमाणित करने वाले कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं मिले थे इस लिये इस सम्बन्ध में कोई कानूनी कार्यवाही करना संभव नहीं था ।

श्री वी० पी० नायर : मैं जान सकता हूं कि प्रधान आयुक्त दिल्ली के दफ़तर से जारी होने वाले जाली पारपत्रों के सम्बन्ध में तथा पारपत्रों सम्बन्धी धांधलेबाज़ी के सम्बन्ध में, हिन्दुस्तान टाइम्स, टाइम्स आफ़ इन्डिया, ईवनिंग न्यूज़, प्रताप तथा अन्य पत्रों में प्रकाशित होने वाले अनेक समाचारों की ओर क्या सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है ?

श्री सादत अली खान : उनका इस व्यक्ति से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार को ज्ञात है कि पंजाब सरकार की शिकायत पर केन्द्रीय गुप्तचर विभाग ने पालम में एक विमान को रोक कर इस मामले की जांच की थी तथा उसके पश्चात जांच करने वाले एस० पी० ने इस मामले की अग्रेतर जांच करने के लिय केन्द्रीय सरकार से आज्ञा मांगी थी ?

श्री सादत अली खान : मेरे पास इस की कोई सूचना नहीं है ।

श्री वी० पी० नायर : मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य नहीं है कि दिल्ली के प्रधान आयुक्त ने इस कार्यवाही को समाप्त कर देने के लिये अपने निजी प्रभाव का प्रयोग किया था ?

श्री सादत अली खान : जी नहीं, श्रीमान् । यह सत्य नहीं है ।

श्री पुन्नूस : यह कहा गया था कि सरकार को कुछ शिकायतें मिली थीं । मैं जान सकता हूं कि वह शिकायतें क्या थी ?

श्री सादत अली खान : इस व्यक्ति विशेष के विरुद्ध शिकायत थी परन्तु उसे प्रमाणित नहीं किया जा सका । अतः इस मामले को खतम कर दिया गया ।

श्री वी० पी० नायर : इसी प्रकार का प्रश्न जब पिछली बार पूछा गया था तो प्रधान मंत्री ने स्वयं कहा था कि ऐसी शिकायतों का उन्हें कोई ज्ञान नहीं था। इसी लिये यह प्रश्न पूछा गया है । इस लिये मुझे एक प्रश्न और करने की आज्ञा दी जाये।

क्या यह तथ्य नहीं है कि इस सम्बन्ध में पंजाब पुलिस द्वारा, वैदेशिक कार्य मंत्रालय के कुछ अधिकारियों से पूछ ताछ की गई थी ? मैं उन अफसरों के नाम बता सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : इस मामले विशेष की जांच का प्रतिवेदन मेरे पास है । इस में कोई संदेह नहीं है कि जांच के सिलसिले में हमारे कुछ अधिकारियों से भी पूछ ताछ की गई थी । मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय सदस्य का आशय क्या है । पारपत्रों के जारी करने के सम्बन्ध में अन्तिम उत्तरदायित्व वैदेशिक कार्य मंत्रालय का होता है, इस लिये पारपत्र सम्बन्धी सभी बातों के सम्बन्ध में उस से परामर्श लिया जाता है, इसी लिये जांच के समय कुछ अफ़सरों से पूछ ताछ की गई थी ।

श्री वी० पी० नायर : मैं जानना चाहता हूं कि . . . .

अध्यक्ष महोदय : मेरा सुझाव यह है कि यदि वे व्यक्तिगत अफ़सरों के नामों के सम्बन्ध में कोई बात पूछना चाहते हों तो वे अलग से पूछ सकते हैं ।

श्री वी० पी० नायर : मैं यह जानना चाहता था कि क्या पंजाब सरकार के कहने पर भारत सरकार ने इस मामले की जांच कराई थी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं कह नहीं सकता हूं ।

नासिक में खादी विद्यालय

*६५०. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने जन साधारण को कातने की कला में प्रशिक्षण देने के लिये खादी पर्षद् द्वारा नासिक में एक विद्यालय (इंस्टीट्यूशन) खोले जाने की योजना की परीक्षा की है ; तथा

(ख) अन्तर्निहित कुल लागत ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) १,४४,६२० रुपये ।

श्री एस० एन० मिश्र : मैं जान सकता हूं श्रीमान्, कि इस विद्यालय की प्रशिक्षण क्षमता कितनी होगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : लगभग दो सौ ।

श्री एस० एन० मिश्र : मैं जान सकता हूं कि सरकार इस प्रकार के विद्यालय को किस रूप में आवश्यक समझती है तथा खादी के विकास में यह कहां तक लाभदायक होगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : पर्षद् द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया था कि जनता को कातने का प्रशिक्षण देने तथा उत्पादन में वृद्धि करने का सुनिश्चय करने के लिये दौरा करने वाले प्रशिक्षकों तथा योग्य कार्यकर्ताओं की अत्यन्त आवश्यकता है उसी सिफारिश के आधार पर इस व्यय की अनुमति दी गई थी ।

श्री एस० एन० मिश्र : स्थान निर्धारण के सम्बन्ध में क्या सरकार ने यह निश्चय कर लिया है कि वह नासिक ही में अथवा किसी अन्य स्थान पर ही हो ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, अभी तो यही विचार है यह विशेष योजना नासिक में विद्यालय के स्थापित किये जाने पर ही आधारित है ।

हथकरघा उद्योग

*६५४. **श्री के० पी० सिन्हा :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि हथकरघा उद्योग को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उद्योग के पास बहुत सा तैयार सामान पड़ा हुआ है ?

(ख) क्या सरकार को अखिल भारतीय हथकरघा पर्षद् द्वारा जिसकी बैठक पिछले अगस्त माह में हुई थी, की गई कोई सिफारिशें प्राप्त हुई हैं ?

(ग) यदि ऐसा है, तो उसका क्या परिणाम हुआ है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) सरकार को ज्ञात है कि हथकरघा उद्योग को समय समय पर स्टाक के एकत्रित हो जाने से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ।

(ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५३]**

श्री के० पी० सिन्हा : क्या मैं जान सकता हूं, श्रीमान् कि सरकार देश के बाजार का पुनरुत्थान करने तथा विदेशी बाजार का विस्तार करने के लिये क्या कार्यवाहियां कर ही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह ऐसा मामला है जिसका निबटारा अखिल भारतीय हथकरघा पर्षद् द्वारा किया जा रहा है । विवरण म पर्षद् का प्रस्ताव तथा सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दी हुई है ।

श्री के० पी० सिन्हा : मैं जान सकता हूं, श्रीमान् कि क्या हथकरघा उद्योग की योजनायें सामुदायिक परियोजना क्षेत्रों में भी लागू कर दी गई हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे खेद है कि मुझे पूर्व सूचना अपेक्षित होगी ।

केन्द्रीय कुटीर उद्योगों की प्रयोगात्मक इकाई

*६५५. { **चौ० रघुवीर सिंह :** **श्री स्नातक :** }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हरदुआ गंज (अलीगढ़) में केन्द्रीय सूती उद्योगों की प्रयोगात्मक इकाई की मशीनें व उपकरण तथा जिस भवन में वह केन्द्र स्थित था उसे सरकार ने बेच दिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : पूर्णतया नहीं । हरदुआ गंज में ४०,००० रुपये के पुस्तक-मूल्य की कुछ मशीनें अभी भी बिना बिकी पड़ी हुई हैं ।

चौ० रघुवीर सिंह : क्या मैं विलम्ब का कारण जान सकता हूं ?

श्री करमरकर : हमने सरकारों तथा निजी संस्थाओं को एक प्रस्ताव भेजा था किन्तु उन्होंने क्रय करने के सम्बन्ध में कोई अग्रेतर कार्यवाही नहीं की । अतः इतना बिलम्ब हुआ है ।

वायदा बाजार आयोग

*६५६. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या वायदा बाजार आयोग ने अब कार्य करना आरम्भ कर दिया है; तथा

(ख) क्या वायदा कन्ट्रैक्ट (विनियमन) अधिनियम, १९५२ के अन्तर्गत आयोग के कर्मचारियों की नियुक्ति हो चुकी है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). जी हां, श्रीमान् ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि आयोग के कितने सदस्यों की नियुक्ति की जा चुकी है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : अब तक केवल दो सदस्यों को नियुक्त किया गया है ।

इन्डोनेशिया

*६५७. **श्री पुन्नूस** :(क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि जम्बी, इण्डोनेशिया में सन् १९४८ में डच छतरी सैनिकों द्वारा तीन भारतीय नागरिकों को गोली से मार दिया गया था ?

(ख) क्या यह तथ्य है कि भारत सरकार के कहने पर, नीदर लैंड की सरकार ने मृतकों में से एक श्री इब्राहीम हाजी के भारत में रहने वाले बंशजों तथा उत्तराधिकारियों को क्षतिपूर्ति देना स्वीकार किया था ?

(ग) यदि ऐसा है, तो नीदर लैण्ड सरकार ने कितनी धन राशि की क्षतिपूर्ति देना स्वीकार किया है तथा क्या इस रकम का भुगतान श्री इब्राहीम हाजी की पत्नी तथा पुत्रियों को कर दिया गया है ?

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) जी हां ।

(ख) नीदर लैण्ड सरकार ने कोल्लन तारामल इब्राहीम हाजी की विधवा पत्नी तथा पुत्रियों को क्षतिपूर्ति देना स्वीकृत कर लिया है ।

(ग) इस विषय सम्बन्धी एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५४]**

(घ) उपर्युक्त (ग) भाग को देखते हुये यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री पुन्नूस : इण्डोनेशिया की सरकार ने भुगतान इण्डोनेशिया के रुपयों की विनिमय दर पर करने की स्वीकृति दी थी, यह भारतीय रुपये के १ रु० ४ आने के बराबर होता है, किन्तु भुगतान वास्तव में इण्डोनेशिया के रुपये की नवीन विनिमय दर पर किया गया है जिसके अनुसार इण्डोनेशिया के तीन रुपये भारत के १ रु० ४ आने के बराबर होते हैं । क्या मैं इंगित कर सकता हूं कि यह अनुचित है तथा मृतक के परिवार को हानि पहुंचाता है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं वास्तव में इसकी सराहना करता हूं ; हम पूर्व विनिमय दर पर भुगतान करने के लिये जोर देते रहे हैं ।

भारतीय उत्प्रवासन अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तारियां

*६५८. **श्री मुनिस्वामी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि सितम्बर १९५३ में भारतीय उत्प्रवासन अधिनियम के अन्तर्गत मद्रास राज्य के तटीय जिलों में अनेक व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे ;

(ख) यदि ऐसा है, तो किये गये अपराध किस प्रकार के थे ; तथा

(ग) क्या ऐसे अपराध अब बिलकुल ही दबा दिये गये हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी हां, श्रीमान् । गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या ३०६ थी ।

(ख) गिरफ्तार किये गये व्यक्ति भारतीय उत्प्रवासन अधिनियम की धारा ३० (क) के विरुद्ध लंका को अनुचित रूप से या तो उत्प्रवासन कर रहे थे अथवा उत्प्रवासन में अन्य लोगों की सहायता कर रहे थे ;

(ग) ऐसे अपराधों को रोकने के लिये सभी सम्भव उपाय किये जा रहे हैं तथा उनकी संख्या काफी कम हो गई है किन्तु अभी तक उनको पूर्णरूप से बन्द नहीं किया जा सका है ।

श्री मुनिस्वामी : मैं जान सकता हूं श्रीमान्, कि क्या यह तथ्य है कि इन अपराधों के लिये लंका के मजदूरों के मालिक तथा उनके एजेन्ट उत्तरदायी हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : वे सम्भवतः इसको प्रोत्साहन देते हैं । मैं इसके सम्बन्ध में कोई तथ्य नहीं बता सकता हूं ।

श्री मुनिस्वामी : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया है कि कुछ भारतीय जो लंका के स्थायी निवासी हैं इस बहाने गिरफ्तार कर लिये गये हैं कि वे अनुचित रूप से प्रवास कर गये हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह एक ऐसा मामला है जो प्रश्नोत्तर के रूप में कई बार सदन में प्रस्तुत किया जा चुका है । यह मामला भारत सरकार ने ले लिया है तथा इस विषय पर लंका की सरकार से बहुत अधिक पत्र व्यवहार हो चुका है ।

योजना आयोग परामर्शदात्री पर्षद्

***६५९. श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या योजना आयोग परामर्शदात्री पर्षद् अब भी चल रहा है ;

(ख) वह विशिष्ट परामर्श दात्री कार्य जिनके लिये इसको नियुक्त किया गया था ; तथा

(ग) इसकी नियुक्ति से अब तक प्रति वर्ष कितनी बैठकें हुई हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) परामर्शदात्री पर्षद् योजना आयोग को सामान्यतः योजना के निर्माण से सम्बन्धित नीति के मुख्य मामलों पर परामर्श देता है ।

(ग) परामर्शदात्री पर्षद् की बैठक सन् १९५० से १९५२ तक वर्ष में एक बार हुई है ।

श्री एस० एन० मिश्र : क्या मैं जान सकता हूं, श्रीमान्, कि जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया था कि पर्षद् की नियुक्ति योजना बनाने के लिये हुई थी, क्या योजना को कार्यान्वित करने में भी उसे उचित परामर्शदात्री निकाय समझा गया है ?

श्री हाथी : प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में मैंने कहा था कि योजना बनाने की प्रारम्भिक अवस्था में सन् १९५०, १९५१ तथा १९५२ में वर्ष में एक बार ही बैठक हुई थी । आयोग का प्रतिवेदन दिसम्बर १९५२ में प्रस्तुत किया गया था । यह सामान्य नीति तथा बड़े सिद्धान्तों पर परामर्श देता है ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : क्या मैं बीच में बोल सकता हूं, श्रीमान् ? यह कार्यान्विति के लिये उपयुक्त पर्षद् नहीं है ।

श्री एस० एन० मिश्र : तो यह कहने का क्या तात्पर्य है कि पर्षद् अभी चल रहा है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : क्योंकि योजना की क्रियाकरण अब भी चालू है ।

श्री एस० एन० मिश्र : तो क्या हम यह जान सकते हैं कि क्या यह दूसरी पंच-वर्षीय योजना तक , उसके बनाने के लिये, चलता रहेगा ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : कोई न कोई पर्षद् तो कार्य करेगा ही --यही अथवा कोई अन्य विस्तृत पर्षद् । निस्सन्देह इस मामले में अन्य पर्षदों से परामर्श लेने की ओर अत्यधिक ध्यान दिया जायेगा ।

श्री एस० एन० मिश्र : तो क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आरम्भ तक यह पर्षद् निष्क्रिय समझा जाये ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी नहीं, श्रीमान्, यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रश्न नहीं है । अभी वर्तमान पंचवर्षीय योजना में ही हर समय संशोधन किये जा रहे हैं ।

श्री एस० एन० मिश्र : किन्तु श्रीमान्, इस योजना पर पुनर्विचार करने के लिये, इस पर्षद् की बैठक ऐसा प्रतीत होता है एक बार भी नहीं हुई है ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय सदस्य परस्पर विरोधी तर्क कर रहे हैं : एक तो यह कि इस पर्षद् का होना आवश्यक नहीं है, दूसरा कि इसका होना आवश्यक है, किन्तु यह करता, कुछ नहीं है । ऐसा तर्क करना गलत है । यह एक ऐसा निकाय है जो कुछ कार्य करता है । यह हर समय कार्य नहीं करता रहता है, किन्तु जब कभी भी आवश्यकता पड़ती है तो इसकी बैठक होती है, यह ऐसा निकाय नहीं है जिसकी बैठकें जल्दी जल्दी होती हों । संभव है कि यह निकाय उस प्रकार का न हो जैसा कि माननीय सदस्य उसे बनाना चाहते हैं अथवा कदाचित् वह कोई अन्य निकाय चाहते हैं ।

दामोदर घाटी निगम अधिनियम का संशोधन

*६६०. **श्री बी० के० दास** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दामोदर घाटी निगम अधिनियम में कोई संशोधन किये जाने का विचार है, तथा यदि है तो किन सिद्धांतों पर यह किया जायेगा ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : दामोदर घाटी निगम समिति ने दामोदर घाटी निगम अधिनियम में कुछ संशोधन करने की सिफारिश की है । सरकार इस पर विचार कर रही है । इस सम्बन्ध में समिति द्वारा दिये गये अन्य सुझाव तथा सरकार द्वारा किये गये फैसले सदन पटल पर रख दिये जायेंगे ।

श्री बी० के० दास : क्या गत सितम्बर में हुए अन्तर्राज्य सम्मेलन में इन संशोधनों पर चर्चा की गई थी ?

श्री हाथी : जी हां श्रीमान् । इन पर चर्चा हुई थी ।

श्री बी० के० दास : क्या सरकार राव समिति की सिफारिशों पर विचार कर रही है ?

श्री हाथी : राव समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं ।

श्री एस० एन० दास : क्या प्रस्थापित संशोधनों के सम्बन्ध में दामोदर घाटी निगम की सम्मति भी ज्ञात कर ली गई है ?

श्री हाथी : जी हां, श्रीमान् ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : नदी घाटी परियोजनाओं पर पूर्ण संसदीय नियंत्रण

रखने के प्रश्न पर राव समिति की सिफारिशों में तथा हमारी आंक समिति की सिफारिशों में जो अन्तर है, उसे ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में अपना कोई मत निश्चित किया है ?

श्री हाथी : जी हां, इसका सम्बन्ध दामोदर घाटी निगम अधिनियम से है तथा जहां तक उस विषय का सम्बन्ध है अन्तर्राज्य सम्मेलन ने इन अवस्थानों पर विचार किया है ।

श्री एस० एन० दास : प्रस्थापित संशोधनों के सम्बन्ध में दामोदर घाटी निगम के अधिकारियों की प्रतिक्रियायें क्या हैं ?

श्री हाथी : श्रीमान्, यह बात अभी विचाराधीन है ।

श्री टी० के० चौधरी : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या दामोदर घाटी निगम के प्रशासन से सीधे ही सम्बन्धित राज्य सरकारों की सम्मति ज्ञात कर ली गई है ?

श्री हाथी : जी हां, श्रीमान्, एक अन्तर्राज्य सम्मेलन हुआ था जिसमें बिहार तथा पश्चिमी बंगाल की सरकारों के प्रतिनिधि उपस्थित थे तथा उनकी सम्मतियों पर विचार किया गया था ।

श्री सारंगधर दास : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री राव समिति की रिपोर्ट सदन पटल पर रखने का विचार करते हैं, तथा यदि हां, तो कब ?

श्री हाथी : सरकार द्वारा इस समिति की रिपोर्ट पर विचार किये जाने के बाद ही इसे सदन पटल पर रखा जायगा ।

कार्यालय 'के' ब्लाक का मामला

*६६१. **श्री अजित सिंह** : क्या निर्माण, **गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री ८ जुलाई, १९५२ को केन्द्रीय जन वास्तु विभाग के 'के' ब्लाक वाले मामले के सम्बन्ध में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या ३५६ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर की ओर निर्देश कर के यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या ठेकेदार का हिसाब पूरी तरह से चुकती कर दिया गया है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : जी नहीं श्रीमान् ।

श्री अजित सिंह : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इस ठेकेदार ने धन की वसूली के लिये एक दीवानी मुकदमा दायर किया है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मुझे इस की कोई जानकारी नहीं है ।

श्री अजित सिंह : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि इस ठेकेदार को पहले ही वाजबी धन से अधिक दे दिया गया था ?

सरदार स्वर्ण सिंह : यदि उसे पहले से ही अधिक धन दे दिया जा चुका है तो उसके मुकदमा दायर करने का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : तो फिर प्रश्न यह होगा कि उससे अतिरिक्त धन वसूल करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ।

सरदार स्वर्ण सिंह : हमने किसी वसूली के लिये उसके विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं चलाया है ।

श्री अजित सिंह : अन्तिम बिल की रकम क्या है तथा ठेका करार में क्या रकम दी गई है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : यदि उन्हें अन्तिम रूप दिया गया होता तो हिसाब चुकाने में भी कोई कठिनाई न होती । उस मामले पर विचार किया जा रहा है ।

इंजीनियरिंग डिप्लोमा

*६६२. **श्री अजित सिंह** : क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बताने की कृपा

करेंगे कि क्या आई० सी० ई० ए० एस० एस० ओ० सी० इंजीनियरिंग (शैफील्ड) की अर्हतायें तथा शैफील्ड का 'सी० ई०' डिप्लोमा केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा श्रेणी १ तथा श्रेणी २ में भर्ती के लिए अभिज्ञात अर्हतायें हैं ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): जी नहीं, श्रीमान् ।

केन्द्रीय जन वास्तु विभाग

*६६३. **श्री अजित सिंह :** क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि कस्तूरभाई लालभाई समिति की सिपारिशों के क्रियान्वित किये जाने के परिणामस्वरूप केन्द्रीय जन वास्तु विभाग में क्या कुछ मितव्ययता की गई है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : कार्य भारों की समानता पर ७ से ८ लाख रुपये तक की वार्षिक मितव्यता होने की आशा है ।

श्री अजित सिंह : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या यह सभी सिपारिशें सरकार द्वारा स्वीकार करली गई हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : एक अथवा दो को छोड़ कर शेष सभी सिपारिशें ।

श्री अजित सिंह : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि कौन सी सिपारिशें अभी भी विचाराधीन हैं तथा कौन सी सिपारिशें सरकार द्वारा रद्द की गई हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मैं माननीय सदस्य का ध्यान २० फ़रवरी, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २१९ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर की ओर दिलाता हूं ।

श्री अजित सिंह मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या किसी इंजीनियर को भी इस समिति के सदस्य के रूप में लिया गया था ?

सरदार स्वर्ण सिंह : इस समिति की **रचना** गज़ट में अधिसूचित की गई थी । इस समय मुझे याद नहीं कि इसके कौन कौन सदस्य थे परन्तु मेरा यह अनुमान है कि कुछ इंजीनियर भी इस में लिये गये थे ।

कोसी परियोजना

*६६४. **श्री गिडवानी :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री कोसी परियोजना पर इस समय तक व्यय हुई कुल धन राशि को बताने की कृपा करेंगे ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : सितम्बर १९५३ के अन्त तक कोसी परियोजना जांच पर कुल ८७,११,६१० रुपया खर्च हुआ है ।

श्री गिडवानी : संशोधित प्राक्कलन के आधार पर इस परियोजना पर कुल कितनी लागत आयेगी तथा यह परियोजना कब तक पूर्ण हो जायगी ?

श्री हाथी : संशोधित प्राक्कलन अभी विचाराधीन हैं ।

श्री गिडवानी : क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि सरकार सम्भवतः इस परियोजना को त्याग देगी क्योंकि इसके लिये जो जगह चुनी गई है वह नदी में मिट्टी जमा होने के कारण अनुपयुक्त है ?

श्री हाथी : सरकार इस परियोजना को छोड़ रही है यह तथ्य नहीं है । इसके विपरीत इस सम्बन्ध में जांच कार्य जारी है तथा एक पखवाड़े में यह बताना सम्भव होगा कि वास्तविक स्थिति क्या कुछ है ।

श्री गिडवानी : क्या सरकार नदियों में मिट्टी जमा न होने देने के वैज्ञानिक उपायों का अध्ययन करने के लिए कोई प्रतिनिधि मंडल चीन भेजने की प्रस्थापना करती है ?

श्री हाथी : यह बात सरकार के विचाराधीन है ।

श्री एल० एन० मिश्र : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि इस की आर्थिक जिम्मेदारी नेपाला, बिहार तथा भारत की सरकारों के मध्य बांटने के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है, यदि हां तो इसका सविस्तार विवरण क्या है ?

श्री हाथी : प्राक्कलन तैयार होने पर ही यह किया जा सकता है ।

हार्डिग ब्रिज, नई दिल्ली के समीप कार्यालयों का निर्माण

***६६६. श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :** क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) हार्डिंग ब्रिज, नई दिल्ली के समीप वित्त मंत्रालय के लिए जो सरकारी कार्यालय बन रहे है उन पर अनुमानतः कुल कितनी लागत आयेगी; तथा

(ख) यह कब से बनने प्रारम्भ हुए हैं और इनके पूर्ण होने में कितना समय लगेगा ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जो भवन वास्तव में तैयार हो रहा है उसकी अनुमानित लागत २०·२१ लाख रुपये है ।

(ख) इसका निर्माण-कार्य १२ नवम्बर १९५२ को शुरू हुआ था तथा यह फर्वरी १९५४ तक पूरा हो जाना चाहिये ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : इस कार्य के लिए कितने टेंडर प्राप्त हुए थे ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि आप प्रशासन सम्बन्धी ब्यौरे में जा रहे हैं । टेंडरों के बारे में प्रश्न पूछने का प्रयोजन क्या है ?

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : यह एक ऐसी सूचना है जो उपलब्ध होनी ही चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : जब तक कि इस शंका का कोई आधार न हो कि इस मामले में कोई अनुचित बात हुई है तब तक प्रशासन सम्बन्धी ब्योरों में जाना उचित नहीं है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या ठेका सब से कम मूल्य वाले टेंडर देने वाले को दिया गया था ?

सरदार स्वर्ण सिंह : जी हां, श्रीमान् । सब से कम वाले को ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : सब से कम मूल्य कथन करने वाले टेंडर-प्रत्येक का टेंडर कब प्राप्त हुआ था तथा कब उसे स्वीकार किया गया था ? क्या टेंडर स्वीकार करने में बहुत अधिक विलम्ब हुआ था ?

सरदार स्वर्ण सिंह: जी नहीं, श्रीमान् । टेंडर स्वीकार करने में कोई विलम्ब नहीं हुआ था ।

श्री वी० पी० नायर : क्या यह तथ्य है कि ठेकेदारों की इस फर्म के पास अन्य मंत्रालयों के भी कई ठेके हैं तथा मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इस फर्म के मालिक ने गत चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था ?

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति ।

सरदार स्वर्ण सिंह : यह सूचना ठीक नहीं है ।

श्री पुन्नूस : क्या यह तथ्य है कि इस ठेकेदार के विरुद्ध यह शिकायत मिली है कि उस ने वहां निरीक्षकवर्ग के कुछ कर्मचारियों पर प्रहार किया था ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में मुझे अब अगला प्रश्न लेना चाहिये ।

तम्बाकू का पुनः शुष्कीकरण करने वाला संयंत्र

*६६७. **श्री सी० आर० चौधरी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आन्ध्र की व्यापारिक समवायों तथा वैयक्तिक तम्बाकू व्यापारियों के लिये निर्यात व आयात नियंत्रक ने, सरकार द्वारा एक संयंत्र खरीदे जाने के पश्चात्, तम्बाकू के पुनः शुष्कीकरण करने वाले संयंत्र के आयातों के लिए कितने लाइसेंस स्वीकृत किये गये थे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : यह सूचना एकत्रित करना कठिन है क्योंकि आयात व्यापार नियंत्रण अनुसूची में पुनः शुष्कीकरण संयंत्रों का पृथक् वर्गीकरण नहीं किया गया है ।

श्री सी० आर० चौधरी : मैं जान सकता हूं कि पुनः शुष्कीकरण संयत्र सरकार द्वारा किस वर्ष खरीदा गया था ?

श्री करमरकर : मैं पूर्व सूचना चाहूंगा, किन्तु सन् १९४६ में देश में ग्यारह पुनः शुष्कीकरण संयंत्र थे, नौ मद्रास में थे और दो बिहार में थे ।

श्री सी० आर० चौधरी : क्या मैं जान सकता हूं कि गुंटूर में व्यापारिक समवायों तथा व्यक्तियों को पुनः शुष्कीकरण संयंत्र आयात करने के लिए कितने लाइसेंस दिये गये हैं ?

श्री करमरकर : मैं यह सम्पूर्ण संख्या तो नहीं बता सकता हूं । विशेष कर गुंटूर के बारे इस संख्या को ज्ञात करने में जो समय तथा शक्ति लगेगी वह प्राप्त परिणाम के सममात्रिक नहीं होगी ।

श्री सी० आर० चौधरी : क्या यह तथ्य है कि सरकार ने अपने पुनः शुष्कीकरण संयंत्रों को बेच देने के प्रयोजन से व्यापारिक फर्मों तथा व्यक्तियों को आयात लाइसेंस दिये थे ?

श्री करमरकर : यह सूचना तो मुझे माननीय सदस्य से ही मिल रही है, किन्तु इस बात की मुझे जांच करनी होगी कि यह बात ठीक है अथवा नहीं ।

श्री नानादास : मैं जान सकता हूं कि क्या यह पुनः शुष्कीकरण संयंत्र कार्य कर रहा है अथवा नहीं ?

श्री करमरकर : "यह" से किस संयंत्र से तात्पर्य है ? देश में कई संयंत्र हैं । वर्तमान समाई २ करोड़ पौंड है ।

श्री नानादास : गुंटूर वाला संयंत्र । क्या यह कार्य कर रहा है अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो इसके कारण ?

श्री करमरकर : गुंटूर के बारे में मैं पूर्व-सूचना चाहूंगा ।

श्री सी० आर० चौधरी : मैं जान सकता हूं कि सरकार ने गुंटूर वाले संयंत्र को किस मूल्य पर खरीदा है ?

श्री करमरकर : मुझे इसके लिए पूर्व सूचना चाहिये ।

क्वीन विक्टोरिया रोड पर सरकारी कार्यलय की इमारत

*६६८. **श्री एम० एस० गुरुपाद-स्वामी** : क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री १४ सितम्बर, १९५३ को क्वीन विक्टोरिया रोड, नई दिल्ली, पर बन रही बहु-मंजली सरकारी इमारत के सम्बन्ध में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२६४ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर का निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) इमारत के ढांचे के निर्माण की प्राक्कलित रक़म क्या थी और सब से कम टेंडर कितनी रक़म का प्राप्त हुआ; तथा

(ख) डिप्लोमैटिक एनक्लेव डिवीजन जन वास्तु विभाग, नई दिल्ली, के पूर्व ऐक्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर को मद्रास के किसी डिवीज़न में स्थानान्तरित कर देने का क्या कारण है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क)

प्राक्कलित रक़म	१६,१७,६०६ रुपये
टेंडरों की न्यूनतम रक़म	१६,३१,२७७ रुपये

(ख) ऐक्जीक्यूटिव इंजीनियर को सामान्य प्रक्रिया के अनुसार ही दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित किया गया था ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: पिछली बार मेरे ही एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा था कि ज़मीन के नीचे पानी बहुत था, इसलिये प्राक्कलनों को पुनरीक्षित करना पड़ा था । मैं जान सकता हूं कि क्या इस बात का उस समय नहीं विचार किया गया था जब कि संविदा दिया गया था ?

सरदार स्वर्ण सिंह : यह स्मरण रखना कि गत अवसर पर किसी अनुपूरक प्रश्न से क्या बात उठी थी बहुत कठिन है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

सरकारी क्वार्टरों का अलाटमेंट

*६६९. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय जन वास्तु विभाग तथा ऐस्टेट आफिस के विरुद्ध सरकारी क्वार्टरों के अनियमित एलाटमेंट के सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; तथा

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) सन् १९५१-५२ में ऐस्टेट आफ़िसर द्वारा सरकारी क्वार्टरों पर अवैध कब्जे किये जाने के मामले पकड़े गये थे और इसकी रिपोर्ट सरकार को कर दी गई थी ।

(ख) उनका मामला स्पेशल पुलिस ऐस्टेब्लिशमेंट, दिल्ली को सौंप दिया गया है और उसने बारह व्यक्तियों पर अभियोग चलाया हुआ है । अभियुक्तों में उन लोगों के अतिरिक्त जिन्होंने अवैध कब्जा कर रखा था, केन्द्रीय जन वास्तु विभाग का एक क्लर्क भी सम्मिलित है । सभी अवैध क़ब्ज़ा कर लेने वालों को क्वार्टरों से निकाल दिया गया है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या इन मामलों में कोई घोषित पदाधिकारी भी लिप्त है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : उनमें से तीन सहायक इंजीनियर हैं ; लेकिन यह मुझे नहीं मालूम कि वह घोषित पदाधिकारी हैं अथवा नहीं ।

श्री वी० पी० नायर : वे घोषित हैं ।

श्री के० के० बसु : मैं जान सकता हूं कि क्या समय-समय पर इस बात की कोई जांच की जाती है कि सरकारी क्वार्टरों में रहने वाले उन को किस ढंग से काम में ला रहे हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मैं प्रश्न का आशय नहीं समझ सका हूं । यदि प्रश्न का तात्पर्य यह है कि समय समय पर इस बात की जांच की जाती है या नहीं कि अलाटियों द्वारा क्वार्टरों को किराये पर तो नहीं उठा दिया जाता आदि, तो मैं बतला दूं कि इसकी जांच की जाती है ।

श्री बोगावत : सरकारी कर्मचारियों को अलाट किये गये बंगलों के कितने आउट-हाउसेज़ अब भी अनधिकृत व्यक्तियों के कब्ज़े में हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : इसके लिए लम्बी-चौड़ी छानबीन करनी होगी । यदि पृथक् रूप से प्रश्न पूछा जाये, तो मैं यह सूचना एकत्रित कर दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री बोगावत : यह प्रश्न मैं काफ़ी समय से पूछ रहा हूं ।

भाखरा-नांगल परियोजना

*६७०. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री १७ फरवरी, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९३ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर का निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भाखरा नांगल परियोजना के ठेकेदारों द्वारा सरकारी रुपये के गबन किये जाने की शिकायत के उम्बन्ध में की गई जांच का परिणाम ;

(ख) क्या कोई पदाधिकारी भी गबन में लिप्त थे ; तथा

(ग) यदि हां, तो उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : मामले अभी विचाराधीन हैं ।

(ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) उन्हें गिरफतार कर लिया गया था और बाद में जमानत पर छोड़ा गया था ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या यह तथ्य है कि कुछ अभियुक्तों के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही को प्रारम्भ में ही त्याग दिया गया था ?

श्री हाथी : किसी पदाधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही त्याग दी गई हो, मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या मैं जान सकता हूं कि केवल यही एक मामला है अथवा और और भी अन्य मामले ज्ञात हुए हैं ?

श्री हाथी : सब मामलों में कुल मिला कर ग्यारह पदाधिकारी लिप्त हैं ।

श्री एल० एन० मिश्र : कितनी रकम का गबन किया गया है ?

श्री हाथी : सब मामले गबन के नहीं हैं । एक मामला २०,००० रुपये की घूस लेने का है । दूसरा, ६०,००० रुपये अधिक भुगतान कर देने का है ।

भारतीय नागरिकता

*६७२. **डा० एम० एम० दास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि गत कुछ मासों में भारत सरकार को ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका के राज्यों, नामतः केनिया, यूगेंडा, टंगनीका तथा जंजीबार के अफ्रीका उत्पन्न भारतीयों से भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिये अधिक मात्रा में आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ; तथा

(ख) यदि हां, तो (१) आवेदन-पत्रों की कुल संख्या ; तथा (२) सरकार द्वारा उन के सम्बन्ध में किया गया निर्णय ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खान): (क) जी हां।

(ख) (१) ३६६९ ।

(२) इन आवेदकों द्वारा दी गई सूचना की जांच करने पर यह ज्ञात हुआ कि वे भारत के संविधान के अनुच्छेद ५ के अन्तर्गत आते हैं और तदनुसार बृटिश पूर्वी अफ्रीका स्थित भारत सरकार के आयुक्त द्वारा, उन्हें भारतीय

नागरिक घोषित करने वाले पत्र भेज दिए गये थे।

डा० एम० एम० दास : मैं अपने प्रश्न के द्वितीय भाग का उत्तर नहीं समझ सका।

कुछ माननीय सदस्य : कुछ जोर से।

अध्यक्ष महोदय : मैं देखता हूं कि कुछ माननीय सदस्य धीरे-धीरे बातें कर रहे हैं।

श्री फीरोज गांधी : यहां कोई बात नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : इधर-उधर बातें होने से मुझे बाधा पहुंचती है।

श्री सादत अली खान : इन आवेदकों द्वारा दिये गये आवेदन पत्रों की जांच से यह पाया गया कि वे भारत के संविधान के अनुच्छेद ५ के अन्तर्गत आते हैं और तदनुसार उन्हें भारतीय नागरिक घोषित करने वाले पत्र ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका स्थित भारत के आयुक्त द्वारा उन्हें दे दिये गये हैं।

डा० एम० एम० दास : मैं ज्ञात कर सकता हू कि क्या इस बात की भी कोई जांच की गई है कि ऐसे आवेदकों की संख्या कितनी है जिन्होंने स्वेच्छा से अफ्रीकी नागरिकता स्वीकार कर ली है जिसके कारण हमारा संविधान उन्हें भारत में भारतीय नागरिकों के रूप में आने की अनुमति नहीं देता है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : अफ्रीकी नागरिकता जैसी कोई चीज नहीं है। इस उपनिवेश में वे ब्रिटिश प्रजाजन हैं। पृथक रूप से कोई अफ्रीकी नागरिकता नहीं है। जहां तक कि यह प्रश्न है कि कितन ब्रिटिश प्रजाजन हैं और कितने भारतीय प्रजाजन हैं, इसके सम्बन्ध में इस कारण कोई निश्चित बात नहीं है क्योंकि हमने किसी विशिष्ट राष्ट्रीयता-विधि का विशेष रूप से उपबन्ध नहीं किया है। संविधान में कुछ कहा गया है और हम तदनुसार कार्य करते हैं। कुछ वर्गों के सम्बन्ध में कुछ अनिश्चितताएं हैं।

डा० एम० एम० दास : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि हमारे संविधान में किसी विस्तृत विधि की अनुपस्थिति के कारण जिस का संविधान में प्रावधान किया गया है, क्या सरकार को वैयक्तिक मामले निर्णीत करने में कोई कठिनाई होती है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी हां। इस प्रकार की कठिनाई होती है कि कुछ आवेदक भारत के नागरिक होना चाहते हैं और हम उन्हें इस प्रकार का नागरिक नहीं बना सकते हैं।

राज्य बिजली बोर्ड

*६७३. **श्री नानादास** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) बिजली संभरण अधिनियम, १९४८ के पारित होने के समय से कितने राज्य बिजली बोर्ड बने हैं ;

(ख) केन्द्रीय बिजली प्राधिकार द्वारा अब तक किया गया कार्य ; तथा

(ग) क्या सरकार द्वारा भारतीय बिजली अधिनियम १९१० में संशोधन सुझाने के लिये बनाए गए मंत्रणा दाता बोर्ड बिजली (संभरण) अधिनियम, १९४८ का भी पुनर्विलोकन करेगा ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) दो (दिल्ली और मध्य प्रदेश में)।

(ख) केन्द्रीय बिजली प्राधिकार ने दिल्ली तथा मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्डों द्वारा बिजली (संभरण) अधिनियम, १९४८ के अधीन बनाए गए विनियमनों को मंजूर कर लिया है। बम्बई सरकार और गोधा बिजली संभरण कम्पनी लिमिटेड के बीच

होने वाले विवाद का भी उन्होंने मध्यस्थ-निर्णय किया है ।

(ग) जी नहीं।

श्री नानादास : शेष राज्यों ने इसका अनुसरण क्यों नहीं किया ?

श्री हाथी : राज्यों को इस में कठिनाई हो रही है । उन के रास्ते में वित्तीय कठिनाइयां, उपयुक्त कर्मचारी प्राप्त करना आदि अनेक कठिनाइयां आ रही हैं ।

सरकारी प्रेसों में एप्रेन्टिस

*६७४. **श्री नानादास :** क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री १५ अप्रैल, १९५३ को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या १०५१ के भाग (घ) के उत्तर का निर्देश करेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार के प्रेसों में एप्रेन्टिसों को दिए जाने वाले मासिक आजीविका-भत्ते की दर बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

(ख) बढ़ाई गई दरें क्या हैं ?

(ग) नई दरों को किस तिथि से प्रभावी माना जायेगा ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख). वे अब तत्समान वेतन पाने वाले अन्य लोगों जितना मंहगाई भत्ता प्राप्त कर सकेंगे । मंहगाई भत्ते को नियमित करने वाले सामान्य आदेश के अधीन वे ४० रु० प्रति मास पाएंगे।

(ग) १ दिसम्बर, १९५३ से।

श्री नानादास : क्या उन्हें मकान किराया भत्ता भी मिल सकता है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : शायद नहीं । मुझे इस बात की निश्चित जानकारी नहीं है।

श्री नानादास : सरकारी प्रेसों में १९५१ से कुल कितने एप्रेन्टिस रहे हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : यह जानकारी इस समय मेरे पास नहीं है ।

श्री नानादास : क्या इस निर्णय को भूतलक्षी प्रभाव देने की कोई संभावना है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : हमने बड़े ध्यान से इस मामले की जांच की है । इस से अधिक हम कुछ नहीं कर सकते ।

यातायात सुविधाओं का विकास

*६७६. **श्री बुच्चिकोटैय्या :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने सभी राज्य सरकारों से यह पूछा है कि पंचवर्षीय योजना की विकास योजनाओं की कार्यान्विति के लिए क्या-क्या यातायात सुविधाएं आवश्यक होंगी ;

(ख) यदि सच है, तो क्या कोई रिपोर्ट आई है; तथा

(ग) क्या यातायात सुविधाओं को सुधारने के प्रयोजन से कोई राष्ट्र-व्यापी योजना तैयार की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) अधिकांश राज्य से उत्तर आ गए हैं ।

(ग) विषय विचाराधीन है ।

ओखला में पाईप लाइन

*६७७. **श्री ए० एन० विद्यालंकार :** क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, पुनर्वास मंडल नई दिल्ली द्वारा ओखला से कालका जी तक बिछाई गई पाइप लाइन के कुछ पाइप उपयोग में लाये जाने पर फट गए ;

(ख) यदि सच है, तो इस का कारण ;

(ग) मरम्मत में हुआ अतिरिक्त व्यय ;

(घ) क्या पाइप स्वीकृत विनिर्देश (स्पेसीफिकेशन) वाले थे ; तथा

(ङ) ये पाइप किस एजंसी ने दिए थे, और उसने कुल कितने पाइप दिए थे ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) मामले की जांच पड़ताल हो रही है ।

(ग) फटे हुए पाइपों के स्थान पर नए पाइप लगाने में लगभग १००० रुपए व्यय हुए थे ।

(घ) बताया गया था कि वे उस प्रकार के हैं ।

(ङ) पाइप सर्वश्री इंडिया आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड, कुटली द्वारा दिए गए थे। दी गई मात्रा की कुल लम्बाई लगभग २५,००० फुट थी।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : क्या जांच विभागीय रूप से हो रही है या वह अन्य किसी को सौंप दी गई है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : अभी तो विभागीय रूप से ही हो रही है ।

जहाजों का निर्माण

*६७८. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में बनने वाले जहाजों के कितने यांत्रिक भाग बाहर से आते हैं ;

(ख) इन भागों और सम्पूर्ण यांत्रिक भागों की संख्या तथा मूल्यों का क्या अनुपात है ;

(ग) बाहर से आने वाले भाग किन देशों से आयात किये जाते हैं ;

(घ) इन भागों को निकट भविष्य में भारत में बनाने की कोई सम्भावना है ; तथा

(ङ) क्या सरकार का कोई ऐसा कारखाना खोलने का विचार है जहां यह यांत्रिक भाग बन सकें ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) तथा (ख). अब तक थोड़ी सी ही चीजें भारत में प्राप्त की जा सकी हैं और अधिकांश मशीनी-पुरजों का बाहर से ही आयात किया जाता है ।

(ग) ये मशीनें अभी ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी से मंगाई जाती हैं।

(घ) तथा (ङ). भारत में मशीनों का निर्माण करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री रघुनाथ सिंह : कितने समय के अन्दर इन मशीनों का उत्पादन हिन्दुस्तान में हो सकेगा ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): इस का अन्दाजा कैसे हो सकता है ? लेकिन ख्याल है कि ज्यादातर मशीन्स चार पांच वर्ष में हम बना सकेंगे । हमेशा यह होता है कि कोई न कोई चीज छोटी मोटी जो बनाने की है वह मुमकिन है कि हम बना सकें, लेकिन इस कोशिश में जरूरत से ज्यादा खर्च करना पड़ता है । इसलिये यह बेहतर समझा जाता है कि बाहर ही से मंगावें ।

श्री के० के० बसु उठे--

अध्यक्ष महोदय : क्या बात है ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैं यह भी बता दूं कि इस विषय में मुख्य कठिनाई यह है कि इन में से किसी एक चीज की मांग देश में इतनी कम है कि देश में उन का बनाना अनार्थिक सिद्ध होगा । भले ही हम पुरजों के बदलने विषयक वार्षिक आवश्यकता का ध्यान रखें, कुल मांग बहुत अधिक नहीं है

और इस में विनियोजन बहुत अधिक करना पड़ता है । यही मुख्य कठिनाई है । फिर भी हम इन में से बहुत सी मद्दों के निर्माण पर विचार कर रहे हैं, पर अभी हमें आयात पर निर्भर रहना होगा ।

श्री के० के० बसु : प्रश्न के भाग (ख) का उत्तर उचित रूप में नहीं दिया गया है । प्रश्न मशीन के कुल पुरजों के अनुपात और उनकी लागत के अनुपात के सम्बन्ध में है ।

श्री के० सी० रेड्डी : अनुपात बताना बहुत मुश्किल है । अतः मैंने अनुपात देने की चेष्टा नहीं की । यदि केवल मद्दों का ही ध्यान रखा जाए तो जहाज के बनने में काम आने वाली ५०-५२ मशीनों में से केवल ५-६ ही भारत में बनती हैं । बाकी का आयात होता है । मूल्य के विषय में भी, हमारे द्वारा खरीदे जाने वाले सामान का मूल्य आयात किए जाने वाले सामान के मूल्य का बिलकुल नगण्य भाग है । जहाज़ जहाज़ में इस विषय में अंतर रहता है और ठीक ठीक अनुपात बताना संभव नहीं है ।

श्री के० के० बसु : कौन-कौन से भाग भारत में बनाये जाते हैं या मिल जाते हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी : जैसा मैंने बताया पांच या छः भाग । उदाहरणार्थ पीसने या छेद करने वाली मशीनें, बिजली के पंखे, स्विच, फिटिंग का सामान, स्टार्टर और खराद जैसी चीजें ।

श्री नानादास : क्या यह सच नहीं है कि. . . .

अध्यक्ष महोदय : हम अब अगला प्रश्न लें ।

भारत-पाकिस्तानी व्यापार

*६७९. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि १९५१-५२ में भारत-पाकिस्तानी व्यापारी लगभग १३३ करोड़ रुपये का था और घट कर १९५२-५३ में यह केवल ५३ करोड़ रुपये का रह गया है ; तथा

(ख) यदि हां, तो इस कटौती के कारण क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) पाकिस्तान से हमारा व्यापार कम होने के अनेक कारण हैं । आयात में १९५२-५३ में कमी का मुख्य कारण मिलों और व्यापारियों द्वारा जूट का कम खरीदा जाना और दाम गिरना है । निर्यात के विषय में पाकिस्तान द्वारा फल, सब्जी, पान, बीड़ी, मसाले, अनिर्मित तम्बाकू और बीड़ी की पत्तियों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने के फलस्वरूप व्यापार में बहुत ही कमी हुई ।

श्री रघुनाथ सिंह : ११० करोड़ रुपय साल की जो हिन्दुस्तान को हानि हुई है इस में क्या कुछ सुधार की सम्भावना है ?

श्री करमरकर : जो हिन्दुस्तान के व्यापार को हानि हुई है उस के पूरा होने की सभी आशा रखते हैं, लेकिन कभी कभी आशा के मुवाफिक होता नहीं ।

श्री गिडवानी : आशा हि परमं दुःखम् (आशा करना ही सब से बड़ा दुःख है)

श्री एल० एन० मिश्र : भाग (ख) के उत्तर के निर्देश में मैं जान सकता हूं कि नवीनतम भारत-पाकिस्तान समझौते के फलस्वरूप पाकिस्तान से आयात किए गए पटसन की मात्रा कितनी है ?

श्री करमरकर : मैं माननीय मित्र को आंकड़े बता सकता हूं : १९५१-५२ में कच्चे पटसन का आयात ६७ करोड़ रुपये का था ; १९५२-५३ में यह १६.५ करोड़ रुपये का रहा ।

श्री कासलीवाल : मैं जान सकता हूं कि क्या हम १९५३-५४ में इस व्यापार में सुधार की आशा कर सकते हैं ?

श्री करमरकर : जैसे मैंने कहा, हमें सदैव आशा रहती है ; पर यह दूसरे पक्ष पर भी निर्भर है ।

डा० एम० एम० दास : पाकिस्तान के साथ हमारे निर्यात व्यापार के विषय में क्या मैं जान सकता हूं कि क्या पाकिस्तान ने हमारे साथ कुछ भेदभावपूर्ण बर्ताव किया है ?

श्री करमरकर : मेरा ऐसा विचार नहीं ।

श्री एम० एन० लिंगम : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं . . .

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगला प्रश्न लेंगे ।

पोलैंड में प्रदर्शनी

*६८०. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि १२ अक्तूबर, १९५३ को पोलैंड में एक भारतीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रदर्शनी में क्या क्या वस्तुएं रखी गयी थीं ;

(ग) क्या प्रदर्शनी सफल रही ; तथा

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार का कितना व्यय हुआ ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हां श्रीमान् ।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५५**]

(ग) इस प्रकार की प्रदर्शनी के परिणामों का निर्धारण मुश्किल है । यद्यपि मैं कहूंगा कि मुझे पता चला है कि प्रदर्शनी का प्रभाव अच्छा रहा, फिर भी किसी भी दशा में अभी ऐसा कहना समय से पूर्व है ।

(घ) कुछ नहीं ।

श्री रघुनाथ सिंह : इस में क्या सिल्क का सामान और पीतल का सामान भी प्रदर्शित किया गया था या नहीं ?

श्री करमरकर : यह आर्ट्स प्रोडक्शन की एग्जीबीशन थी, एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री की तरफ से हुई थी। वह कमर्शियल प्रोडक्ट्स की एग्जीबीशन नहीं थी ।

श्री एम० डी० रामस्वामी : मैं जान सकता हूं कि क्या हथकरघे के वस्त्र भी प्रदर्शित किए गए थे, और यदि हां, तो लोगों ने उनका कैसा स्वागत किया ?

श्री करमरकर : जैसा मैंने पहले बताया यह मुख्यतः एक कला प्रदर्शनी थी, और इसमें उदाहरण स्वरूप समकालीन चित्रकारिता, मूर्तिकला और रंग की कृतियां रखी गई थीं तथा वस्त्रों, चांदी के बर्तनों, लकड़ी के काम, हाथीदांत के काम आदि के नमूने भारतीय शिल्प के रूप में रखे गए थे ।

श्री एन० एम० लिंगम : मैं जान सकता हूं कि क्या प्रदर्शित वस्तुओं को बेच दिया गया था या प्रदर्शनी के बाद उन को वापस भारत लाया गया था ?

श्री करमरकर : मैं नहीं समझता कि वे विक्रयार्थ रखी गई थीं । वे वापस लाईं गईं या नहीं, इस के विषय में मैं पूर्व सूचना चाहूंगा ।

परिरक्षित खाद्य पदार्थ

*६८१. **श्री झूलन सिन्हा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) विदेशों से परिरक्षित खाद्य पदार्थों का आयात करने के लिये भारत को

प्रतिवर्ष कितनी विदेशी विनिमय की व्यवस्था करनी पड़ती है ;

(ख) किन किन परिरक्षित खाद्य पदार्थों का आयात किया जाता है ; तथा

(ग) इस प्रकार के खाद्य पदार्थों के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है या किये जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) गत तीन वर्षों में परिरक्षित खाद्य पदार्थों के आयात के आंकड़ों के अनुसार भारत इन पदार्थों के आयात पर औसतन लगभग ६० लाख रुपये प्रति वर्ष खर्च करता है ।

(ख) डिब्बों या बोतलों में बन्द किये गये फल और सब्जियां, बेकन तथा हैम (सुअर के मांस के अचार), मछली, मुरब्बा और जेली , अचार, चटनियां आदि ।

(ग) परिरक्षित खाद्य पदार्थों की मांग घटती बढ़ती रहती है इसलिये इनमें आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के मामले में कोई निश्चित नीति निर्धारित नहीं की गई है यद्यपि डिब्बों में खाद्य पदार्थों को परिरक्षित रखने के उद्योग को हर सम्भव प्रोत्साहन दिया जाता है । इस मामले में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५६]**

श्री झूलन सिन्हा : विवरण में यह दिया हुआ है कि रक्षा सेवाओं की अधिकतर आवश्यकतायें स्थानीय उत्पादन से पूरी की जाती हैं । मैं जान सकता हूं कि गैर-सैनिक मांग स्थानीय उत्पादन से कहां तक पूरी की जाती है ?

श्री करमरकर : सारी गैर-सैनिक मांग देश के उत्पादन से पूरी की जाती है ।

पैट्रोल

*६८३. **सेठ अचल सिंह :** (क) क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बर्मा शैल, काल्टैक्स तथा अन्य कम्पनियां दिल्ली में लोगों को पैट्रोल प्रति गैलन किस मूल्य पर बेच रही हैं ?

(ख) जिस बन्दरगाह पर पैट्रोल का आयात होता है वहां से दिल्ली के उपभोक्ता तक पैट्रोल पहुंचाने में प्रति गैलन कितनी लागत लगती है ?

(ग) क्या सरकार पैट्रोल के दामों में वृद्धि को रोकने के लिये कोई कार्यवाही कर रही है और यदि ऐसा है, तो क्या कार्यवाही ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) २ रु० १३ आने प्रति गैलन जिस पर ६ पाई प्रति रुपया बिक्री कर भी लगता है ।

(ख) प्रति गैलन लगभग ८ आने, जिसमें रेल का भाड़ा तथा देश के भीतरी भागों में पहुंचाने का खर्च भी शामिल है ।

(ग) ये तेल कम्पनियां सरकार से परामर्श करके ही अपने दामों में परिवर्तन करती हैं इस लिये सरकार इस बात का ध्यान रख सकती है कि जब तक ऐसा करना उचित न हो, तब तक दामों में वृद्धि न की जाय ।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि देहली म्युनिसिपल कमेटी ने जो छै पाई फी रुपया कर लगा रखा है, क्या वह न्यायोचित है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : बिक्री कर नगर पालिका समिति द्वारा नहीं लगाया जाता । मैं समझता हूं कि इसे राज्य सरकार लगाती है; और राज्य सरकारें सभी चीज़ों की बिक्री पर पूर्ण रूप से बिक्री कर लगा सकती हैं ।

डा० एम० एम० दास : मैं इस देश में पैट्रोल के दाम निर्धारित करने के मामले में भारत सरकार की वास्तविक स्थिति जानना चाहता हूं : क्या सरकार को आयात करने वाले बन्दरगाह पर आयात मूल्य की तथा इस देश में पैट्रोल जिस मूल्य पर बेचा जाता है उसकी जांच करने का अधिकार है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : यह पहिले ही बता दिया गया है कि मैक्सिको की खाड़ी के दामों के अनुसार ही यहां के दाम होते हैं और यही आधार मूल्य है । जिन कारणों से मैक्सिको की खाड़ी के दाम निर्धारित होते हैं हम उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते ।

श्री जोकीम आल्वा : क्या सरकार को ऐसी आशा है कि जब बम्बई में तेल साफ करने के कारखाने चलने लगेंगे तो दामों में काफी कमी हो जायगी ?

सरदार स्वर्ण सिंह : इन सम्भावनाओं के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता ।

बांध (मशीनों द्वारा बनाना)

*६८५. **श्री आर० एन० एस० देव :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का बहु प्रयोजनीय बांधों के बनाने में मशीनों से और अधिक काम लेने का विचार है ; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख). मशीनों से काम लेना इस बात पर निर्भर है कि किये जाने वाला काम किस प्रकार का है और कितना है ।

श्री आर० एन० एस० देव : मैं जान सकता हूं कि क्या विभिन्न बांधों में मशीनों से अधिक काम लेने का विचार है ?

श्री हाथी : ऐसा आवश्यक नहीं । यह इस बात पर निर्भर है कि वह काम किस प्रकार का है ।

श्री आर० एन० एस० देव : मैं जान सकता हूं कि विभिन्न बांधों में इस समय मिट्टी हटाने वाली मशीनों के प्रयोग से कितने श्रम, समय और खर्च की बचत होती है ?

श्री हाथी : कितनी बचत होती है, इसके आंकड़े पता लगाना कठिन है ।

श्री के० के० बसु : मैं जान सकता हूं कि क्या योजना आयोग ने मशीनों से काम लेने से पूर्व अतिरिक्त मज़दूरों से काम लेने की सम्भावना पर विचार किया ?

श्री हाथी : जहां तक सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय का सम्बन्ध है वह यथासम्भव अधिक मज़दूरों से काम लेने की बात का ध्यान रखता है ।

श्री सारंगधर दास : मैं जान सकता हूं कि मज़दूरों पर होने वाले खर्च तथा मशीनों पर होने वाले खर्च की परस्पर तुलना किये बिना सरकार ने इन सब जगहों पर मशीनों से ही काम लेने का कैसे निश्चय किया ?

श्री हाथी : ऐसे बहुत से काम हैं जिन में मशीनों से ही काम लेना पड़ता है । ऐसे मामलों में यह प्रश्न ही नहीं उठता कि मशीनों से काम लिया जाय या मज़दूरों से ।

खेती के औज़ार

*६८६. **श्री कासलीवाल :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कोलाराडो, अमरीका के श्री जान्सन ने सरकार को खेती के १,००,००० औज़ार उपहार रूप में देने का प्रस्ताव किया था ; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या सरकार उस उपहार के विषय में विचार कर रही है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : श्री जान्सन और श्रीमती जांन्सन कुदाल, फावड़े तथा पंचांगुलों जैसे खेती के छोटे छोटे १,००,००० औज़ार प्राप्त करके भारत को देने के लिये अमरीका से धन संग्रह करन के लिये राष्ट्र व्यापी अपील करने के प्रस्ताव पर विचार कर कर रहे थे, किन्तु इस पर आगे और कार्यवाही करने से पूर्व वे भारत सरकार की स्वीकृति ले लेना चाहते थे।

(ख) जी हां।

श्री कासलीवाल : मैं जान सकता हूं कि क्या यह उपहार कुछ शर्त्तों पर दिया जा रहा है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी हां। शर्त्त यह है कि हम उन्हें स्वीकार करलें।

श्री एस० वी० रामस्वामी : इन औ-ज़ारों का अनुमानित मूल्य कितना होगा ?

श्री जवाहरालाल नेहरू: मुझे मालूम नहीं।

श्री दामोदर मेनन : क्या सरकार ने इस उपहार को स्वीकार करने का निश्चय कर लिया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। इसलिये हम ने वाशिंगटन स्थित अपने दूतावास को इसके बारे में पता लगाने के लिये लिखा है।

श्री० के० के० बसु: मैं जान सकता हुं कि क्या इस उपहार के दिये जाने में ऐसी कोई शर्त्त है कि इन औज़ारों से भारत में किसी विशेष प्रकार से काम लिया जाय ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : इसमें शर्त्त का कोई प्रश्न नहीं है। किन्तु मैं यह बता दूं कि हम इस बात की कल्पना नहीं करते कि कोई व्यक्ति भारत की ओरं से कहीं भी राष्ट्र-व्यापी अपील करेगा। इसलिये हम ने वहां के अपने दूतावास को लिखा है कि वह हमें सूचित करे कि तथ्य क्या हैं—इसमें शर्त्त का कोई प्रश्न नहीं है, किन्तु हमने दूतावास से तथ्यों के बारे में सूचित करने के लिये कहा है।

सिंगरेनी की कोयला खानें

*६८७. **श्री टी० बी० विट्ठल राव :** (क) क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगेकि सिंगरेनी कोयला खान कम्पनी द्वारा दी गई इस्पात तथा कच्चे लोहे के इंडेंट को सरकार पूरी तरह से कब पूरा कर सकेगी ?

(ख) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत कोयले के उत्पादन में दस लाख टन की वृद्धि की जानी है, क्या कच्चा लोहा तथा इस्पात के बटवारे के मामले में इस कम्पनी को प्राथमिकता दिये जाने की कोई सम्भावना है ?

उत्पादन मंत्री के सभा-सचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) कच्चा लोहा तथा इस्पात अब भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है। यह मांग तभी पूरी की जा सकती है जब कि ये पर्याप्त मात्रा में मिलने लगेंगे।

(ख) कोयला खानों से जो मांगें आती हैं उन पर कोयला आयुक्त कच्चे लोहे तथा इस्पात की सामान्य कमी को ध्यान में रखते हुए विचार करता है और उनके गुण-दोषों के आधार पर कोटा नियत किया जाता है। उत्पादन में वृद्धि करने की दृष्टि से इस कोयला खान की आवश्यकताओं का उचित ध्यान रखा जायगा।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : मैं जान सकता हूं कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कच्चा लोहा तथा इस्पात पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है, क्या सरकार का पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य कम करने का विचार है ?

श्री आर० जी० दुबे : भारत सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : योजना आयोग ने इस बात की सिपारिश नहीं की थी कि इन कोयला खानों में उत्पादन दस लाख टन बढ़ा दिया जाय । कोयले के कार्यकारी पक्ष ने इस प्रकार की एक सिपारिश की थी, और इस विशेष कोयला खान का लक्ष्य प्राप्त करने के मामले में बहुत से उपायों के सुझाव दिये । वे केवल कच्चा लोहा तथा इस्पात की आवश्यक मात्रा को प्राप्त करने के सम्बन्ध में नहीं हैं, किन्तु उन में उन द्वारा की गई बहुत सी सिपारिशें हैं, जो इस प्रकार हैं :

(क) रेलवे साइडिंग्स को बढ़ाना ;

(ख) एक नया स्क्रीनिंग प्लांट लगना;

(ग) कुछ और कोयला तोड़ने वाली मशीनों की व्यवस्था, करना, तथा

(घ) नई कोयला खानें चलाना, आदि ।

इन मामलों की ओर हैदराबाद सरकार का ध्यान दिलाया गया है, जिसकी ये खानें हैं और जो उन्हें चला रही है, और हमें हैदराबाद सरकार का उत्तर मिला है कि वह इन सिपारिशों पर विचार कर रही है, और इस विशेष कोयला खान में उत्पादन में वृद्धि करने के लिये उपाये ढूंढ ने का प्रयत्न कर रही है ।

हैदराबाद में बसों व लारियों के पुर्जों का सम्भरण

*६८८. **श्री टी० बी० विट्ठल राव :** क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) हैदराबाद सरकार के सड़क परिवहन विभाग ने लन्दन और संयुक्त राज्य अमरीका से बसों व लारियों के जो पुर्जे मंगवाये थे क्या वे आगये हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; तथा

(ग) क्या सरकार इंडिया स्टोर्स डिपार्टमेंट, लन्दन और सप्लाई मिशन, न्यूयार्क से मंगवाई गईं त्रैमासिक रिपोर्टें सदन-पटल पर रखेगी ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) से (ग). मैं सदन पटल पर एक विवरण रखता हूं जिसमें वर्तमान स्थिति बताई गई है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५७.**]

क्योंकि ये त्रैमासिक रिपोर्टें बहुत बड़ी हैं और उनमें बहुत सारे आंकड़े दिये हुए हैं, इसलिये यदि माननीय सदस्य उन्हें देखना चाहें तो मैं उन्हें दिखा सकता हूं ।

सम्भवतः इससे उनको सन्तोष हो जायेगा ।

श्री टी० बी० विट्ठलराव : जो जो चीज़ें माल मंगाने की सूची में होती हैं क्या उन्हें मंगाने का आर्डर भेजने से पूर्व सम्भरण के महानिदेशक उनकी छान बीन करते हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मैं समझता हूं कि कदाचित माननीय सदस्य को इस सम्बन्ध में कुछ भ्रम है और इसी लिये वह यह पूछ रहे हैं कि सम्भरण तथा उत्सर्जन के महानिदेशिक उन मदों की जांच करते हैं या नहीं । वास्तव में उनके पास मांगें तो अन्य लोगों से आती हैं और वह उनकी जांच करके ही विभिन्न मदों के सम्बन्ध में विभिन्न निर्माताओं को आर्डर भेजते हैं ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : मेरा प्रश्न यह था कि जब माल मंगाने के लिये चीज़ों की सूची प्राप्त होती है तो उसमें उल्लिखित मदों के सम्बन्ध में इंगलैण्ड और अमरीका आर्डर भेजने से पहले क्या इस बात की पड़ताल की जाती है कि उक्त चीज़ें भारत में प्राप्य हैं या नहीं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : जी हां, यह पड़ताल की जाती है ।

दामोदर घाटी निगम की कोयला खान

*६८९. **श्री पी० सी० बोस** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम ने एक कोयला खान पट्टे पर ली है ;

(ख) उस कोयला खान में से इस समय प्रति मास कितना कोयला निकाला जा रहा है ;

(ग) क्या दामोदर घाटी निगम का विचार कोयला खान में से कोयला निकालने के लिये, ठेकेदार नियुक्त करने का है ; तथा

(घ) यदि हां, तो उसके कारण ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) लगभग ६,००० टन प्रति मास।

(ग) जी हां, कोयला निकालने के लिये ठेकेदार की, अस्थायी आधार पर, नियुक्ति मई १९५३ में कोयला आयुक्त के परामर्श से की गई थी।

(घ) १९५१ में दामोदर घाटी निगम ने यंत्रीकृत खनन तथा कोयला निकालने के लिये इन्डियन माइनिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन कम्पनी को आर्डर दिया था। बाद में इस सार्थ का परिसमापन हो गया और निगम ने वभागिक रूप से कार्य करने का फैसला किया। निगम को आवश्यक परामर्श के लिये टी० सी० ए० की मार्फत एक खनि-विशेषज्ञ की सेवाएं भी प्राप्त हो गई हैं। ऐसे यंत्रीकृत खनन के लिये योजना तैयार हो जाने तक, दामोदर घाटी निगम के लिये, अस्थायी रूप से, यह आवश्यक हो गया कि वह बोकारो के बिजली घर को अपनी खानों से ठेके पर निकलवा कर कोयला दे।

श्री पी० सी० बोस : क्या सरकार ने कोयला खान में ठैका प्रणाली खत्म करने का फैसला कर लिया है ?

श्री हाथी : फरवरी १९५४ तक या इसके आगे पीछे ठेका खत्म कर दिया जायेगा।

प्रधान मंत्री की बाढ सहायता निधि

*६९० **श्रीमती कमलेन्दुमति शाह** : (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रधान मंत्री की बाढ़ सहायता निधि में से उत्तर प्रदेश को दी जाने के लिये कोई धनराशि मंजूर हुई है ?

(ख) यदि हां, तो कितनी; तथा क्या यह राशि पहाड़ी क्षेत्रों के लिये भी है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खान) : (क) जी हां।

(ख) प्र,ान मंत्री के सचिवालय से १५ नवम्बर, १९५३ को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी जिसमें यह बताया गया था कि इस वर्ष अगस्त में प्रधान मंत्री ने प्रधान मंत्री की राष्ट्रीय सहायता निधि में अंशदान करने की जो आम अपील की थी उसके बाद से प्रधान मंत्री की राष्ट्रीय सहायता निधि में कितनी राशियां प्राप्त हुईं तथा उसमें से कितनी दी गईं। जैसा कि प्रैस विज्ञप्ति में बताया गया है, उत्तर प्रदेश ने बाढ़ सहायता के लिये प्रधान मंत्री की राष्ट्रीय सहायता निधि में से १,६२,७२६ रुपये ८ आने दिये गये हैं। राज्यों के मुख्य मंत्रियों तथा। अथवा राज्यपालों को धन भेजते समय प्रधान मंत्री प्राय: किन्हीं क्षेत्रों का उल्लेख नहीं करते। सामान्यत: यह धन राज्यपाल तथा। अथवा मुख्य मंत्री द्वारा ऐसे क्षेत्रों में व्यय किया जाता है जहां सहायता की सबसे अधिक आवश्यकता हो।

श्रीमती कमलेन्दुमती शाह : क्या राज्यपाल से यह पता लगाया जा सकता है कि टिहरी-गढ़वाल के इलाके को कितनी राशि दी जायेगी ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : प्रधान मंत्री की राष्ट्रीय सहायता निधि में कोई धन सीधे ही कुछ विशेष जिलों के लिये नहीं दिया जाता । इन बातों का फैसला तो स्वयं राज्य सरकारें करती हैं । हां, कभी कभी अनौपचारिक रूप से यह बता दिया जाता है कि अमुक क्षेत्र को इसकी बहुत आवश्यकता है ।

डा० लंका सुन्दरम् : प्रधान मंत्री की राष्ट्रीय सहायता निधि में से कितना धन गोदावरी की बाढ़ से क्षतिग्रस्त लोगों को सहायता देने के लिये दिया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न उत्तर प्रदेश के विषय में है, अतः हमें उस राज्य तक ही सीमित रहना चाहिये ।

श्री फीरोज गांधी : क्या माननीय सभा-सचिव कृपया यह बताएंगे कि वे पहाड़ कौन कौन से थे जो बाढ़ग्रस्त हो गये ?

श्री सी० डी० पांडे : पहाड़ों पर कोई बाढ़ नहीं आई है ।

श्री फीरोज गांधी : प्रश्न के भाग (ख) में पहाड़ी क्षेत्रों की ओर निर्देश किया गया है । क्या माननीय सभा-सचिव बताएंगे कि किन किन पहाड़ों पर बाढ़ आई थी ?

अध्यक्ष महोदय: उस प्रश्न का यह उत्तर दिया गया था कि राशि देते समय किसी क्षेत्र विशेष का उल्लेख नहीं किया जाता । यह राज्यपाल को दे दी जाती है ।

विस्थापित व्यक्तियों के निक्षेप

***६९१. बाबू रामनारायण सिंह** (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल में भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों देशों के विस्थापित व्यक्तियों की चाल सम्पति के सम्बन्ध में जो करार हुआ है क्या उसके अनुमोदित तथा अनुसमर्थित पदों में विस्थापित व्यक्तियों की सेफ डिपाज़िट वाल्टों में जमा सम्पति का विषय भी सम्मिलित है ?

(ख) यदि हां, तो यह मामला अब किस अवस्था पर है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) तथा (ख). सेफ़ डिपाज़िट वस्तुओं के हस्तान्तरण के प्रश्न पर चर्चा तो की गई थी, परन्तु कोई समझौता न हो सका । हां, यह फैसला किया गया कि निकट भविष्य में इस सम्बन्ध में बात चीत फिर से जारी की जायें ।

श्री गिडवानी : जो निष्क्रमणार्थी यहां से पाकिस्तान चले गये हैं क्या वे भारत में सेफ़ डिपाज़िट वाल्टों में जेवर या नकदी छोड़ गये हैं और यदि छोड़ गये हैं तो उनका मूल्य क्या है ?

श्री ए० पी० जैन : हमें यह नहीं पता कि सेफ़ डिपाज़िट वाल्टों में क्या क्या रखा है अतः हम उनका मूल्य नहीं बता सकते ।

मोटर कारें

***६९२. श्री जेठालाल जोशी :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड द्वारा वर्ष १९५२-५३ में कितनी मोटर कारें जोड़ी गईं तथा कितनी निर्मित की गईं ?

(ख) भारत में बनी कार का मूल्य कितना है और वह उसी प्रकार की आयातित कार के मूल्य की तुलना में कैसा है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) मैसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड इस समय "हिन्दुस्तान १४" पैसेंजर कार के इंजन आदि के काफ़ी हिस्से खुद बना रही है और बाकी के हिस्से बाहर से मंगाती रही है । जहां तक "स्टूडीबेकर" कारों का सम्बन्ध है, वह लगभग सब महत्वपूर्ण हिस्से खुले हुए

रूप में बाहर से मंगवा रही है और उन्हें यहां जोड़ कर कार तैयार की जाती है।

१९५२-५३ में उसने ९०५ "हिन्दुस्तान १४" कारें और १०१ "स्टूडी बेकर" कारें तैयार कीं।

(ख) बनी बनाई कारों के आयात की अनुमति नहीं है। इसलिये सब कारें देश में ही जोड़ कर तैयार की जाती हैं, फ़र्क केवल इतना है कि "हिन्दुस्तान १४" कार में देश में तैयार किये गये हिस्से भी पर्याप्त मात्रा में लगाये जाते हैं। "हिन्दुस्तान १४" का वर्तमान सूची मूल्य १०,४७५ रुपये है। उसी वर्ग की अन्य कारों की कीमतें इस प्रकार हैं: आस्टिन ए ४०––११,४४० रुपये; हिलमैन मिंक्स––११,२३५ रुपये।

श्री जेठालाल जोशी: हमारा देश मोटर कारों के निर्माण में आत्मनिर्भर कब तक हो जायेगा?

श्री करमरकर: इन विषयों में हम पहले से कोई अनुमान नहीं लगा सकते। परन्तु मुझे माननीय सदस्य को यह बताते हुए प्रसन्नता है कि "हिन्दुस्तान १४" के कोई ५५ प्रतिशत हिस्से देश में ही बनते हैं।

श्री पी० सी० बोस: क्या मैं इसका उत्पादन व्यय जान सकता हूं?

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न का घंटा समाप्त हुआ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

निष्क्रान्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में भारत–पाकिस्तान करार

(अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५). सरदार हुक्म सिंह: क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या पाकिस्तान ने १ दिसम्बर, १९५३ से प्रभावी होने वाले निष्क्रान्त सम्पत्ति से सम्बन्धित हाल ही के करार को क्रियान्वित करने में अपनी असमर्थता प्रकट की है;

(ख) क्या पाकिस्तान ने स्वयं इस दिनांक से इस करार को क्रियान्वित करने का सुझाव दिया था; तथा

(ग) इस करार के निबन्धन क्या थे?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन): (क) तथा (ख): चूंकि इस सम्बन्ध में समाचार-पत्रों में कुछ विवादास्पद समाचार छपे हैं, इसलिए मैं संक्षिप्त रूप से तथ्यों का उल्लेख करूंगा। कराची में हुए करार कि पुष्टी करते हुए भारत सरकार ने ४ सितम्बर १९५३ को लिखा था कि इस करार को १ अक्तूबर १९५३ से क्रियान्वित किया जायगा। पाकिस्तान सरकार ने २ नवम्बर के अपने उत्तर में चल सम्पत्ति सम्बन्धी विनिश्चयों का अनुसमर्थन करते हुए लिखा कि वह इसे १ दिसम्बर से क्रियान्वित करना आरम्भ करेंगे। भारत सरकार को उनका संदेश ९ नवम्बर को मिला। उन्होंने यह तारीख मान ली और २३ नवम्बर को पाकिस्तान सरकार को इस बात की सूचना दी। बाद में कराची से प्राप्त समाचारों से जो सरकारी स्रोतों से जारी हुए प्रतीत होते थे पता चला कि पाकिस्तान सरकार १ दिसम्बर से इसे क्रियान्वित नहीं कर सकेगी जैसे कि उन्होंने पहले कहा था। परन्तु वहां से इस सम्बन्ध में सरकारी तौर पर कोई संदेश प्राप्त नहीं हुआ है।

चूंकि भारत सरकार इस करार को कार्यरूप देने को उत्सुक थी, इसलिए हम ने कहा कि हम दोनों सरकारों के लिये क्रियान्वित सम्बन्धी समान अनुदेशों का मसविदा तैयार कर सकते हैं जो कि यह सरकारें अपने अधीनस्थ अधिकारियों को जारी करेगी। ४ दिसम्बर को पाकिस्तान सरकार ने एक तार भेजा जिसमें कहा गया कि वह इन विनिश्चयों को उस समय क्रियान्वित करने के लिये तथा इस सम्बन्ध

में तारीख निश्चित करने के लिये तैयार होंगे जब कि उन्हें अनुदेशों का मसविदा प्राप्त होगा। भारत सरकार ने ६ दिसम्बर १९५३ को यह अनुदेश पाकिस्तान सरकार के पास भेज दिये।

(ग) एक विवरण जिस में कि उल्लिखित करार की उन बातों का सविस्तार वर्णन किया गया है जिनके विषय में क्रियान्विति १ दिसम्बर से आरम्भ होनी थी, सदन पटल पर रख दिया जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५८]**

सरदार हुक्म सिंह : चल सम्पत्ति के सम्बन्ध में दोनों सरकारों के बीच और किन किन ऐसी बातों पर चर्चा हुई थी जिनके बारे में कि कोई फैसला नहीं हो सका ?

श्री ए० पी० जैन : मैं इस प्रश्न को ठीक तरह से नहीं सुन सका हूं।

अध्यक्ष महोदय : सम्पत्ति के सम्बन्ध में कुछ और भी बातें थीं जिन पर कि कोई फैसला नहीं हो सका है वह क्या बातें थीं ?

श्री ए० पी० जैन : श्रीमान्, चार बातों के सम्बन्ध में समझौता नहीं हो सका जो कि यह हैं :—

(१) लाकर्स और सेफ़ डिपाज़िट्स का सामूहिक यातायात ;

(२) सम्पत्तियों की बहाली, तथा संयुक्त स्कंध समवायों के कस्टोडियनों द्वारा आवंटित अथवा अर्जित चल सम्पत्ति के प्रतिकर का भुगतान;

(३) शेयरों, सिक्युरिटियों, ऋण-पत्रों, बीमा पालिसियों आदि की बहाली; तथा

(४) भारत में निष्क्रमणार्थियों के लेखों का हस्तांतरण।

सरदार हुक्म सिंह : क्या इन बातों को भविष्य के किसी सम्मेलन में तय किया जायेगा या कि इन्हें इसलिये छोड़ दिया गया है कि इनके हल होने की कोई आशा नहीं ?

श्री ए० पी० जैन : दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों के अगले सम्मेलन में इन चार बातों पर चर्चा किये जाने की आशा है।

श्री गिडवानी : श्रीमान्, क्या पाकिस्तान द्वारा लगाया गया यह आरोप सही है कि इस करार को क्रियान्वित करने में देर इसलिए हुई कि भारत सरकार ने इसके मसविदे में कुछ फेर बदल किया है ?

श्री ए० पी० जैन : यह गलत है।

श्री गिडवानी : क्या पोस्टल इन्शोरेंस, भविष्य-निधि, पेन्शन आदि के सम्बन्ध में भी कोई करार हुआ था ?

श्री ए० पी० जैन : जी हां।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पंजाब में हस्तकरघा उद्योग

*६५१. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अखिल-भारतीय हस्थ-करघा बोर्ड ने पंजाब में हस्तकर्घा उद्योग को कहां तक तथा किस प्रकार का प्रोत्साहन तथा सहायता दी है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : पंजाब सरकार ने हाल ही में इस सम्बन्ध में अपनी योजनायें अखिल-भारतीय हस्तकर्घा बोर्ड को पेश की हैं। बोर्ड इन पर विचार कर रहा है।

भाकड़ा-नंगल परियोजना

*६५२. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भाकड़ा-नंगल परियोजना के लिए कितना विदेशी ऋण लिया गया है तथा कितने ब्याज पर लिया गया है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): इस परियोजना के लिए कोई विदेशी ऋण नहीं लिया गया है ।

भाकड़ा-नंगल परियोजना (बिजली-उत्पादन)

*६५३. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **सिचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भाकड़ा नंगल परियोजना से अगले दो वर्षों में कितनी बिजली प्राप्त होने का अनुमान है; तथा

(ख) इस में से कितनी मात्रा खर्च होने का अनुमान है

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) १९५५-५६ तक ७०,००० किलोवाट ।

(ख) राज्य सरकार के पूर्वानुमान के अनुसार १९५५-५६ तक ४६,६०० किलोवाट विद्युत-शक्ति खर्च होगी ।

गोआ

*६६५. **श्री एम० आर० कृष्ण** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि गोआ में पिछले कुछेक महीनों में पुर्तगाली सेना की संख्या काफी बढ़ा दी गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खान) : हमें सूचना मिली है कि गोआ में पुर्तगाली सेना की संख्या बढ़ा कर इसे मजबूत बनाया गया है तथा टैंकों, तोपों आदि अस्त्रों से इसे सुसज्जित किया गया है ।

नमक

*६७१. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग :

(क) क्या भारत सरकार बिना लाइसेंस नमक के उत्पादन पर कुछ निर्बन्धन लगाने का विचार रखती है ; तथा

(ख) क्या सरकार देश भर में नमक पर लगे उपकर की दर को समान रूप करने का विचार रखती है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) तथा (ख) . यह दोनों प्रश्न इस समय भारत सरकार के विचाराधीन हैं ।

तटस्त राष्ट्र वापसी आयोग

*६७५. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि क्या हमारे समाचार पत्रों ने कुछ प्रमाणित भारतीय संवाददाता तटस्थ राष्ट्र वापसी आयोग के साथ रखे हैं ?

(ख) यदि रखे हैं, तो इनकी संख्या क्या है ?

(ग) भारतीय समाचार पत्रों ने अमरीकी पत्रिका "स्टार्स एंड स्ट्राइप्स" के फोटोग्राफ तथा शीर्षक को कैसे प्रकाशित किया ?

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खान) :(क) तथा (ख). दो भारतीय समाचार पत्रों ने तथा एक भारतीय समाचार एजंसी ने अपने संवाददाता कोरिया भेज हैं । वैसे तो तटस्थ राष्ट्र वापसी कमीशन के लिये कोई संवाददाता प्रमाणित नहीं किये जाते हैं । वह या तो संयुक्त राष्ट्र कमान के लिये अथवा चीनी तथा कोरियाई कमान के लिये अथवा दोनों कमानों के लिये प्रमाणित होते हैं । भारतीय संवाददाता संयुक्त राष्ट्र कमान के लिये प्रमाणित हैं तथा वह निःशस्त्रीकृत क्षेत्र से काम करते हैं ।

(ग) कुछ भारतीय समाचार पत्र विदेशी समाचार एजंसियों द्वारा परिचालित फोटोग्राफ प्रकाशित करते हैं । इस विशिष्ट

फोटोग्राफ़ के सम्बन्ध में जो गलत शीर्षक दिया गया था वह एक विदेशी समाचार एजंसी ने परिचालित किया था ।

(घ) कोरिया स्थित भारतीय अभि-रक्षा-सेना के सेनापति ने इस विदेशी समाचार एजंसी का ध्यान उस भ्रांतिजनक शीर्षक की ओर दिलाया जो कि ३० सितम्बर, १९५३ की "स्टार्स एंड स्ट्राइप्स" पत्रिका ने अपने कोरिया संस्करण में प्रकाशित किया था। ४ अक्तूबर, १९५३ को इसका सरकारी तौर पर खंडन भी किया गया जो भारत के समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया, इस विदेशी समाचार एजंसी ने जनलर थोरट के पास अपना माफ़ी-नामा भेज दिया तथा "स्टार्स एंड स्ट्राइप्स" ने मौखिक रूप से इस गलती पर अपना खेद प्रकट किया ।

लाख

*६८२. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष की मंदी के बाद लाख उद्योग की स्थिति सुधर गई है ;

(ख) अमरीका को जो लाख निर्यात की जाती थी, क्या उसमें भारी कमी हुई है ; तथा

(ग) यदि हुई है, तो इसके कारण क्या हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) गत अप्रैल से स्थिति कुछ कुछ सुधरती दिखाई देती है ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् । प्राप्त आंकड़ो के अनुसार चालू वर्ष में अमरीका को भेजी गई लाख की मात्रा १९५२-५३ के स्तर पर ही रखी जा रही है, परन्तु १९५१-५२ के मुकाबिले में इस में कुछ कमी हुई है ।

(ग) मुख्य कारण मांग का घट जाना है । दूसरा कारण यह भी है कि इस के स्थान पर जो दूसरी चीजें काम में लाई जाती हैं उनकी ओर से भी प्रतियोगिता बढ़ती जाती है ।

रिग्स् मशीनों का आयात

*६८४. **डा० अमीन** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या बम्बई सरकार ने नल-कूपों के निर्माण के सम्बन्ध में दो रिग्स् मशीनें आयात करने की अनुमति मांगी है ?

(ख) प्रति मशीन का मूल्य क्या है ?

(ग) क्या सरकार का इरादा इन मशीनों के आयात की अनुमति देने का है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां ।

(ख) लगभग ४,५७,००० रु० ।

(ग) मामला अभी विचाराधीन है ।

भारत-पाकिस्तान सम्मेलन

*६९३. **श्री कासलीवाल** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) जुलाई-अगस्त, १९५३ में धार्मिक स्थानों के सम्बन्ध में हुये भारत-पाकिस्तान सम्मेलन में जो समझौता हुआ था उसका क्या पाकिस्तान सरकार ने अनु-समर्थन किया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : जुलाई-अगस्त १९५३ के हाल के समझौते में यह निर्णय हुआ था कि निम्नलिखित बारे में दोनों सरकारें आवश्यक कदम उठायेंगी :

(१) पूजा स्थानों, विशेषकर ऐतिहासिक

महत्व के अथवा विशेष धार्मिक महत्व के, की रखवाली, देखरेख तथा संरक्षण ;

(२) इन स्थानों पर जाने वाले यात्रियों को सुविधायें तथा सेवादारों व खादिमों को पर्याप्त संरक्षण तथा आवास सम्बन्धी सुविधायें ; और

(३) धार्मिक तथा पवित्र स्थानों से सम्बद्ध सम्पत्ति का प्रबन्ध तथा उपयोग ट्रस्ट सम्पति समित्ति से दोनों सरकारों द्वारा ले लिया जाय तथा मामलों को शीघ्र निर्णीत करने के लिये वे परस्पर विचार विनिमय करें ।

जब कि दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों द्वारा लिये गये निर्णय की स्वीकृति भारत सरकार ने भेज दी है, पाकिस्तान सरकार ने उपर्युक्त (३) का अनुसमर्थन करते हुये कहा है कि (१) और (२) के सम्बन्ध में उसके विचार पृथक रूप से भेज दिये जायेंगे ।

(ख) पाकिस्तान सरकार से निर्णयों की स्वीकृति शीघ्र भेजने को कहा गया है ।

सीमा प्रदेशीय घटना

*६९४. { **श्री एस० एन० दास** :
श्री भागवत झा :

(क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि नवम्बर १९५३ में पुर्निया (बिहार) सीमा के निकट पाकिस्तानी पुलिस द्वारा एक भारतीय प्रजा-जन को गोली मार दी गई ?

(ख) यदि हां, तो यह घटना किन परिस्थितियों में हुई थी ?

(ग) इस मामले में क्या कदम उठाये गये हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खान) : (क) जी, हां ।

(ख) १२ नवम्बर, १९५३ को दोपहर के लगभग, तीन पाकिस्तानी सशस्त्र पुलिस मैन तथा एक मछिहारा पुर्निया जिले के मंडल बस्ती गांव में घुस आये तथा आइनुद्दीन नामक ग्रामीण के धान के खेत में भरे पानी में मछली पकड़ना प्रारम्भ कर दिया । अपने नौकर द्वारा इसकी सूचना मिलने पर आईनुद्दीन चौकीदार तथा अन्य तीन ग्रामीणों को साथ लेकर, जिनमें बशीरुद्दीन नामक एक व्यक्ति भी था, खेत में गये । उन्हें देखकर पाकिस्तानियों ने मछली पकड़ना बंद कर दिया तथा पकड़ी हुई मछलियों को लेकर सीमा की ओर जाने लगे । किन्तु चौकीदार तथा उसके साथी पाकिस्तानी दल सामने आये और उनसे पूछा कि वे भारतीय क्षेत्र में क्यों आये तथा आईनुद्दीन के खेत में क्यों मछलियां पकड़ रहे थे । इस पर पाकिस्तानी पुलिस मैन नाराज हो गये और उनमें से एक ने अपनी राइफल से चौकीदार पर आक्रमण किया जिससे उसके चोट आई । इस पर चौकीदार ने आक्रमणकारी पर अपनी लाठी से प्रहार किया जिससे वह गिर गया तथा राइफल उसके हाथ से छूट गई । बशीरुद्दीन ने उसकी राइफल उठा ली और गांव की ओर भागना शुरू किया । एक दूसरे पाकिस्तानी पुलिस मैन ने उस पर गोली चलाई जो बशीरुद्दीन की गरदन में लगी और वह लड़खड़ा कर गिर पड़ा । इस पर अन्य भारतीय जन गांव की ओर भाग गये और पाकिस्तानी भी अपने घायल साथी को लेकर पाकिस्तानी क्षेत्र में भाग गये । भारतीय तब वापस लौटे और बशीरुद्दीन को एक निकट वर्ती वृक्ष के पास ले गये जहां उसकी मृत्यु हो गई ।

(ग) पुर्निया के जिलाधीश ने पूर्वी बंगाल के अपने प्रति-जिलाधीश से दुर्घटना पर शीघ्र ही संयुक्त जांच करने का निवेदन किया है । पाकिस्तान में हमारे हाई कमिश्नर ने पाकिस्तानी पुलिस द्वारा भारतीय सीमा

के अतिक्रमण करने पर तथा एक भारतीय नागरिक को मारने पर विरोध पत्र भेजा है । उन्होंने पाकिस्तान सरकार से यह भी प्रार्थना की है कि मामले की जांच करने के तथा अपराधियों को सजा देने के लिये शीघ्र कदम उठाये जायें तथा मृतक के परिवार वालों को समुचित मुआवजा दिया जाये । ढाका में हमारे डिप्टी हाई कमिश्नर ने भी पूर्वी बंगाल सरकार को विरोध पत्र भेजा है ।

नमक की फैक्टरियां

***६९५. श्री सी० आर० नरसिंहन** क्या : **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उन नमक की फैक्टरियों के नाम जिनका उत्पादन सन् १९५२ और १९५३ में मानव उपयोग के लिये प्रतिषिद्ध कर दिया गया था तथा प्रति वर्ष कितना उत्पादन प्रतिषिद्ध किया गया और कुल वार्षिक उत्पादन क्या था ;

(ख) इस प्रतिषेध के परिणामस्वरूप कितने मजदूर प्रभावित हुये ;

(ग) जो मजदूर बेकार हो गये थे, क्या सरकार ने उन्हें रोजगार दिलाने के लिये कोई पग उठाये हैं ; और

(घ) उन फैक्टरियों के नाम जिन्होंने कि विदेशों को तथा कलकत्ता को समुद्र द्वारा नमक का निर्यात किया तथा प्रत्येक देश को और कलकत्ते को, पृथक-पृथक सन् १९५१, १९५२ व १९५३ में कितना निर्यात किया गया ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५९**]

(ख) और (ग) प्रतिषेध द्वारा प्रभावित मजदूरों को संख्या के विषय में सरकार को ठीक-ठीक जानकारी नहीं है । किन्तु सरकार को यह विश्वास करने का कारण है यह संख्या बहुत कम है । यह कम संख्या भी एकदम बिलकुल बेकार नहीं हुई है । सामान्यतः ये मजदूर पास की नमक की फैक्टरियों में काम कर लेते हैं ।

(घ) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५९**]

पंचवर्षीय योजना (अनुवाद)

***६९६. श्री सी० आर० नरसिंहन** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) प्रकाशन विभाग की पुस्तिका 'फाइव ईयर प्लान, क्वैश्चन्स एण्ड आनसर्स' का किन किन भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो चुका है अथवा करने का विचार है ; और

(ख) मूल पुस्तिका तथा अनुवाद के मध्य कितने समय का अंतर होगा ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) पुस्तिका हिन्दी में प्रकाशित हो चुकी है । इसे आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तामिल, तेलगू तथा उर्दू में प्रकाशित करने का प्रबन्ध भी किया गया है ।

(ख) हिन्दी संस्करण मई, १९५३ में मूल अंग्रेजी संस्करण के साथ साथ प्रकाशित किया गया था । शेष १२ भाषाओं के संस्करण, जो प्रेस में हैं (कश्मीरी संस्करण के अतिरिक्त जिसमें लगभग चार महीने लगेंगे) इस महीने प्रकाशित हो जाने की आशा है ।

जम्मू तथा काश्मीर के लिये सामुदायिक परियोजना

३०४. ठाकुर लमक्ष्ण सिंह चरक : (क) क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जम्मू तथा काश्मीर राज्य को भी सामुदायिक परियोजना क्षेत्र में ले लिया गया है ?

(ख) इस के लिए कौन कौन से क्षेत्र चुने गये हैं और क्या पूरी योजना भारत सरकार के प्रभार में चलेगी या राज्य सरकार के ?

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा सामुदायिक परियोजना के लिये कितनी राशि स्वीकृत की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) हां ।

(ख) वे क्षेत्र लद्दाख, मानसर और बडगाम जिलों में स्थित हैं । योजना राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जायेगी ।

(ग) योजना के लिये भारत सरकार द्वारा कोई निश्चित राशि स्वीकृत नहीं की गई है, किन्तु राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया है कि अपना हिस्सा जोड़ने के लिये अन्य राज्यों द्वारा अपनाया गया व्यय का ढांचा मान लिया जायेगा । सामान्यत: राज्य के लिये स्वीकृत सामुदायिक परियोजना के विकास क्षेत्रों पर होने वाला व्यय तीन वर्षों में ६५ लाख रुपयों से अधिक नहीं होना चाहिये और हमारा हिस्सा लगभग २२.७२ लाख रुपये होगा । भुगतान के लिये व्यवस्था यह है कि हम अपना हिस्सा वास्तविक व्यय के आधार पर देते हैं और यह राशि "काश्मीर को सहायता" के खाते में लिखी जाती है ।

प्रस संवाददाता

३०५. श्री वी० पी० नायर : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री सदन पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे, जिमें भारत सरकार से मान्यता प्राप्त प्रेस संवाददाताओं के विषय में निम्न ब्योरे बताये गये हों :

(१) संवाददाता का नाम ;

(२) समाचार पत्र या समाचार पत्रों, या समाचार एजेंसी का नाम, जिसके लिये मान्यता मिली है ; तथा

(३) पत्र कारिता के वास्तविक अनुभव के वर्षों की संख्या ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (१) तथा (२) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६१]** । (३) विदेशी प्रेस संवाददाताओं तथा भारतीय समाचार पत्रों या समाचार एजेंसियों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रेस संवाददाताओं को मान्यता प्रदान करने के नियमों की एक प्रति सदन पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६२]**

नदी घाटी परियोजनायें (बिजली का उत्पादन)

३०६. श्री वी० पी० नायर : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भाखड़ा नांगल, दा० घा० निगम, तथा हीराकुड परियोजनाओं में इस समय बिजली की प्रति यूनिट मध्यमान उत्पादन लागत लगभग कितनी है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण साथ संलग्न किया जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६३]**

अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड

३०७. श्री वी० पी० नायर : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सदन पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे, जिसमें निम्न बात दी गई हों :

(१) सरकार द्वारा दिसम्बर,

१६५२ में बनाये गये अखिल भारतीय हथ-करघा बोर्ड की कार्य-प्रणाली के ब्योरे ;

(२) बोर्ड द्वारा विविध राज्यों से विचारार्थ प्राप्त हुई योजनायें ; तथा

(३) अब तक बोर्ड के परामर्श पर या तदनुसार दी गई वित्तीय सहायता के ब्योरे ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : तीन विवरण संलग्न किये जाते हैं। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या** ६४]

शार्क लिवर तेल

३०८. श्री वी० पी० नायर : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १६ अगस्त, १९५३ को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या ३४३ के उत्तर का निर्देश करेंगे तथा यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) मूल प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट १९५० से १९५२ तक के वर्षों में उत्पादित शार्क लिवर तेल का प्राक्कलित मूल्य ;

(ख) शार्क लिवर तेल की इस मात्रा का उत्पादन करने के लिये लगाये गये कामकरों की संख्या और उनकी प्रति व्यक्ति मासिक आय ;

(ग) क्या तेल के उत्पादकों को उत्पादित मात्रा के विषय में सरकार को सूचित करना पड़ता है या कुछ शुल्क या उपकर देना होता है ; तथा

(घ) १९४७-४८ से १९५१-५२ तक आयातित मत्स्य-तेल का मूल्य ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) ९.४५ लाख रुपये (लगभग), जैसा कि उत्पादकों द्वारा बताया गया है।

(ख) सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) शार्क लिवर तेल के उत्पादक, जहां तक विदित है, कुछ शुल्क या उपकर नहीं देते। वे सरकार को उत्पादन के आंकड़े स्वेच्छा से बता देते हैं।

(घ) जानकारी बताने वाला एक विवरण सलग्न किया जाता है [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या** ६५]

नारियलजटा

३०९. श्री वी० पी० नायर : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में १९५२-५३ में उत्पादित नारियल जटा के सूत, नारियल-जटा और उसके माल की कुल मात्रा; तथा

(ख) नारियल-जटा-उद्योग के एक कामकर की मध्यमान प्रति व्यक्ति मासिक आय ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). एक विवरण संलग्न किया जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या** ६६]

छोटे पैमाने के उद्योग

३१०. डा० अमीन : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा छोटे पैमाने के उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिये क्या ठोस पग उठाये गये हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : एक विवरण संलग्न किया जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या** ६७]

संगमरमर की खानें तथा कारखाने

३११. श्री बलवन्त सिंह महता : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि मकराने की संगमरमर की खानों तथा कारखानों को

समय पर आवश्यकतानुकूल एस० एस० स्टील प्लेट्स न मिलने के कारण पत्थरों की चिराई में बाधा पड़ने से कई लोग बेकार हो जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें पर्याप्त मासिक कोटा देने पर विचार कर रही है ; तथा

(ग) यदि हां, तो इस बारे में कब तक विनिश्चय होने की आशा है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : ऐसी कोई शिकायत सरकार के ध्यान में नहीं लाई गई है ।

(ख) तथा (ग). यदि इस विषय में आवेदन प्राप्त हुआ, तो इस पर विचार किया जाएगा और अविलम्ब कुछ निर्णय किया जाएगा ।

स्वायत्त निगम

३१२. श्री सिंहासन सिंह : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) सरकार द्वारा १५ अगस्त, १९४७ के बाद से नियुक्त किए गए स्वायत्त निगमों के नाम तथा संख्या ;

(ख) सरकार तथा निजी एजेंसियों द्वारा क्या कुछ राशि विनियोजित की गई है, और यदि हां, तो कितनी ;

(ग) इन निगमों के संचालकों के निर्वाचन का तरीका तथा इस प्रकार निर्वाचित या नामनिर्देशित होने के लिये अपेक्षित अर्हताएं ;

(घ) ये संचालक तथा निगम किसके प्रति उत्तरदायी हैं; तथा

(ङ) उनको किस प्रकार हटाया जा सकता है और कौन हटा सकता है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): अनुमानत: माननीय सदस्य निजी संयुक्त कम्पनियों के रूप में संगठित राज्य-उपक्रमों तथा स्वायत्त निगमों के विषय में जानकारी चाहते हैं । संबंधित विविध मन्त्रालयों से जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सदन पटल पर रख दी जाएगी।

हथकरघे के कपड़े

३१३. श्री अनिरुद्ध सिंह : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९४८ से जून १९५३ तक प्रतिवर्ष निर्यात किये गये हथकरघे के कपड़े की मात्रा तथा मूल्य कितना है और वह किन किन देशों को निर्यात किया गया था ?

(ख) हथकरघे के कपड़े का प्रचार करने के लिये विदेशों में अपने व्यापार प्रतिनिधियों द्वारा सरकार ने क्या काय किये हैं ?

(ग) विदेशों में हथकरघे के किस प्रकार के कपड़े की अधिक मांग है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) एक विवरण सम्बद्ध किया जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६८**]

(ख) विदेशी बाज़ारों में हथकरघे के कपड़े की बिक्री बढ़ाने के लिये विदेशी बाज़ारों में चीज़ें बेचने के लिये एक संगठन की स्थापना करने की अनुमति दे दी गई है । कोलम्बो, बगदाद, रंगून तथा सिंगापुर में अधिकारी नियुक्त किये जायेंगे और वे भारतीय निर्यात कर्त्ताओं तथा विदेशी आयात कर्त्ताओं के बीच सम्पर्क अधिकारियों के रूप में कार्य करेंगे । कोलम्बो, रंगून, सिंगापुर, चिटगांव, अदन तथा बैंगकोक में हथकरघे के कपड़े के वाणिज्यालय खोलने का भी विचार है । भारत सरकार के व्यापार आयुक्तों से नमूनों का, जो कि कपड़ा आयुक्त के द्वारा वहां भेजे जाते हैं, प्रदर्शन करने के

निमित्त प्रदर्शन कक्ष खोलने तथा जहां आवश्यक हो, उन नमूनों की चीज़ों को बेचने के लिये भी कहा गया है ।

(ग) लुंगी, सरंग, गमचे, सजाने के कपड़े, बैडकवर्स, टेबुल क्लाथ, नैपकिन, डस्टर, टेपस्ट्री क्लाथ, वोइल, कमीज़ों का भूरा तथा सफेद कपड़ा, चादरें, पर्दे, तौलिये तथा तौलिये के कपड़े, गीद्यम, कम्बल, मद्रास के रूमाल तथा किमखाब ।

आल इण्डिया रेडियो का देहाती कार्यक्रम

३१४. सरदार हुक्म सिंह: क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऑल इन्डिया रेडियो अपने देहाती कार्यक्रम को किन किन बोलियों में प्रसारित करता है ;

(ख) क्या इन कार्यक्रमों को भविष्य में और अधिक बोलियों द्वारा प्रसारित करने का विचार है ; तथा

(ग) यदि ऐसा है, तो वे अन्य बोलियां कौन सी हैं जिन्हें इसमें सम्मिलित करने का विचार है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) से (ग). एक विवरण, जिसमें यह सूचना दी हुई है, सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६९]**

आयात

३१५. सेठ गोविन्द दास: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५२-५३ में निम्न वस्तुओं की कितनी कितनी मात्रा भारत में आयात की गई :

(१) सुरा,

(२) डिब्बों में सुरक्षित भोजनादि की वस्तुएं,

(३) दुग्ध या दुग्ध पदार्थ,

(४) रेशम,

(५) सिगार व सिग्रेट,

(६) खिलौने,

(७) प्लास्टिक का सामान ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : एक विवरण सम्बद्ध किया जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७०]**

जड़ी-बूटियां (निर्यात)

३१६. श्री वी० पी० नायर: (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५०, १९५१, १९५२ तथा १९५३ में भारत से निर्यात की गई जड़ी बूटियां तथा उनके हिस्सों का मूल्य कितना था तथा प्रत्येक देश को किये गये निर्यात के मूल्य का व्यौरा क्या है ?

(ख) भारतीय औषधिनिर्माण उद्योग की जड़ी बूटियों से तैयार किये जाने वाले रसायनों के मामले में आवश्यकता कितनी है ?

(ग) क्या सरकार ने भारत में जड़ी बूटियों से बनाये जाने वाले रसायनों के निर्माण करने की सम्भावना की जांच की है और यदि ऐसा है, तो इस प्रकार की जांच की विस्तृत बातें क्या हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) चूंकि औषधि-निर्माण के काम में आने वाली जड़ी बूटियों के निर्यात के आंकड़ों का सरकारी आंकड़ों में पृथक् उल्लेख नहीं किया जाता, इसलिये मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) केवल निम्नलिखित रसायनों के बारे में ही सूचना उपलब्ध है :

रसायन	अनुमानित वार्षिक आवश्यकतायें
कुनेन तथा इसके	४६,००० पौंड
लवण ऐफेड्रीन	३०० पौंड

रसायन	**अनुमानित वार्षिक आवश्यकतायें**
ऐमेटीन	२५० पौंड
सैन्टोनीन	१३०० पौंड
ऐट्रोपाइन सल्फेट	५० पौंड

(ग) जी हां। कुनैन और इसके लवण, ऐफेड्रीन, सैन्टोनीन और इसके लवण, ओपियम अल्का लॉयड, ऐर्गोट, बैलाडोना सार तथा कैफीन और इसके लवण भारत में बनाये जा रहे हैं। केन्द्रीय औषधि अनुसन्धान संस्था, लखनऊ में विभिन्न रोगों में लाभदायक समझी जाने वाली निम्नलिखित जड़ी बूटियों पर अनुसन्धान किया जा रहा है :

(१) ऐलेन्थस मैलाबैरिका
(२) ऐमब्लिका ऑफिशिनैलिस
(३) ऐचाइरेंथेस ऐसपेरा
(४) सिसम्पैलोस पेरैरा
(५) काटीवा नरवाला
(६) नार्डीस्टाच्यास जटामंशी
(७) स्टैफाया ग्लैब्रा
(८) सीसालपिन्या डिजना
(९) सेन्टापेडा ऑर्बिकुलेरिस
(१०) मिलोडिनस मोनोजिमस
(११) सेफेलैन्ड्रा इन्डिका
(१२) साइक्ली बर्मेनाई
(१३) रिवी कुनीटा
(१४) पिक्रोरिज़ा कुरी
(१५) रुओवोल्फ़िया सर्पेन्टिना
(१६) रुओवोल्फिया कनेसन्स
(१७) डिजिलालिस लानाटा।

भाकरा नांगल परियोजना

३१७. श्री डी० सी० शर्मा : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) (१) निर्माण अवधि के सम्बन्ध में भाकरा नांगल परियोजना की प्रक्कलित राशि कितनी है, (२) कितने एकड़ भूमि में सिंचाई होगी, (३) कितनी बिजली पैदा होगी, (४) परियोजना पर कुल कितना खर्च होगा, तथा (५) ऋण के ब्याज का दर कितना है ; तथा

(ख) उपरोक्त बातों के सम्बन्ध में अब अनुमान क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख). परियोजना अधिकारियों से सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र सदन पटल पर रख दी जायगी।

'डी' डिवीजन के जल शुल्क वसूली का मामला

३१८. श्री अजित सिंह : क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार नामक पुस्तिका के सम्बन्ध में ११ अक्टूबर, १९५१ को श्री आर० के० सिधवा द्वारा पूछे गये एक अल्प सूचना प्रश्न के दिये गये उत्तर में सदन पटल पर रखे गये विवरण का निर्देश करने तथा यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के 'डी' डिवीज़न के जल शुल्क वसूली के मामले के सम्बन्ध में स्पेशल पुलिस एस्टेबलिशमेंट द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट मिली है ; तथा

(ख) यदि ऐसा है तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ग) इस मामले से सम्बन्धित ठेकेदार पर मुकदमा चलाया गया था, किन्तु न्यायालय ने उसे दोषारोपण किये बिना ही छोड़ दिया। इन परिस्थितियों में ऐसे मामले में सरकारी कर्मचारियों को क्या दण्ड दिया जाना चाहिये, यह बात विचाराधीन है।

पटेल नगर में वर्षा के पानी की नालियां

३१९. श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री पटेल नगर, नई दिल्ली में वर्षा के पानी की नालियों के सम्बन्ध में २४ अगस्त १९५३ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ४१३ के दिये गये उत्तर का निर्देश करने तथा यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस कार्य के विभिन्न भागों के लिये कितनी रकम के खर्च का अनुमान था, कितनी रकम के टेंडर आये थे और अन्त में कितनी राशि का भुगतान किया गया था ; तथा

(ख) इस कार्य को करने के लिये सात भागों में विभक्त करने के क्या कारण हैं ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७१**]

(ख) इस विचार से कि और सस्ते दामों में काम हो सके ।

पाकिस्तान से पटसन का आयात

३२०. श्री एल० एन० मिश्र : (क) **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गत भारत-पाकिस्तान व्यापार समझौते के बाद पाकिस्तान से भारत में पटसन की कितनी मात्रा का आयात किया गया था ?

(ख) गत तीन वर्षों के आयात के आंकड़ों की तुलना में इस आयात के आंकड़े कैसे हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). एक विवरण जिस में पहली जुलाई, १९५३ से, जबकि यह समझौता लागू किया गया था, ३० अक्टूबर, १९५३ तक की अवधि में तथा गत तीन वर्षों के तत्संवादी अवधि में पाकिस्तान से आयात किये गये कच्चे पटसन की मात्रा दी हुई है, सम्बद्ध किया जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७२**]

औद्योगिक मजदूर गृह-व्यवस्था योजना

३२१. श्री नानादास : क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन औद्योगिक संगठनों के नाम क्या हैं जिन्हें चालू वर्ष में औद्योगिक मजदूर गृह-व्यवस्था योजना के लिये अनुदान दिये गये हैं ; तथा

(ख) आन्ध्र राज्य में इनके लिये कितनी राशि दी गई है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख). दो विवरण, जिनमें अपेक्षित सूचना दी हुई है, सदन पटल पर रखे जाते हैं । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७३**]

पटेल नागर में निर्माण-कार्य

३२२. श्री ए० एन० विद्यालंकार : क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटेल नगर, नई दिल्ली, में किये गये उन निर्माण कार्यों के नाम क्या हैं जिन में "पत्थर उड़ाने" के लिये केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, पुनर्वास डिवीजन, संख्या २ के कार्यकारी इंजीनियर द्वारा ठेकेदारों को रुपया दिया गया था ;

(ख) मंजूर किये गये प्राक्कलन में कितना पत्थर उड़ाने की व्यवस्था थी तथा अन्त में कितना पत्थर उड़ाने के लिये भुगतान किया गया ; तथा

(ग) उड़ाये गये पत्थर को किस प्रकार हटाया गया ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख). सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७४]**

(ग) इसका कुछ भाग अन्य निर्माण-कार्यों के लिये दे दिया गया था तथा शेष केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पास है।

खादी प्रदर्शनी

३२३. श्री मुनिस्वामी : (क) **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि अखिल भारतीय खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड दिल्ली में एक प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है जो कि फरवरी के अन्त तक खुलेगी ?

(ख) इस प्रदर्शनी में हस्त-करघा उद्योग के विकास को किस सीमा तक दिखलाया जायेगा ?

(ग) प्रदर्शनी में और कौन कौन से बड़े ग्राम उद्योग दिखलाये जायेंगे ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : (क) मामला विचाराधीन है।

(ख) हस्त-करघा उद्योग प्रस्तावित प्रदर्शनी के क्षेत्र में नहीं आता।

(ग) खादी, ताड़-गुड़, घानी द्वारा तेल पेरना, हाथों से धान कूटना, मधु-मक्खी पालना, चमड़ा कमाना, दियासलाई बनाना, खाने के काम में न आने वाले तेल से साबुन बनाना, गुड़ तथा खांड़सारी, मिट्टी के बर्तन तथा रेशे।

सत्यमेव जयते

सोमवार,
७ दिसंबर, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

पांचवा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
18.3.92
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

संसदीय वाद विवाद

(भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

सोमवार, ७ दिसम्बर, १९५३

———

सदन की बैठक डेढ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

२.३५ म० पू०

पटल पर रखे गये पत्र

विवरण जिन में विभिन्न सत्रों के दौरान में दिये गये आश्वास्नों, वचनों और प्रतिज्ञाओं के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दिखलाई गई है

सांसद कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा) : मैं निम्न विवरण जिन में प्रत्येक के सामने विभिन्न सत्रों के दौरान में दिये गये आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दिखलाई गई है, पटल पर रखता हूं।

(१) अनुपूरक विवरण सख्या २

लोक सभा का चतुर्थ सत्र, १९५३।

[देखिए परिशिष्ट ७ अनुबन्ध संख्या ९]

(२) अनपूरक विवरण संख्या ७

लोक सभा का तृतीय सत्र, १९५३।

[देखिए परिशिष्ट अनुबन्ध संख्या १०]

(३) अनुपूरक विवरण संख्या ८

लोक सभा का द्वितीय सत्र, १९५२।

[देखिए परिशिष्ट अनुबन्ध संख्या ११]

(४) अनुपूरक विवरण संख्या ६

लोक सभा का प्रथम सत्र, १९५२।

[देखिए परिशिष्ट अनुन्बध संख्या १२]

(५) अनुपूरक विवरण संख्या ८

अंतर्कालीन संसद का तृतीय सत्र (पहला भाग) १९५०।

[देखिए परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १३]

एकस्व विधेयक

बाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि एकस्व सम्बन्धी विधि को संशोधित करने और इस का एकत्रीकरण करने वाले एक विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाय।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री करमरकर : मैं विधेयक को पुरः स्थापित* करता हूं।

*राष्ट्रपति की सिफारिश के साथ पुरः स्थापित।

भारतीय एकस्व तथा रूपांकन (संशोधन विधेयक)

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

" कि भारतीय एकस्व तथा रूपांकन अधिनियम, १९११ में अग्रेतर संशोधन करने वाले एक विधेयक पर विचार किया जाये ।"

मैं ने अभी एक व्यापक एकस्व विधेयक पुरः स्थापित किया है, जिस में एकस्व जांच समिति की अधिकांश महत्वपूर्ण सिफारिशें सम्मिलित की गई हैं । किन्तु इस विधेयक के पारित होने में कुछ समय लगेगा । इस लिए बीच के समय में हमारे लिये यह आवश्यक हो गया है कि एकस्व तथा रूपांकन नियन्त्रक को कीट नाशक, फुंगी नाशक आदि के निर्माण के लिए अनिवार्य अनुज्ञप्ति देने के अधिकार प्रदान करने के लिए अधिनियम की धारा २३ ग ग में संशोधन किया जाये ।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कृषि हमारी अर्थ-व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है, यह अत्यावश्यक है कि कीट नाशक बड़े पैमाने पर बनाये जायें और हमारे विधान में ऐसी कोई त्रुटि न रहने दी जाये, जिस से स्वार्थी लोग अनुचित लाभ उठा सकें इसी प्रयोजन के लिए ये अधिकार लेने का विचार है, ताकि नियंत्रक को अधिकार मिल जाये कि वह खाद्य, औषधियों और शल्य तथा चिकित्सकीय सामान की तरह इन वस्तुओं के लिए भी अनुज्ञप्ति जारी कर सके ।

श्रीमान्, विधेयक के खंड २ का उद्देश्य यह है कि भारतीय एकस्व तथा रूपांकन अधिनियम, १९११ की वर्तमान धारा २३ ग ग के कार्य क्षेत्र को बढ़ाया जाये, ताकि खाद्य और औषधियों के साथ कीट नाशक कीटाणु नाशक और फुंगी नाशक को भी सम्मिलित किया जा सके ।

विधेयक के खंड २ (घ), में एक नई उप-धारा (४) इस लिए जोड़ी जा रही है ताकि सरकार को वस्तुओं की उस विशेष श्रेणी के बारे में समय समय पर अधिसूचना निकालने के लिये आवश्यक अधिकार मिल सकें, जिस के सम्बन्ध में वह यह समझती हो कि नियन्त्रक को धारा २३ ग ग के अन्तर्गत अधिकार प्रयुक्त करने चाहिए । सदन यह अनुभव करेगा कि उन वस्तुओं की, जिन के लिये नियन्त्रक को भविष्य में अनिवार्य अनुज्ञप्ति देनी आवश्यक होगी, पूरी सूची नहीं बनाई जा सकती ।

मेरे ज्येष्ट सहयोगी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उस का आशय केवल विधेयक की कुछ संदिग्धताओं को दूर करना है । विधेयक में यह उपबन्ध किया गया है कि अनुज्ञप्ति सम्बन्धी अधिसूचना जारी करने से पहले सरकार को इस पर विचार करके अपना समाधान करना होगा कि एकस्व के अधीन एक अनुज्ञप्ति देना लोक हित के लिये उचित या आवश्यक है । अधिसूचना जारी होने के बाद भी नियंत्रक इस सम्बन्ध में अपने आप का समाधान करेगा कि (क) वह वस्तु जनता को सस्ते दामों पर मिल सकेगी और (ख) एकस्व प्राप्त करने वाले को अपने एकस्व से उचित आय होगी । हम ने विधेयक में एक विशिष्ट उपबन्ध किया है कि अनुज्ञप्ति की शर्तें निश्चित करते समय नियन्त्रक इस बात का ख्याल रखेगा कि आविष्कारकों को उचित प्रतिकर मिले ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन]

श्रीमान्, मैं अनुभव करता हूं कि यह विधेयक अविवादास्पद है और चूंकि इस का लोक स्वास्थ्य से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है इस लिए

में आशा करता हूं कि सदन इसे बिना अधिक चर्चा के स्वीकार कर लेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली): श्रीमान्, क्या मैं एक बात स्पष्ट करवा सकता हूं । उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में बतलाया गया है कि ब्रिटिश एकस्व अधिनियम १९४९ की धारा ४१ की तरह यहां भी उसी प्रकार के अधिकार लिये जा रहे हैं यह अच्छी बात है कि अधिनियम को संशोधित किया जा रहा है । हमें इस का स्वागत करना चाहिए किन्तु मैं उस संशोधन को नहीं समझ सका जो कि माननीय मंत्री ने प्रस्तुत किया है ? क्या माननीय मंत्री इस बात पर आग्रह करते हैं कि पंक्ति २२ से २६ तक के स्थान पर कुछ और रख कर के खंड २ में संशोधन किया जाये । मैं यह कहना चाहता हूं कि इन शब्दों की न तो भाषा ठीक है और न ही इन का कुछ मतलब निकलता है । मेरे विचार में यह एक वांछनीय संशोधन नहीं है । ब्रिटिश अधिनियम की धारा की पूरी नकल तो की गई है, किन्तु उस में से उप-खंड (३) को निकाल दिया गया है और उस के स्थान पर ये शब्द रखे दिये गये हैं :

"कि अनुज्ञप्तियों के दिये जाने तथा उन की शर्तों के तय किये जाने से संबंधित उप-धारा (१) तथा उप-धारा (२) के उपबन्ध, जहां तक उन्हें लागू किया जा सकता है, ऐसे एकस्व पर लागू होंगे और ऐसी अधिसूचना के निकलने पर उपरोक्त उपबन्ध तदनुसार लागू होंगे ।"

यदि उप-खंड (१) और (२) को पढ़ा जाये तो ज्ञात होगा कि अनुज्ञप्तियों के देने या उन की शर्तें निश्चित करने के बारे में वास्तव में कोई उपबन्ध नहीं है । मेरी समझ में नहीं आता कि इस का अभिप्राय क्या है । उपबन्ध यह है कि अनिवार्य अनुज्ञप्तियां दी जायेंगी किन्तु इन का प्रयोग केवल एक विशिष्ट प्रयोजन के लिए किया जा सकेगा मेरे विचार में यदि ब्रिटिश अधिनियम की नकल करनी है तो यह उचित रूप से की जानी चाहिए और उपखंड (३) को निकालना नहीं चाहिए ।

श्री करमरकर : यदि मेरे माननीय मित्र नये संशोधन को ठीक तरह से पढ़ें, तो वे देखेंगे कि यह एक बहुत युक्तियुक्त संशोधन है और वर्तमान परिस्थितियों में बिल्कुल आवश्यक है । हम मूल अधिनियम में से कुछ भी नहीं निकाल रहे हैं और एकस्व के लिये आवेदन केवल उसी प्रयोजन के निमित्त करना होगा जिस के हेतु उस का सर्वप्रथम आविष्कार किया गया था ।

श्री एन० सी० चटर्जी : मैं माननीय मंत्री का कृतज्ञ हूं । इस का अर्थ यह है कि सारा संरक्षण जारी रहेगा । क्या मैं जान सकता हूं कि यह वाक्य कहां से शुरू होगा ?

श्री करमरकर : पंक्ति २२ से । अन्यथा इस का अर्थ यह होता कि यदि खाद्य, औषधियों इत्यादि के अतिरिक्त कोई अन्य आविष्कार किया जाय तो उस नये आविष्कार के लिए उप-धारा (१) और (२) में उल्लिखित उन्हीं प्रयोजनों के हेतु आवेदन करना होगा । यह पाठ ठीक नहीं होगा । वास्तव में वर्तमान संशोधन से वर्तमान विधेयक में कुछ सुधार हो जायेगा ।

श्री वी० पी० नायर (चिरायिन्किल) : यह विधेयक बहुत से वायदों के बाद आज पुरः स्थापित किया गया है । सरकार हमेशा यही कह देती थी कि वह एकस्वों के बारे में एक व्यापक विधेयक लाने वाली है । खैर, मैं माननीय मंत्री को इस विधेयक के लाने पर धन्यवाद देता हूं, परन्तु मैं उनकी इस बात से

[श्री वी० पी० नायर]

सहमत नहीं हूं कि यह विधेयक अविवादास्पद है क्योंकि हमारा यह अनुभव रहा है कि भारत म एकस्व विधि हमेशा कुछेक विदेशियों की भलाई और लाभ के लिये ही काम आती रही है । इस बात को माननीय मंत्री ने भी मान लिया है । पिछली बार संशोधन विधेयक पर बहस होते समय उन्होंने कहा था कि एकस्व विधि में राष्ट्रीय आवश्यकताओं का जैसे जैसे वे उत्पन्न होती रहीं, ध्यान नहीं रखा गया है । मैं पूछता हूं कि जब सरकार यह मानती है कि क़ानून में मूल परिवर्तन किया जाना बहुत ज़रूरी है तो इस विधेयक के लाने से क्या लाभ ? मैं मंत्री महोदय से सहमत नहीं हो सकता क्योंकि मैं समझता हूं कि इस विधेयक के पारित होने से हमें नुक़सान ही होगा । उदाहरण के लिये कीट नाशक व फुंगीनाशक दवाइयों को लीजिये । उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में कहा गया है कि इस धारा में कीटनाशक व फुंगीनाशक दवाइयों को शामिल नहीं किया गया है जिसकी वजह से उपरोक्त वस्तुओं के बनाने के लिये फ़ैक्टरियां स्थापित करने में बड़ी कठिनाई हो रही है । मुझे यह बड़ी अजीब सी बात लगी क्योंकि हमें मालूम है कि कीटनाशक व फुंगीनाशक दवाइयों के लिये बहुत से एकस्व हैं । जब डी० डी० टी० की खोज हुई थी तो यह कहा गया था कि वह अचूक दवा है परन्तु आज डी० डी० टी० के होते हुए भी मच्छरों का वही हाल है । सरकार न इस पहलू की ओर ध्यान नहीं दिया है । इसी प्रकार फुंगीनाशक दवाइयों के बारे में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए १७ नवम्बर १९५३ को खाद्य तथा कृषि मंत्री ने कहा था कि इम्पीरियल केमीकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कहने पर भारत के कई केन्द्रों में इसके लिये अनुसंधान कार्य हो रहा है । मैं पूछना चाहता हूं कि यदि आप वर्तमान धारा के क्षेत्र को विस्तृत करते हैं तो इसका इम्पीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज़ पर क्या प्रभाव पड़ेगा । भारत सरकार न स्वयं इस विषय में मौलिक अनुसंधान कार्य नहीं किया है, इम्पीरियल केमीकल इंडस्ट्रीज़ सरकार की सहायता से यह कार्य कर रही है । मेरे कहने का मतलब यह है कि चूंकि आप इस धारा का क्षेत्र बढ़ा रहे हैं, इसलिये आप साथ साथ इम्पीरियल केमीकल इंडस्ट्रीज़, लीवर ब्रादर्स जैसी विदेशी फ़र्मों को भी काफ़ी छूट दे रहे हैं । मान लीजिये एक कीटनाशक दवा है और लीवर ब्रादर्स उसको बनाते हैं; तो क्या आप समझते हैं कोई भारतीय फ़र्म उनका मुकाबला कर सकेगी ? इतनी बड़ी फ़र्म के सामने क्या वह टिक सकेगी ? एकस्व क़ानून को इस तरह से लागू किया जाता रहा है कि भारतीय निर्माता और भारतीय फ़र्म विदेशी निर्माताओं के सामने पनप नहीं सकते । मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि कितने मामलों में सरकार ने लोकहित को ध्यान में रख कर एकस्व दिये हैं ? साधारण औषधियों को ही लीजिये । बहुत सी दवायें ऐसी हैं जिनके एकस्व विदेशी निर्माताओं के पास हैं और जिनके बनाने के बारे में सरकार ने भारतीय निर्माताओं को अनुमति नहीं दी है । इन परिस्थितियों में, इस विधेयक पर विचार करना वांछनीय नहीं है ।

इस विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत करते समय माननीय मंत्री ने कहा था कि वह इस के पारित किये जाने पर अधिक आग्रह नहीं करते । तो फिर इस विधेयक को लाने से और उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में यह लिखने से क्या फ़ायदा है कि इस धारा के न रखने से कारखानों के खोले जाने में बड़ी कठिनाई हो रही है ? कारखाने खोलने के लिये आप से किसने अनुमति मांगी थी

क्या यह सच नहीं कि विदेशी भी भारत में कारखाने खोलना चाहते थे ? क्या यह सच नहीं कि आपने कुछ भारतीय निर्माताओं को पेनीसिलीन जैसी कुछ एंटीबायोटिक दवाइयां बनाने के लिये अनुमति देने से मना कर दिया है ? जब आप इस तरह की नीति का अनुसरण कर रहे हैं तो इस विधेयक के लाने से क्या लाभ होगा ?

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : मैं कुछ सूचना प्राप्त करना चाहता हूं । उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में कहा गया है कि "इस उपबन्ध के न होने से उपरोक्त वस्तुओं के निर्माण के लिये जल्दी कारखाने खोलने में कठिनाई हो रही है ।" क्या सरकार हमें इन कारखानों के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना देगी ? क्या कुछ निर्माता एकस्व प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं ? इन वस्तुओं के निर्माण के लिये उत्सुक फ़र्म भारतीय हैं या विदेशी ? इन विषयों में जानकारी दी जाये वरना, हमें इस विधेयक के बारे में सन्देह रहेगा।

श्री करमरकर : मैंने माननीय मित्र श्री नायर का भाषण सुना । वास्तव में मैं यह नहीं समझ सका हूं कि उनकी किन बातों का उत्तर दिया जाना है । मैं समझता हूं कि इस तरह के विधेयक पर विचार करते समय इस प्रश्न का उत्तर देना ठीक नहीं क्योंकि जितना समय इस विधेयक को पुर:स्थापित करने में लगा है उसका एकस्व तथा रूपांकन विधि के सारे पहलुओं का सावधानी से अध्ययन करने में लगना आवश्यक था ।

श्री नायर जो बात कहना चाहते थे वह यह थी कि औषधियों की इस श्रेणी में भी विदे ी फ़र्मों को ही लाभ होगा ।

श्री वी० पी० नायर : चूंकि उनके पास बहुत अधिक पूंजी है इसलिये केवल वे ही इससे लाभ उठा सकते हैं । इसीलिये मैंने लीवर ब्रादर्स का उदाहरण दिया था । इसका क्या प्रभाव होगा ?

श्री करमरकर : इसका प्रभाव कीट-नाशक व फुंगीनाशक औषधियों पर वहीं होगा जो खाद्य पदार्थों व औषधियों पर होता है; जब सरकार बीच में आयेगी तो अनिवार्य अनुज्ञप्ति जारी होंगी यानी वह विशेष एकस्व लोगों को बता दिया जायेगा । इस दृष्टिकोण से भी इसमें कोई अन्तर नहीं होता । हम एक विदेशी मूल उद्योग तथा देशी उद्योग के बीच विभेद नहीं करते जैसी कि माननीय सदस्य की धारणा है । परन्तु मैं विश्वास करता हूं कि माननीय सदस्य इस चीज़ को समझेंगे कि अनिवार्य अनुज्ञप्ति जारी करने का मुख्य उद्देश्य यह है : जर्मनी की तरह (वहां खाद्य पदार्थों तथा औषधियों के आविष्कारों के बारे में कोई एकस्व नहीं होते, परन्तु हम उस हद तक नहीं जाना चाहते) हम एकस्व जारी करेंगे और इसमें भी नियंत्रक को अपने विवेक के अनुसार एक अनिवार्य लाइसेंस जारी करने का अधिकार होगा, जिसका वास्तव में मतलब यह है कि जो भी अधिकार दिये जायेंगे वे लोगों को उपलब्ध कराये जायेंगे । इस विधेयक का यही उद्देश्य है । पिछली बार जब मैं संशोधन विधेयक लाया था तब मेरे माननीय मित्र ने एकस्व तथा रूपांकन क़ानून को एकस्व तथा दवाओं का क़ानून समझा था और उन्होंने एक उदाहरण भी दिया था । अब भी, मैं समझता हूं, वह इस विधयक के अभिप्राय को ठीक ठीक नहीं समझ सके हैं । इसका अभिप्राय, जैसा माननीय सदस्य चाहते हैं, भारतीय निर्माताओं को एकस्व देना ही है ।

श्री वी० पी० नायर : यह तो ठीक है, परन्तु मैं यह कह रहा था कि इस विधेयक से भारतीय उद्योग को फ़ायदा नहीं होगा

[श्री वी० पी० नायर]

क्योंकि वे भारत स्थित विदेशी निर्माताओं के साथ मुकाबला नहीं कर सकेंगे ।

श्री करमरकर : मैं इसे समझता हूं । परन्तु मैं इस विषय में अभी कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि इसका सम्बन्ध कुछ मूल बातों से है जिसे माननीय सदस्य क़रीब क़रीब रोज़ उठाते हैं । यह बिल्कुल अलग विषय है जिसके बारे में मैं इस विधेयक पर विचार करते समय कुछ कहना नहीं चाहता । यह विधेयक केवल उन आविष्कारकों के एकस्व अधिकारों पर प्रभाव डालता है जिन्होंने खाद्य पदार्थों तथा औषधियों के बारे में आविष्कार किये हैं और जो हमारी अधिकाधिक सहायता चाहते हैं । इतना ही नहीं । ऐसी हर वस्तु के बारे में जिनके लिये सरकार यह समझती हो कि इनमें एकस्व की अपेक्षा अनिवार्य अनुज्ञप्ति अधिक अच्छी रहेंगी हम अपने लिये अधिकार प्राप्त कर रहे हैं । वास्तव म, मेरा ख्याल यह है कि मेरे माननीय मित्र भी यही बात...........

श्री वी० पी० नायर : मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले विधयक के पारित होने के बाद से अब तक कितने एकस्व अन्य लोगों के लिये खोल दिये गये हैं ?

श्री करमरकर : मेरे पास अभी यह सूचना नहीं है । मैं इसका पता लगा कर आपको दूंगा । परन्तु यह चीज़ विधेयक से संगत नहीं है । यदि गुणावगुणों के आधार पर, माननीय सदस्य इससे सहमत हों कि यह विधेयक ठीक है तो फिर इस कारण कि इन एकस्वों के लिये पहले आवेदन किये गये थे, हमें सन्देह नहीं करना चाहिये । इसके अलावा मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि सरकार इस विधेयक के बारे में भविष्य में पूरी सावधानी से कार्य करेगी ।

माननीय सदस्य श्री चटर्जी ने जो बात उठाई थी वह वास्तव में संगत थी और उसे ही म स्पष्ट करना चाहता था । मैं उन्हें इसके लिये धन्यवाद देता हूं क्योंकि उन्होंने मुझे इस खंड के बारे में संशोधन पुरःस्थापित करने के समय एक और भाषण देने से बचा दिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है :

"कि भारतीय एकस्व तथा रूपांकन अधिनियम, १९११ में अग्रेतर संशोधन करने वाले एक विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २—१९११ के अधिनियम २ की धारा २३ गग का संशोधन

श्री करमरकर : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ १ में २२ से २६ तक की पंक्तियों के स्थान पर निम्नलिखित आदिष्ट किया जाये :

"that the provisions of sub-section (1) and sub-section (2) respecting the grant of licences and settling of the terms there of, in so far as they can be made applicable, shall apply to such a patent and on the issue of such a notification the said provisions shall apply accordingly."

["कि अनुज्ञप्तियों के दिये जाने तथा उनकी शर्तों के तय किये जाने से सम्बन्धित उप-धारा (१) तथा उप-धारा (२) के उपबन्ध, जहां तक उन्हें लागू किया जा सकता है, ऐसे एकस्व पर लागू होंगे और ऐसी आध-

सूचना के निकलने पर उपरोक्त उपबन्ध तदनुसार लागू होंगे।"]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है :

"कि खंड २, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बनाया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना लिया गया।

खंड १, नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बना लिय गये।

श्री करमरकर : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और सदन द्वारा स्वीकृत हुआ।

भारत का रिजर्व बैंक (संशोधन तथा विविध उपबंध) विधेयक

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत का रिज़र्व बैंक अधिनियम १९३४ में अग्रेतर संशोधन करने के लिए और अधिक मूल्य के बैंक नोटों के सम्बन्ध में विशष उपबन्ध बनाने के लिए विधेयक पर विचार किया जाये।"

इस विधेयक का मुख्य प्रयोजन भारत के रक्षित बैंक द्वारा ग्रामीणों को कृषि-संबंधी उधार देने की अधिक सुविधाओं का उपबन्ध करने का है। मैं समझता हूं कि यह अच्छा होगा कि मैं इस दिशा में भारत के रक्षित बैंक के कार्यों की पृष्ठ भूमि बता दूं। वस्तुतः रक्षित (रिज़र्व) बैंक के आरम्भ से ही उस की कार्यवाहियों का यह भी एक मुख्य क्षेत्र था। १९३५ में रक्षित बैंक की ग्रामीण ऋण शाखा आरम्भ की गई जिसमें तीन उपशाखाएं थीं और आंकड़ों तथा अनुसंधान का कार्य भी उनमें सम्मिलित था। तब से यह कृषि तथा ग्रामीण ऋण की सुविधाओं की व्यवस्था के सम्बन्ध में अपनी गतिविधि को फैलाता रहा है। जब पिछली बार १९५० में रक्षित बैंक (संशोधन) अधिनियम पारित किया गया तो कुछ माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया था कि ग्रामीण तथा कृषि सम्बन्धी ऋण की सुविधाओं के क्षेत्र में रक्षित बैंक की कार्यवाहियों को बढ़ाया जाये। तब वित मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि वे इस विष पर विचार करेंगे और यदि सम्भव हुआ तो रक्षित बैंक अधिनियम में अग्रेतर संशोधन किया जायेगा ताकि रक्षित बैंक ग्रामीण ऋण के लिए अधिक सुविधाएं दे सके।

वित्त मंत्री के उस आश्वासन के अनुपालन के लिये रक्षित बैंक ने १९५१ में इस विषय की जांच के लिए एक अनौपचारिक समिति स्थापित की। यह एक विशेषज्ञों की समिति थी और मेरा विचार है कि प्रोफेसर गाडगिल इस के सभापति थे। अर्थ-शास्त्रियों की इस अनौपचारिक समिति ने कतिपय सिफारिशें कीं और उन्हें दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। कतिपय सिफारिशें तो रक्षित बैंक अधिनियम के संशोधन के विषय में थीं और अन्य प्रशासन सम्बन्धी थीं और उन पर किसी विधान की आवश्यकता नहीं। स्वभावतः रक्षित बैंक ने इन सिफारिशों की जांच की और कतिपय ऐसी सिफारिशों को क्रियान्वित किया जिनमें रक्षित बैंक अधिनियम के संशोधन की आवश्यकता नहीं थी।

इस मामले में रक्षित बैंक ने ग्रामीण वित्त की वर्तमान दशा और आवश्यकताओं का अखिल भारतीय आधार पर विस्तृत परिमाप

[श्री ए० सी० गुहा]

आरम्भ किया है । एक स्थायी परामर्शदात्री समिति स्थापित की गई है ताकि वह कृषि सम्बन्धी ऋण के सम्बन्ध में बैंक की कार्य-विधि को प्रभावी बनाने के लिए कृषि सम्बन्धी ऋण के विषयों पर रक्षित बैंक को परामर्श दे सके । रक्षित बैंक ऐसे प्रदेशों में जो तुलना में कम विकसित हैं, ग्रामीण ऋण की समस्याओं को सुलझाने के लिए राज्य सरकारों को सक्रिय सहायता दे रहा है । मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को याद होगा कि इन सब उपबंधों के अधीन रक्षित बैंक ऋण देता रहा है और उस ने मौसमी कृषि कार्यों के लिए पहले ही प्रान्तीय सहकारी बैंकों को लगभग १२ करोड़ रुपया दे दिया है । यह रक्षित बैंक अधिनियम की धारा १७ के अधीन किया गया है । कुछ और कार्य अब आरम्भ करने हैं और अधिनियम को तदानुसार संशोधित करने का निर्णय किया गया है ।

वर्तमान संशोधक विधेयक में हम मौसमी कृषि कार्यों के क्षेत्र को बढ़ाना चाहते हैं और विधेयक के खण्ड ३ (क) में ऐसा किया गया है । यहां हम केवल "कृषि कार्यों", "फसलों" और "फ़सलों का विक्रय" इन की परिभाषा को विस्तृत करना चाहते हैं । अब तक कृषि कार्यों और फसलों का अर्थ वास्तविक कृषि-उत्पादों, अधिकतया अनाज तक ही सीमित था । परन्तु अब इन की परिभाषा को विस्तृत करके हम कृषि कार्यों का क्षेत्र पशुपालन तक फैलाना चाहते हैं और फसलों का भी अर्थ विस्तृत हो जायेगा । इस खण्ड में व्याख्या बढ़ाई गई है जो इस प्रकार है :

"व्याख्या : इस उप-खण्ड के प्रयोजन से—

(१) "कृषि कार्यों" की अभिव्यक्ति में पशु पालन और अन्य कार्य भी सम्मिलित हैं जो कृषि-कार्यों के साथ साथ किये जायें ।

(२) "फसलों" में कृषि कार्यों के उत्पाद भी सम्मिलित हैं ।

(३) "फसलों के विक्रय" की अभि-व्यक्ति में कृषि उत्पादकों अथवा ऐसे कृषि उत्पादकों के किसी संघठन द्वारा विक्रय से पूर्व फसलों को तैयार करना भी सम्मिलित है ।"

इस संशोधन के पश्चात् पशु पालन, जब वह कृषि कार्यों के साथ किया जाए, अथवा जब मिश्रित कृषि की जाए—तो वह रक्षित बैंक से ग्रामीण ऋण प्राप्त करने के प्रयोजन के लिये रक्षित बक अधिनियम उस पर लागू होगा । इसी प्रकार पशु-पालन के उत्पाद और माल को तैयार करना इसी खण्ड के अधीन आएगा । माननीय सदस्यों को विदित है कि घी इत्यादि का उत्पादन माल "तैयार करने" की परिभाषा में आएगा । हमने बताया है कि फसलों के विक्रय के अन्तर्गत फसलों का तैयार करना है और फसलों में पशुपालन के उत्पाद समाविष्ट हैं । इस प्रकार ये सब रक्षित बैंक अधिनियम के क्षेत्र में आ जाएंगे ।

और हम कुटीर तथा छोटे स्तर के उद्योगों का उपबन्ध कर रहे हैं । यह खण्ड ३ (ख) में किया जा रहा है । अब तक रक्षित बैंक छोटे स्तर के और कुटीर उद्योगों को ऋण नहीं देता था । सदन को याद होगा कि अब कुछ समय से और विशेषत: बेकारी की बढ़ती हुई समस्या के विचार से सरकार ने कुटीर तथा छोट स्तर के उद्योगों को अधिक महत्व देना आरम्भ किया है । इसलिए रक्षित बैंक अब इस प्रकार के उद्योग के लिए भी निधि का उपबंध कर सकेगा और यह कार्य राज्य सहकारी बैंक और राज्य वित्त निगमों द्वारा किया जाना है । हाल ही में राज्य वित्त निगमों के

निगमों और उनकी गति विधि के सम्बन्ध में सदन में प्रश्न पूछे गये थे। लगभग दो वर्ष पूर्व सदन ने एक अधिनियम पारित किया था ताकि उस द्वारा विभिन्न सरकारें राज्य वित्त निगमों का निर्माण कर सकें परन्तु अभी तक विभिन्न सरकारों ने इस सम्बन्ध में कोई अधिक प्रगति नहीं की। मुझे आशा है कि इस उपबंध के अधीन राज्य वित्त निगम रक्षित बैंक से ऋण प्राप्त कर सकेंगे। इससे विभिन्न राज्य सरकारों को नया प्रोत्साहन मिलेगा। ताकि वे राज्य वित्त निगम बनाएं।

इस विधेयक में हम १८ मास से ५ वर्ष तक के लिए राज्य सहकारी बैंकों द्वारा मध्यवर्ती ऋणों का उपबंध करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब तक केवल मौसमी कृषि कार्यों के लिए थोड़े समय के लिए रक्षित बैंक द्वारा ऋण देने का उपबंध था और ऋण केवल १५ मास अथवा १८ मास के लिए दिए जाते थे। परन्तु अब हम उपबंध कर रहे हैं कि रक्षित बैंक माध्यमिक काल के लिए राज्य सहकारी बैंकों द्वारा ऋण दे और ऐसी पेशगियों का काल १८ मास से ५ वर्ष तक होगा। वह सीमा जिस तक रक्षित बैंक राज्य सहकारी बैंकों को पेशगी दे सकता है ५ करोड़ रुपया है।

और दूसरा उपबंध वह है जिस द्वारा रक्षित बैंक पेशगी ऋण उद्योगी वित्त निगम को दे सकता है। कुछ समय पूर्व सदन ने उद्योगी वित्त निगम अधिनियम का संशोधन पारित किया था जिसकी धारा २१ में यह उपबंध था कि निगम को रक्षित बैंक से ऋण प्राप्त करने का अधिकार होगा। वह केवल इतना ही था जितना कि उद्योगी वित्त निगम का उत्तरदायित्व था। परन्तु भारत के रक्षित बैंक अधिनियम में तदनुसार ऐसा कोई उपबंध नहीं था जो उद्योगी वित्त निगम को ऋण देने के लिए बैंक को अधिकार देता यद्यपि बैंक कुछ समय निगम को पेशगी धन देता रहा है। अब हम इस विधेयक में ऐसा उपबंध कर रहे हैं कि रक्षित बैंक को यह अधिकार हो कि वह उद्योगी वित्त निगम को ऋण दे सके। थोड़े समय के लिए ऋणों के सम्बन्ध में रक्षित बैंक कोई राशि दे सकता था परन्तु माध्यमिक काल के ऋणों के सम्बन्ध में १८ मास की सीमित कालावधि है। पेशगी दी जाने वाली अधिकतम राशि की भी निर्धारित सीमा है जो कि ३ करोड़ रुपया है। यह रक्षित बैंक द्वारा ग्रामीण और कृषि सम्बन्धी ऋण की सुविधाएं देने के सम्बन्ध में है और उद्योगी वित्त निकाय को देश में उद्योग के विकास के लिए ऋण देने के सम्बन्ध में हैं।

विधेयक के और उपबंध अधिकतर प्रशासनीय प्रकृति से सम्बन्धित हैं। परन्तु उन उपबंधों के सम्बन्ध में कहने से पूर्व मैं यह बनाना चाहता हूं कि अधिक मूल्य के नोट बनाना के लिए खण्ड ४ में एक उपबंध है। माननीय सदस्यों को याद होगा कि १९४६ में एक अध्यादेश जारी किया गया था जिस द्वारा १०० रुपये से अधिक मूल्य के नोटों पर रोक लगा दी थी। सरकार ने सब अधिक मूल्य के नोट वापस लेकर रद्द कर दिये थे। केवल एक करोड़ २५ लाख रुपये के नोट वापस रक्षित बैंक को नहीं मिले। अन्य सब नोट जो रक्षित बैंक ने अध्यादेश के प्रख्यापन से पूर्व जारी किये थे रक्षित बैंक को वापस मिल गये थे और रद्द कर दिये गये थे। यह कहना कठिन है कि एक करोड़ से कुछ अधिक मूल्य के नोटों का क्या हुआ। कुछ को सम्भवतः सफेद कीड़ियों ने खा लिया हो और बाकी अन्यथा नष्ट हो गये हों।

मैं नहीं समझता कि उनकी अधिक संख्या चोर बाज़ार वालों के पास है। अब १०० रुपये के नोटों के लिए बहुत आग्रह है जो [प्रचलित नोटो में सब से अधिक मूल्य के

[श्री ए० सी० गुहा]

हैं। सरकार को विभिन्न व्यापार मण्डलों भारतीय बैंकों की संस्था, बम्बई और कलकत्ता एक्सचेंज बैंकों की संस्था, बंगाल के बैंकों की संस्था, भारत के इम्पीरियल बैंक, भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडलों के संघ और बंगाल वाणिज्य मंडल इत्यादि की ओर से कई अभ्यावेदन मिले हैं। इस लिए सरकार अधिक मूल्य के नोट जारी करना चाहती है। सब तैयारियां कर ली गई हैं और सरकार अधिक मूल्य के नोटों के जारी करने के लिए केवल इस विधान के पारित होने की प्रतीक्षा कर रही है।

मैं यहां बता देना चाहता हूं कि इस विधान द्वारा १९४६ का अध्यादेश रद्द नहीं किया गया। उस अध्यादेश के प्रख्यापन से पूर्व जारी किये गये अधिक मूल्य के नोटों को अब भी बन्द ही समझा जाएगा।

खण्ड ३ सर्वथा प्रशासन सम्बन्धी है। वर्तमान अधिनियम में यह कहा गया है कि जब गवर्नर अनुपस्थित हो तो उप-गवर्नर उस द्वारा प्राधिकृत होने पर उस के लिए मत दे सकता है। यहां शब्दों के दो अर्थ हैं। अनुपस्थिति, भारत से अनुपस्थिति हो सकती है अथवा गम्भीर रुग्णावस्था के कारण हो सकती है। परन्तु और भी ऐसे कारण हो सकते हैं जिनसे गवर्नर रक्षित बैंक की बैठक में न आ सके। ऐसे मामलों में अधिनियम के वर्तमान उपबंध के अधीन उप-गवर्नर को बैठक में जाने अथवा मत देने का अधिकार नहीं है। हम यहां उपबंध कर रहे हैं कि यदि गवर्नर किसी कारणवश ऐसी बैठक में न आ सके तो उस द्वारा प्राधिकृत उप-गवर्नर बैठक में उस की ओर से लिखित मत दे सकता है। इस उपबंध का अभिप्राय केवल प्रशासन सम्बन्धी कठिनाई को दूर करना है।

खण्ड ६ के अधीन अनुसूचित बैंकों को अपने पर अधिक धन राशि रखने की सुविधा दी गई है। अधिनियम के वर्तमान उपबंध के अधीन सब अनुसूचित बैंकों को इम्पीरियल बैंक से कुछ ऋण लेने का अधिकार दिया है। परन्तु बैंकिंग समवाय अधीन प्रत्येक बैंक को उस ऋण का ५ प्रतिशत रक्षित बैंक के पास जमा करना पड़ता है। इस प्रकार किसी अनुसूचित बैंक द्वारा इम्पीरियल बैंक से लिए गए ऋण का ५ प्रतिशत रक्षित बैंक के पास जमा किया जाता है। इस संशोधन से अनुसूचित बैंकों के इस उत्तरदायित्व को समाप्त किया जा रहा है इससे अनुसूचित बैंकों के पास बैंक कार्यों के लिए अधिक धन रहेगा।

जब रक्षित बैंक अधिनियम पारित किया गया तो इस की चार शाखें देहली, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता थीं और इस बैंक का विदेशी मुद्रा का कार्य वर्तमान अधिनियम के अधीन केवल इन चार शाखों द्वारा किया जा सकता है। अब हमारी और शाखाएं बंगलौर और कानपुर हैं। बहुत शीघ्र अन्य शहरों में बैंक की शाखाएं खोलने का विचार है। वर्तमान अधिनियम के अधीन य शाखाएं विदेशी मुद्रा का कार्य नहीं कर सकतीं। हम इस कठिनाई को दूर कर रहे हैं और यह उपबंध कर रहे हैं कि सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई शाखा विदेशी मुद्रा का कार्य कर सकेगी।

मेरे विचार में मैंने प्रायः वे सब बातें कह दी हैं जिन्हें सरकार इस विधेयक द्वारा क्रियान्वित करना चाहती है। इसका अत्याधिक महत्वपूर्ण भाग ग्रामीण ऋण और छोटे कुटीर उद्योगों तथा छोटे स्तर के उद्योगों के लिए ऋण का उपबंध करना है। मुझे आशा है कि सदन विधेयक को प्रसन्नता से पारित करेगा। यह सरल और विवाद रहित विधेयक है और हमारी वर्तमान आर्थिक स्थिति के विचार से तथा विशेषतः कृषि अर्थ व्यवस्था और छोटे स्तर के तथा कुटीर उद्योगों की अर्थ-व्यवस्था के विचार से बहुत से उपबंध ग्राह्य हैं।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : वैध कार्यवाही से रक्षा करने के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया ।

श्री ए० सी० गुहा : वह भी प्रशासन सम्बन्धी विषय है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री बी० दास (जाजपुर-क्योंझर) : श्रीमान, राज्य द्वारा रिजर्व (रक्षित) बैंक का स्वामित्व ग्रहण करने का यह पांचवां वर्ष है । मेरा विचार है कि इस पांचवें वर्ष में रिजर्व बैंक के बुद्धि दंत निकल आये हैं और वह राष्ट्र के लिये उपयोगी होने का प्रयत्न कर रहा है । इम्पीरियल बैंक आफ इण्डिया की भारत में विदेशी शासकों और विदेशी व्यापारियों द्वारा स्थापना की गई थी, इस ने भारत का पूर्ण शोषण किया है जो अब भी जारी है । रिजर्व बैंक आफ इण्डिया कदाचित बैंकिंग के सिद्धान्तों से अनभिज्ञ है, उन बातों से अनभिज्ञ है जिन के कारण सन् १९३४ में इसे स्थापित करने की मांग की गई थी ।

मुझे मालूम है कि रिजर्व बैंक में एक ग्रामीण ऋण विभाग है । हम ने वित्त मंत्री से आग्रह किया कि ग्रामीण ऋण के सम्बन्ध में सहकारी संस्थाओं की सहायता करने के लिये रिजर्व बैंक को कुछ काम करना चाहिये । विदेशी शासन में यह नहीं किया जा सका । सन् १९४८ तक और अभी तक इम्पीरियल बैंक आफ इण्डिया रिजर्व बैंक का एक मात्र अभिकर्ता रहा है । यह सभी राज्य सरकारों से कोष संग्रह करता है । कतिपय नगर पालिकाओं का अभी भी यही दृष्टिकोण है । लगता है जैसे देश में यही एक मात्र बैंक विद्यमान है । वे सब यहीं रूपया जमा करते हैं । मुझे इम्पीरियल बैंक का नाम उच्चारण करते समय लज्जा अनुभव होती है । तीन वर्ष पूर्व मैं ने सदन में कहा था कि रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के साथ साथ इम्पीरियल बैंक का भी राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए । हमारे बैंकिंग इतिहास के पृष्ट से अभी "इम्पीरियल" (साम्राज्यिक) शब्द नहीं निकाला गया है ।

इम्पीरियल बैंक का नाम बदल कर इंडियन नेशनल बैंक करना तो दूर रहा किन्तु इसे और अधिक वृहद्‌ाकार किया जा रहा है । खण्ड ६ (धारा ४२ के संशोधन) में "दी रिजर्व बैंक" शब्दों के स्थान पर "अथवा दी इम्पीरियल बैंक आफ इंडिया" शब्द आदिष्ट करने के लिये विधेयक में कहा गया है । प्रत्येक राष्ट्र वादी और देश भक्त को इम्पीरियल बैंक आफ इंडिया—इस नाम से घृणा है, परन्तु उसे शाश्वत बनाये रखा जा रहा है जैसे वह भारत के राष्ट्रीय हित के लिये अपेक्षणीय है ।

हमारा और आप का—सब का शोषण इम्पीरियल बैंक ने किया है और फिर भी उसे ही अधिक बैंकिंग सुविधाएं दी जा रही हैं । यदि सरकार ईमानदार है, यदि वित्त मंत्री राष्ट्र की भावना से परिचित हैं तो उन्हें सर्वप्रथम इम्पीरियल बैंक आफ इण्डिया का राष्ट्रीय करण कर उस का नाम इण्डियन नेशनल बैंक कर देना चाहिये । आप एक अनुसूचित बैंक को उस की दुष्टता पूर्वक और घातक कार्यवाहीयों की अनुमति दे कर अन्य अनुसूचित बैंकों पर थोप रहे हैं । क्या समान क्षमता वाला अन्य कोई बैंक नहीं है । मुझे यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि सन् १९४७ के पूर्व इम्पीरियल बैंक इस तरह व्यवहार कर रहा था जैसे कि समस्त ज्ञान राशि सिमिट कर उसी में बैठ गई है । क्या उस ने अपने दृष्टि कोण में कोई परिवर्तन किया है । क्या उस ने ग्रामीण जनता के लिये ऋण की व्यवस्था की है । यह उन के विरोध में कार्य कर रहा है । अपनी वर्तमान दशा में वह कदापि राष्ट्रीय बैंक नहीं बन सकता है । मैं इस के समर्थन में . . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : केवल इम्पीरियल बैंक आफ इण्डिया का उल्लेख होने से क्या हम इन सब विषयों की विस्तृत चर्चा कर सकते हैं । इम्पीरियल बैंक की ओर केवल यही निर्देश किया गया था कि उस के दायित्वों को भारत के दूसरे बैंकों के दायित्वों से पृथक कर दिया जाय । यहां इम्पीरियल बैंक की कार्यप्रणाली का प्रसंग नहीं है ।

श्री बी० दास : मेरा मत यह है कि इम्पीरियल बैंक रिजर्व बैंक का कृपा पात्र है । प्रश्न यह है कि 'इम्पीरियल' शब्द अथवा यूरोपीय सम्बन्धों के कारण ही, दूसरे पचास बैंकों के विरुद्ध विभेदजन्य व्यवहार क्यों किया जाता है । जान बूझ कर अन्य बैंकों के लिये अवरोध खड़ा किया गया है । मैं भारत सरकार और राज्य सरकारों को सचेष्ट करता हूं कि उन्हें सभी बैंकों को संरक्षण प्रदान करना चाहिये न कि उस बैंक को आज से ११० वर्ष पूव स्थापित किया गया था और ।जस ने भारत का शोषण किया है ।

दूसरी बात यह है कि इस बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिये राज्य सरकारों को उत्तरदायी क्यों बनाया जा रहा है । उन्हें ऋण ग्रामीण जनता और सहकारी संस्थाओं की मदद के लिये चाहिये, फिर उन्हें प्रत्य-भूति देने की क्या आवश्यकता है ।

खंड ८ का सम्बन्ध वर्ष १९३४ के अधिनियम की धारा ५८ से है । इस संशोधन के अनुसार गवर्नर को संचालकों के केन्द्रीय बोर्ड के समान ही शक्ति मिल रही है । मैं यह नहीं चाहता कि राज्य के वेतन भोगी पदा-धिकारी गवर्नर को संचालक केन्द्रीय बोर्ड के बराबर अधिकार दिये जायें । गवर्नर स्वेच्छाचारी बन सकता है, वह वित्तीय त्रुटियां भी कर सकता है । जर्मनी और ब्रिटेन में राज्य बैंकों के गवर्नरों ने धोखे किये हैं । गवर्नर को उतनी निरंकुश शक्ति दे देने की पृष्ठभूमि सदन में समझायी जानी चाहिये ।

मैं विधेयक के मुख्य सिद्धान्तों का समर्थन करता हूं परन्तु जब तक इम्पीरियल बैंक आफ इण्डिया का राष्ट्रीयकरण न कर दिया जाय तब तक मैं उसे और अधिक शक्ति प्रदान करने के विरुद्ध हूं ।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : उपाध्यक्ष महोदय, यदि कार्यक्रम मंत्रणा समिति को यह मालूम होता कि सदन-पिता की वक्तृता होगी तो संभवतः वह प्रस्तुत विधेयक के लिये कुछ अधिक समय रखती । इम्पीरियल (सम्राज्यिक) बैंक के साथ सम्राज्यिक ढंग से व्यवहार किया गया है । भारत गण राज्य में इम्पीरियल बैंक का रहना निस्संदेह ही इस समय के अनुरूप नहीं है और उस के नाम में परिवर्तन करने और सच्चे अर्थों में उसे राष्ट्रीय हित में लगाने का यह उपयुक्त अवसर है ।

हम ऊंचे मूल्य के नोटों से सम्बन्धित विधि में परिवर्तन कर रहे हैं । वर्ष १९४६ में इन नोटों का विमुद्री करण कर दिया गया था । विधेयक के अनुसार अधिक मूल्य वाले नोटों को वापस ले लेने से जनता को जो असुविधाएं हुई हैं उन्हें दूर करने के लिये ऊंचे मूल्य के नोटों को पुन: जारी करने का निर्णय किया गया है । जहां तक हमें स्मरण है चोर बाजारी करने वालों, संग्रहकर्ताओं और मुनाफा खोरों को अवश्य इस से गम्भीर असुविधाएं हुई थीं । मेरा विचार है कि मुद्रा-स्फीति को समाप्त करने के लिये ही अध्या-देश ३।४६ का प्रवर्तन किया गया था हम जानना चाहते हैं कि इस में कितनी सफलता मिली है । लाहौर के मेरे एक मित्र कह रहे थे कि एक हजार रूपये के नोट

लाहौर की गलियों में ६०० रू० में बिक रहे थे । मेरे माननीय मित्र श्री ए० सी० गुहा को स्मरण होगा कि कलकत्ता में भी ऐसा ही हुआ था । हमें याद है कि ऊंचे मूल्य के नोट राजकोट और जयपुर, जोधपुर तथा राजस्थान की दूसरी देसी रियासतों में पहुंच गये थे ।

हम जानना चाहते हैं कि इस चोर बाजारी और नफाखोरी के धन को किस हद तक सरकार पा सकी है । अन्यथा संसद के लिये यह कहना जोखिम से खाली नहीं है कि वे सभी नोट दीमकों द्वारा चट कर दिये गये हैं अतः उन्हें पुनः चालू कर दिया जाये ।

माननीय मंत्री जी न केवल उच्च मूल्य के नोटों को पुनः जारी करने की शक्ति ग्रहण कर रहे हैं किन्तु वह एक नवीन नोट आरम्भ कर रहे हैं । यह नया नोट हैं पांच सहस्र रूपये का । जहां तक मुझे स्मरण है पहले पांच हजार रूपये का नोट नहीं था ।

कृषकों के लिये ऋण की व्यवस्था की दृष्टि से यह बात बहुत पहले ही कर दी जानी चाहिये थी और इस दिशा मे रिजर्व बैंक के कार्य विस्तार का कोई विरोध नहीं कर सकता । प्रश्न यह है कि क्या यह व्यवस्था प्रभावशाली सिद्ध होगी। यदि आप राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों की ऋण-व्यवस्था करना चाहते हैं तो आप का इन पर कितना नियंत्र रहेगा। स्वाभाविक है कि ग्रामीणों के लिए ऋण प्राप्ति हेतु राज्यों के सहकारी बैंक रिजर्व बैंक के पास आयेंगे। इस के पश्चात उन्हें संरक्षण प्रदान करने का अवसर उत्पन्न होगा। हम इस कार्य के लिये जो अभिकरण होगा उस का स्वरुप जानना चाहते हैं, उस की अनुपस्थिति में गृह उद्योगों की सहायता और प्रोत्साहन की समस्त वार्ता व्यर्थ हैं।

हमें मालूम है कि धोती विधेयक के सम्बन्ध में कितनी उग्र भावनाएं थीं। इसी तरह यह प्रभावी सिद्ध नहीं हो सकता जब तक कि हाथ करघे को अपंग होने से बचाने के लिये ग्राम्य ऋण व्यवस्था को अवसर नहीं दिया जाता । वे उधार देने वाले साहूकारों और महाजनों के चंगुल में जकड़े हुए हैं । राज्य और रिजर्व बैंक द्वारा सहायता देने के साथ ही हम इस पुनीत भावना को व्यवहृत करने में तभी सफल होंगे जबकि इन्हें परजीवियों से मुक्ति मिलेगी । क्या इसके लिये कोई योजना है ? नियंत्रण और स्वतंत्रता में किस तरह सामंजस्य होगा ?

सामान्यतया हम विधेयक का अनुमोदन करते हैं और सम्पूर्ण विधान में इम्पीरियल बैंक की चर्चा थोड़ी सी है । हम इसके लिये अत्यन्त उत्सुक हैं कि ग्राम्य ऋण व्यवस्था समुचित आधार पर स्थापित की जाय । ऐसा नहीं किया गया तो बेकारी की वृद्धि अवश्यम्भावी है और पंचवर्षीय योजना का कोई भी रूप और माननीय वित्त मंत्री अथवा उपमंत्री के असंख्य भाषण भी जनता को सांत्वना देने में निरर्थक सिद्ध होंगे ।

मैं सदन से कह दूं कि विशेष रूप से बंगाल में——सुन्दर बन, डायमंड हार्बर और चौबीस परगना के दक्षिणी भागों में लोग शहर की ओर आ रहे हैं और कलकत्ता की सड़कों पर क्षुधा से मृत्यु होने के दुखदायी समाचार प्राप्त हो रहे हैं । मैं अपनी कठिनाइयों अथवा कृषक समस्या की गहनता का अभिनय सदन के समक्ष प्रस्तुत नहीं करना चाहता । हम सन् १९४३ की भयावह परिस्थितियों की पुनरावृत्ति नहीं चाहते । यथार्थ कठिनाई यह है कि ग्रामीण अर्थ व्यवस्था की उचित देखभाल नहीं की जा रही है । श्रमिक कठिनाई का सामना कर रहा है और गृह उद्योग काल कवलित हो रहे हैं । शरणार्थी भी उपयुक्त सुविधाओं के अभाव में

[श्री एन० सी० चटर्जी]

आत्मभरित नहीं हो सके हैं। हमने उनसे विशाल पुनर्वास योजनाओं के बड़े बड़े वायदे किये हैं किन्तु धनाभाव के कारण उन्हें मूर्त रूप नहीं दे सके हैं। पाकिस्तान की नवीन गतिविधि के परिणामस्वरूप वहां से और अधिक व्यक्तियों के यहां आने की सम्भावना है। अतः ऐसी अवस्था में रिजर्व बैंक का प्रमुख कर्त्तव्य है कि शक्ति ग्रहण करने के साथ ही निर्धन जनता के कष्टों को दूर करने के लिये उस शक्ति का उचित और कुशलतापूर्ण उपयोग करे।

मैं प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं। संसद् को इसका विरोध नहीं करना चाहिये। किसी भी पार्श्व अथवा दल की ओर से इसका विरोध किये जाने का प्रश्न नहीं है किन्तु हमें इसे क्रियान्वित करने के लिये कोई अभिकरण चाहिये।

श्री राघवाचारी : मैं केवल एक-दो बातें कहूंगा। विधेयक में आयें हुए सिद्धांतों का मैं पूर्ण समर्थन करता हूं और जैसा मेरे मित्र ने कहा है इसे बहुत पहले ही पारित कर दिया जाना चाहिये था।

मैं इसी बात पर जोर देना चाहता हूं कि विधेयक में प्रस्तावित सहायता की मात्रा एकदम न्यून है। सम्पूर्ण देश के लिये ५ करोड़ रु० की रकम बहुत थोड़ी है। पूरे भारत की सहकारी संस्थाओं और कृषकों को ऋण देने के लिये केवल पांच करोड़ की रकम अत्यल्प है। यह तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है।

सहकारी आन्दोलन के किंचित अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि ग्रामीण ऋण समितियों की उन्नति धनाभाव के कारण सदा ही अवरुद्ध रही है। मेरा व्यक्तिगत विचार है कि यह रकम कम से कम २० करोड़ अथवा २५ करोड़ रु० होनी चाहिये।

मैं यही एक बात कहना चाहता था।

श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा) : उपाध्यक्ष महोदय। सचमुच ही धन के अभाव में ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक जीवन चिन्तनीय अवस्था में है। विविध राज्यों द्वारा पारित विधानों के कारण ऋणदाताओं के दमन से कृषकों का छुटकारा हो गया है किन्तु इस कार्य के लिये इनके स्थान पर अन्य साधनों की व्यवस्था नहीं की गई है। यह सही है कि राज्यों से तकावी के रूप में सहायता दी जा रही है किन्तु वह इस कार्य के लिये अपर्याप्त है। नवीन अधिनियम के अनुसार ऋणदाता अनुज्ञप्ति लेता है। अब वह बिना किसी लेख के हिसाब न रख कर ही उधार देता है। सूद की दर अत्यधिक है। सब कार्य उधार देने वाले की वाणी और जिह्वा पर ही निर्भर है। परिणाम यह हुआ है कि इस बुराई ने चरम सीमा धारण कर ली है और सरकार आयकर से वंचित हो गई है।

इस कार्य के लिये, राज्यकीय सहकारी बैंकों को अगाऊ राशि देने के लिये विधेयक में प्रस्तावित उपबंध वस्तुतः श्लाघनीय कार्यवाही है किन्तु जैसा कि श्री राघवाचारी ने सुझाव रखा है यह कार्यवाही उक्त दिशा में सर्वथा अनुपयुक्त है। पांच करोड़ की राशि बहुत कम है उसे २५ करोड़ तो कर ही देना चाहिये। विद्यमान प्रणाली यह है कि रक्षित बैंक का राज्य सरकारी बैंकों से सम्बन्ध रहेगा परन्तु गांवों में छोटे छोटे बैंकों पर उसका कोई नियन्त्रण या सम्बन्ध न होगा। मेरा निवेदन यह है कि रक्षित बैंक को कुछ ऐसे अधिकार दिये जाने चाहियें जिनके अन्तर्गत वह प्रत्यक्ष रूप में छोटे छोटे बैंकों की कार्यवाहियों का निरीक्षण कर सके।

इस मामले में मेरा एक और सुझाव यह है कि यदि रक्षित बैंक संयुक्त पूंजी बैंकों को, उनकी सरकारी प्रतिभूतियों के आधार पर, अधिक तथा थोड़े ब्याज पर रु० ऋण दे दे तो उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में अपना कार्य बढ़ाने को कहा जा सकता है। इस प्रकार वे कृषकों की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे और ग्राम-अर्थ व्यवस्था में बड़ा महत्वपूर्ण योग देंगे। मैं ऐसे बहुत से बैंकों को जानता हूं जो ग्रामों में यह कार्य कर रहे हैं परन्तु यह सीमित मात्रा में हो रहा है। बैंकिंग अधिनियम की २० से ३५ तक धाराओं में यह उपबन्ध रखा गया है कि रक्षित बैंक कैसे इन बैंकों पर नियन्त्रण रख सकता है। अतः रक्षित बैंक को चाहिये कि वह इन बैंकों को अधिक ऋण दे।

श्री वी० बी० गांधी (बम्बई नगर-उत्तर) : विधेयक के खण्ड ३ में उन नये अधिकारों का वर्णन है जो रक्षित बैंक को दिये जा रहे हैं जिनके द्वारा वह छोटे छोटे कुटीर उद्योगों, कृषि सम्बन्धी कार्यों आदि को अधिक ऋण तथा औद्योगिक वित्त निगमों को ऋण सुविधा दे सके।

इस विधेयक के अन्तर्गत दो भिन्न भिन्न प्रकार के वित्त उपलब्ध किये जा रहे हैं। प्रथम प्रकार वह है जिसमें उच्च-स्तर पत्रों अर्थात् वचन-पत्रों तथा विनिमय पत्रों आदि पर कुछ कमीशन काट कर धन दिया जाता है। दूसरी प्रकार वह जिसमें ऋण तथा अग्रिम धन आते हैं। यह भारत के रक्षित बैंक अधिनियम की धारा १७ (४) में आता है। इस प्रकार के वित्त में यह आवश्यक होता है कि ऋण दिये जाने वाले धन की सीमा निश्चित की जाये। इस प्रकार का वित्त प्रायः अधिक समय के लिये दिया जाता है।

साधारण रूप में इस विधेयक को इस सदन का पूर्ण समर्थन प्राप्त होना चाहिये। क्योंकि इसमें कुटीर तथा छोटे उद्योगों को वैत्तिक सहायता देने को कहा गया है। इसके द्वारा कृषि-कार्यों तथा बड़े उद्योगों को भी वैत्तिक सहायता उपलब्ध की जायेगी। श्रीमान्, हमें पहिले यह समझना है कि केवल बड़ी मात्रा में धन उपलब्ध करना ही पर्याप्त नहीं है। माननीय उपमन्त्री ने अपने भाषण में कहा था कि कृषि-कार्यों के लिये ऋतुकालीन वित्त के रूप में १२ करोड़ रुपये दिये गये थे। परन्तु फिर भी हमें यह नहीं भूल जाना चाहिये कि अभी कृषक का उस स्थान से कोई वास्ता नहीं है जहां ये पत्र उपलब्ध होते हैं। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि हमें एक ऐसी व्यवस्था भी करनी चाहिये जिस से व्यक्तिगत कृषक की पहुंच बहुत सी बैंकिंग स्थितियों को पार करके, भारत के रक्षित बैंक तक हो सके।

खण्ड ३ के उप-खण्ड (ख) के अनुसार, छोटे उद्योगों तथा कुटीर उद्योगों को रक्षित बैंक का ऋण बिल आदि पर कमीशन काट कर उपलब्ध किया जायेगा। क्या हमें विश्वास है या सरकार ने हमें यह बता दिया है कि इनकी सहायता करने का यह यथोचित ढंग है। इस खण्ड की सफलता भी इस बात पर निर्भर होगी कि क्या ये छोटे तथा कुटीर उद्योग इस प्रकार के पत्रों (बिल आदि) की आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे।

खण्ड ३ (ग) में, हमें उन पांच करोड़ रुपयों पर विचार करना है जो कृषि-कार्यों के लिये उपलब्ध किये जा रहे हैं। इस प्रकार की वित्त-व्यवस्था करने में, प्रायः उन प्रतिभूतियों की प्रकार विशेष रूप से बताई जाती है जो इस प्रकार मिलने वाले ऋण के लिये दी जाती हैं। क्योंकि यह एक नये प्रकार का

[श्री वी० बी० गांधी]

क्षेत्र है जिसमें हमारा रक्षित बैंक कार्य आरम्भ करने जा रहा है, इसलिये इस सम्बन्ध में केन्द्रीय बोर्ड की जो कठिनाइयां हैं मैं उन्हें भली भांति समझ सकता हूं। मुझे यह बात बहुत पसन्द आती यदि वित्त उपमन्त्री अपने भाषण में उन प्रतिभूतियों का हमें कुछ संकेत दे देते जो उनके ध्यान में हैं।

मेरा विचार है कि लगभग साढ़े तीन वर्ष पूर्व ग्राम बैंकिंग जांच समिति ने कुछ सिफ़ारिशें की थीं। मैं नहीं जानता कि उनकी कोई भी सिफ़ारिश अब तक सरकार ने स्वीकार की है या कार्यान्वित की है। हां, मैं यह जानता हूं कि वित्त उपमन्त्री ने अपने भाषण में उन सिफ़ारिशों का कोई उल्लेख नहीं किया है।

श्रीमान्, कृषि-ऋण अन्य ऋणों से भिन्न है। कृषकों की आवश्यकतायें कुछ इस प्रकार की हैं कि साधारण वाणिज्य बैंकिंग वित्त कृषकों को उचित रूप में उपलब्ध नहीं किया जा सकता है। उन्होंने हमें यह नहीं बताया कि वे सिफारिशें क्या हैं। हमारे विचार में इनमें से कुछ सिफारिशों को अविलम्ब क्रियान्वित किया जा सकता है और इन से लाभ भी होगा और यदि हम इस ५ करोड़ रुपये लगाने की योजना को किसानों के लिये उपयोगी बनाना चाहते हैं तो इसके उपयोग के लिये कोई व्यवस्था होनी चाहिये।

अब मैं खण्ड ३ के दूसरे भाग औद्योगिक वित्त निगम के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा। औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम की धारा २१ कुछ अस्पष्ट थी, इस विधेयक में उसे स्पष्ट कर दिया गया है। औद्योगिक वित्त निगम की आपातिक वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये वर्तमान विधेयक में ऋण की विशेष व्यवस्था के लिये उपबन्ध किया गया है।

यह प्रसन्नता की बात है कि हमारे रक्षित (रिज़र्व) बैंक के प्राधिकारियों ने स्वयं ही यह उपबन्ध किया है, इससे औद्योगिक वित्त निगम को बड़ी सहायता मिलेगी। मुझे आशा है कि वे स्थानीय निकायों को भी इसी प्रकार की सुविधायें देने के प्रश्न पर विचार करेंगे।

श्री मुहीउद्दीन (हैदराबाद नगर) : हमें बड़ी प्रसन्नता है कि भारत का रक्षित (रिज़र्व) बैंक अब भारत के सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्योग अर्थात् कृषि में भी रुचि लेने लगा है। १९५१ में संशोधक अधिनियम द्वारा राज्य सहकारी बैंक और अनुसूचित व्यावसायिक बैंक एक ही स्तर पर कर दिये गये थे। इस विधेयक के अधीन सहकारी समितियों को और सुविधायें दी जा रही हैं। यह बड़ी अच्छी बात है, परन्तु इसमें कुछ नई बातें की गई हैं जो कि केन्द्रीय बैंकिंग प्रथा और सिद्धान्तों से आधारभूत रूप से भिन्न हैं और वित्त उपमंत्री महोदय ने इस विधेयक को पुरःस्थापित करते समय इसका कारण नहीं बताया।

पहिली भिन्नता तो यह है कि भारत का रक्षित (रिज़र्व) बैंक जिस परिसम्पत् को प्रतिभूति मान कर ऋण देगा उसे केवल उसी पर विश्वास न करके मूलधन या ब्याज के चुकाये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार से भी प्रत्याभूति लेनी होगी। भारत के रक्षित बैंक अधिनियम की किसी धारा में पहिले कभी राज्य बैंक की प्रत्याभूति की व्यवस्था नहीं की गई, यह पहिली बार ही किया गया है।

दूसरी भिन्नता का श्री वी० बी० गांधी ने उल्लेख किया था और वह यह है कि अधिनियम की प्रत्येक धारा में यह दिया हुआ है कि भारत का रक्षित बैंक ऋण या हुंडियों के भुगतान के लिये किस प्रकार की प्रतिभूतियां स्वीकार कर सकता है, किन्तु इस विधेयक में

केन्द्रीय बोर्ड को यह अधिकार दिया गया है कि वह इस बात का निश्चय करे कि वे किस प्रकार की प्रतिभूति स्वीकार करेंगे । रक्षित (रिज़र्व) बैंक को ऐसी प्रतिभूति स्वीकार करनी चाहिये जिसे बेच कर वह तुरन्त धन वसूल कर सके जैसा कि पहिले होता रहा है । इसी प्रकार रक्षित बैंक की स्थिति सुदृढ़ रह सकती हैं । उसे राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार की प्रत्याभूतियों पर निभर नहीं करना चाहिये । यह सिद्धान्त अपनाना अच्छा नहीं है । इससे राज्य सरकारें और सहकारी आन्दोलन को बढ़ाने वाले लोग व संस्थायें ग्रामीण क्षेत्रों के लिये धन प्राप्त करने के प्रयत्न करना छोड़ देंगे । अतः हमें इस खतरे से बचना चाहिये ।

आपने समाचार पत्रों में यह पढ़ा होगा कि भारत के रक्षित बैंक ने जिन उद्योगों के सम्बन्ध में करारोपण जांच आयोग जांच कर रहा है उनके अतिरिक्त अन्य उद्योगों को कौन से साधन उपलब्ध कराये जा सकते है इसकी जांच करने के लिये श्री श्रौफ की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है । मैंने इसके निर्देश-पदों को तो नहीं देखा है, किन्तु इसकी नियुक्ति के तुरन्त बाद वित्त सम्बन्धी पत्र पत्रिकाओं में इस प्रकार के लेख निकले थे कि सम्भवतः श्रौफ समिति इस बात की जांच करेगी कि रक्षित बैंक और व्यावसायिक बैंक उद्योगों को दीर्घकालीन पूंजी के लिये कहां तक धन दे सकते हैं । सम्भव है यह केवल अनुमानमात्र हो । परन्तु इस अनुमान का आधार इसी विधेयक के उपबन्ध प्रतीत होते हैं । जब रक्षित बैंक राज्य बैंकों की प्रत्याभूति पर छोटे छोटे उद्योगों को और कुटीर उद्योगों को ऋण दे सकता है, तो उसे बड़ी बड़ी परियोजनाओं के लिये बड़े बड़े उद्योगों को भी ऋण देने के लिये कहा जा सकता है । आशा है वित्त उपमंत्री यह स्पष्ट करेंगे कि बिना अच्छी प्रकार जांच किये हमने यह इतना महत्वपूर्ण परिवर्तन कैसे किया है ।

श्री के० क० बसु (डायमंड हार्बर) : इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य यह है कि रक्षित (रिज़र्व) बैंक के क्षेत्र को बढ़ा कर कृषि सम्बन्धी कार्यों के लिये इसका प्रयोग किया जाये । आरम्भ में इसकी स्थापना भी देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की व्यवस्था को विकसित करने के लिये की गई थी । किन्तु इसने १९३४ से १९४९ तक १५ वर्ष में देश की ग्रामीण ऋण व्यवस्था के लिये कुछ भी नहीं किया । केवल इस सम्बन्ध में एक या दो पुस्तकें प्रकाशित की गईं । १९४९ में जब इसे सरकार ने खरीद लिया तो हम ने समझा कि अब यह राष्ट्र के हितों की विशेष रूप से देश की ग्रामीण ऋण व्यवस्था की देख-भाल करेगा । किन्तु दुर्भाग्य से गत चार वर्षों में इस दिशा में कुछ भी नहीं किया गया । अब हम ग्रामीण ऋण व्यवस्था के सम्बन्ध में रक्षित बैंक की शक्तियों को बढ़ाने के लिये उसके वतमान नियमों में सुधार कर रहे हैं, किन्तु हमें सन्देह है कि इन नई शक्तियों का जो कि इस विधयक में मांगी जा रही हैं राष्ट्रहित में प्रयोग भी किया जायेगा ।

जहां तक रक्षित बैंक के कार्यक्षेत्र को, विशेष रूप से देश की कृषि सम्बन्धी ऋण-व्यवस्था के लिये बढ़ाने के सामान्य सिद्धान्तों का सम्बन्ध है हम इसका समर्थन करते हैं । किन्तु जब तक हम ग्रामीण क्षेत्रों में दीर्घ-कालीन, बीच की अवधि के और यहां तक कि अल्पकालीन भी ऋण देने के लिये कोई व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक इन शक्तियों से काम नहीं चलेगा । अतः जब तक रक्षित बैंक इस सम्बन्ध में कोई ठोस नीति नहीं अपनाता तब तक यह कहना कठिन है कि इन शक्तियों से कहां तक सफलता मिलेगी ।

[श्री के० के० बसु

इसके बाद अतिरिक्त खण्ड ४ ख में माननीय मंत्री ने एक संशोधन प्रस्तुत किया है जिसमें कृषि सम्बन्धी कार्यों के लिये दिये जाने वाले ऋण पर सीमा बन्धन लगाने की मांग की गई है। मुझे मालूम नहीं कि इस संशोधन का अभिप्राय क्या है। हम जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में न केवल कृषकों की छोटी छोटी सहकारी समितियां होती हैं अपितु कारीगरों के कुटीरोद्योग भी होते हैं। हमें इन्हें भी ऋण की सुविधायें देकर इनकी सहायता करनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त वे समय को पांच वर्ष तक सीमित कर देना चाहते हैं। भारत जैसे एक कृषि प्रधान देश में ऋण की सुविधायें अधिक दीर्घकाल के लिये मिलनी चाहियें। कहीं कहीं ग्रामीण लोग सहकारी समितियों के द्वारा स्वयं कोई बन्द आदि बांधने का प्रयत्न करें तो उन्हें भी ऋण की आवश्यकता होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या दीर्घकालीन ऋण के लिये भूमि को रेहन रखने वाले बैंक नहीं हैं?

श्री के० के० बसु : बहुत कम। उनके पास भी अधिक सुविधायें नहीं हैं। अतः यदि हम देश की भूमि व्यवस्था में सुधार करना चाहते हैं तो हमें दीर्घकालीन ऋण की सुविधायें देनी चाहियें और पांच वर्ष की सीमा नहीं रखनी चाहिये।

राज्य के सहकारी बैंकों को ऋण देने पर भी बन्धन लगा हुआ है क्योंकि राज्य सरकारों से इस प्रकार के ऋण की प्रत्याभूति लेनी होगी। मेरे विचार में यह बात बहुत खतरनाक है। रक्षित बैंक राज्य सरकारों की प्रत्याभूति होने के कारण ऋण लेने वाली संस्थाओं के सम्बन्ध में अच्छी प्रकार पड़ताल नहीं करेगा और न ही इस बात का ध्यान रखेगा कि ऋण के धन का किस प्रकार प्रयोग किया जा रहा है। हमारे देश में सहकारी बैंक अभी इतने उन्नत अवस्था में नहीं हैं अतः रक्षित बैंक को प्रत्याभूति होने पर भी कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जो इस बात की पड़ताल कर सके कि ऋण किस प्रकार दिया जायेगा और ऋण लेने वाला उसका कैसे प्रयोग करेगा।

औद्योगिक वित्त निगम को ऋण देने के सम्बन्ध में जो सीमाबन्धन लगा हुआ है उपमंत्री जी उसे हटा देना चाहते हैं। रक्षित बैंक केन्द्रीय सरकार के बन्ध-पत्रों प्रतिभूतियों इत्यादि के बदले ऋण दे सकता है। किन्तु ऋण की कुछ सीमा न रखना खतरनाक है। कुछ न कुछ सीमाबन्धन अवश्य होना चाहिये। बीच की अवधि के ऋण अठारह मास के लिये होंगे और यदि निगम इसके लिये बहुत बड़ी बड़ी राशियां मांगे तो रक्षित बैंक को इन्हें देने के लिये उत्तरदायी नहीं ठहराया जाना चाहिये। रक्षित बैंक की उदासीनता की कई बार शिकायत की गई है। अतः रक्षित बैंक को औद्योगिक वित्त निगम को जितना चाहे धन देने का अधिकार देने के इस उपबन्ध पर ध्यान से विचार किया जाना चाहिये।

कृषि सम्बन्धी ऋण के लिये ५ करोड़ रुपये की राशि बहुत थोड़ी है, भारत जैसे देश में जहां ग्रामीण ऋण ९०० करोड़ रुपये से भी अधिक है यह राशि बिल्कुल नगण्य है। अतः इस राशि को बढ़ा कर कम से कम २५ करोड़ रुपये कर देना चाहिये।

अधिक मूल्य के नोटों के सम्बन्ध में जो अध्यादेश जारी किया गया था उसके बारे में माननीय उपमंत्री जी ने यह बताया है कि १.२५ करोड़ रुपये के नोटों का पता ही नहीं लगा। किन्तु इस विषय में इतनी जानकारी पर्याप्त नहीं है। हम यह भी जानना चाहते

है कि इस अध्यादेश का देश की ऋण सुविधाओं पर और अर्थव्यवस्था पर कहां तक प्रभाव पड़ा । अतः रक्षित बैंक अधिनियम के प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार करने से पूर्व हमें इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी मिलनी चाहिये । हम माननीय उपमंत्री की इस बात को कि अधिक मूल्य के नोट पुनः जारी करने की तुरन्त आवश्यकता है तब तक मानने को तैयार नहीं हैं जब तक हमारे पास पहिले अधिक मूल्य के नोटों को वापस लेने का क्या प्रभाव हुआ इस सम्बन्ध में रक्षित बैंक की रिपोर्ट नहीं आ जाती ।

ऋण देने के सम्बन्ध में इम्पीरियल बैंक को जो शक्तियां दीं जा रही हैं उन से वह अन्य अनुसूचित बैंकों से अलग हो जाता है । हमें इम्पीरियल बैंक के साथ अन्य अनुसूचित बैंकों जैसा ही व्यवहार करना चाहिये । जब रक्षित बैंक के राष्ट्रीयकरण के विधेयक पर चर्चा हो रही थी तो सभी सदस्यों ने यह कहा था कि इम्पीरियल बैंक का भी राष्ट्रीयकरण किया जाये । किन्तु चार वर्ष बीत गये हैं और---इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं हुआ । इम्पीरियल बैंक अब भी भारतीय उद्योगों और विदेशी उद्योगों को ऋण देने में भेदभाव करता है ।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** अध्यक्ष-पद पर आसीन]

इसे अब भी भारत का "इम्पीरियल" (साम्राज्यिक) बैंक कहने की अपेक्षा हमें इसे राष्ट्रहित के कार्य में लगाना चाहिए और इसे अन्य अनुसूचित बैंकों की श्रेणी में ही रखना चाहिए । अब समय आ गया है कि हमें राष्ट्र-हित में इसे अपने हाथ में ले लेना चाहिए ताकि विदेशी लोग गुप्त रूप से इम्पीरियल बैंक के द्वारा अपनी स्वार्थसिद्धि न कर सकें । यह कहने से कोई लाभ नहीं कि तीन या चार वर्ष पूर्व इस के निदेशक बोर्ड में केवल एक भारतीय था और अब दो या तीन हैं । कई भारतीय भी विदेशी हितों के पिट्ठू होते हैं । अतः रक्षित बैंक के बाद अब हमें इम्पीरिल बैंक का राष्ट्रीयकरण करना चाहिये ।

अन्त में मैं गवर्नर की शक्तियों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । इस संशोधक विधेयक के खण्ड ८ के अधीन गवर्नर की शक्तियां केन्द्रीय बोर्ड के समान करदी गई हैं । मेरे विचार में यह एक खतरनाक बात है । यदि गवर्नर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाये तो इस द्वैध शासन में केन्द्रीय बोर्ड गवर्नर पर उत्तरदायित्व डाल सकता है और गवर्नर केन्द्रीय बोर्ड पर । अतः जब तक वर्तमान व्यवस्था सन्तोषजनक रूप से कार्य कर रही है तब तक गवर्नर को ये शक्तियां देने का मुझे तो कोई कारण दिखाई नहीं देता । क्योंकि यदि गवर्नर से कोई भूल हो जाये तो केन्द्रीय बोर्ड कह सकता है कि हमें तो मालूम नहीं । अतः मैं इस उपबन्ध का तीव्र विरोध करता हूं ।

जहां तक कृषि सम्बन्धी और कुटीर तथा छोटे छोटे उद्योगों को ऋण देने का सम्बन्ध है मैं सामान्यतया इस संशोधक विधेयक का समर्थन करता हूं । परन्तु मेरी मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि वे खण्ड ८ में संशोधन करने का आग्रह न करें ।

श्री एस० एन० दास (दरभंगा मध्य) : सभापति जी, रिज़र्व बैंक आफ इंडिया ऐक्ट में संशोधन करने के लिये जो विधेयक हमारे मंत्री जी ने इस सभा के सामने रक्खा है, उसके सिद्धान्त से और उस की धाराओं से मेरा ख्याल है कि शायद किसी भी सदस्य को मतभेद नहीं होगा । यह बात सभी जानते हैं

[श्री एस० एन० दास]

कि हिन्दुस्तान की जो अर्थ नीति होनी चाहिये, उसका आधार खेती की तरक्की होनी चाहिये। सिद्धान्त में तो सरकार ने प्रायः पूरे तौर से इस को मान लिया है और पंचवर्षीय योजना में विशेष रूप से इस बात पर ध्यान दिया गया है कि हिन्दुस्तान में खेती की तरक्की कैसे हो। लेकिन जब हम खेती के लिये अर्थ और कर्ज के सम्बन्ध में विचार करते हैं तो पता चलता है कि कागज के ऊपर इस बात पर जितना जोर दिया जा रहा है कि हिन्दुस्तान में खेती की तरक्की के लिये अधिक से अधिक प्रयत्न सरकार को करना चाहिये, शायद कार्य में अभी सरकार उसमें उतनी ही पीछे है। ऐग्रीकल्चरल फाइनेंस पर विचार करते हुए प्लैनिंग कमीशन ने यह कहा है कि हिन्दुस्तान में खेती की तरक्की, खेती को चलाने और खेती के विकास के लिये अर्थ की कितनी ज़रूरत है, इस बात का पूरा पूरा अन्दाजा लगाना अभी सम्भव नहीं है और इसलिये इसके सम्बन्ध में हम तब तक कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकते हैं कि जिससे खेती की तरक्की के लिये अर्थ की व्यवस्था पूरे तौर से हो सके जब तक कि रिज़र्व बैंक आफ इंडिया के द्वारा जो रूरल क्रेडिट का सर्वे किया जा रहा है, उसकी पूरी पूरी रिपोर्ट न आ जाय। सभापति महोदय, सन् १९४९ में बैंकिंग एन्क्वायरी कमेटी की नियुक्ति हुई थी और उस ने देश में रूरल क्रेडिट के सम्बन्ध में कुछ सुझाव पेश किये थे, लेकिन अगर उस रिपोर्ट को देखा जाय और पढ़ा जाय कि हमने इस दिशा में कितनी उन्नति की है तो शायद इसमें निराशा ही का सामना करना पड़ेगा। मुझे ठीक ठीक तारीख याद नहीं है लेकिन दो साल पहले रिज़र्व बैंक आफ इंडिया ने रूरल क्रेडिट का सर्वे शुरू किया। उसकी रिपोर्ट पढ़ने से मालूम होता है कि रिजर्व बैंक को इसका पता नहीं था कि सर्वे में जो कागज़ात और आंकड़े प्राप्त होंगे वह इतने बड़े आकार के होंगे। सर्वे करने के बाद जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं। जो बातें मालूम हुई हैं वे इतनी ज्यादा हैं कि उनके सम्बन्ध में पूरे तौर से विचार करने के लिय कुछ समय चाहिये और उसके बाद ही वह रिपोर्ट हमारे सामने आयेगी। लेकिन सभापति महोदय, सर्वे का परिणाम प्राप्त होने तक इस बिल में खेती के हेतु कर्ज के लिये जितनी व्यवस्था करनी चाहिये थी और जो सुविधा रिजर्व बैंक को देनी चाहिये थी वह रिजर्व बैंक आफ इंडिया नहीं दे रहा है। कहा जाता है जैसा कि प्लैनिंग कमीशन और रिजर्व बैंक आफ इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया है, कि जब पूरी जांच पड़ताल इस सम्बन्ध में हो जायेगी तब यह सरकार और रिज़र्व बैंक आफ इंडिया अपनी निश्चित नीति निर्धारित करेंगे। इस मौके पर, यद्यपि मैं इस बिल का पूरे तौर से समर्थन करता हूं, मैं उन करोड़ों भाइयों की तरफ से जिनके प्रतिनिधि के रूप में मुझे यहां आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, यह कह देना चाहता हूं कि सरकार जिस धीमी गति से जिस घोंघे की चाल से कार्य कर रही है, उससे इस समस्या का समाधान होना सम्भव नहीं है। रिजर्व बैंक आफ इंडिया ऐक्ट में संशोधन करने के लिये जो यह बिल प्रस्तुत किया गया है उसकी धारायें स्वागत करने योग्य अवश्य हैं लेकिन जैसा मेरे मित्रों ने कहा है खेती और ग्रामोद्योग के लिये भारत जैसे देश में ५ करोड़ रुपये कर्ज में देने की व्यवस्था समुद्र में बूंद के समान ही कही जा सकती है। हिन्दुस्तान के किसानों की क्या दशा है, वह स्वयम् अपनी खेती के लिये जितने अर्थ की ज़रूरत है उस की क्या व्यवस्था कर सकते हैं और अभी जो कर्ज देने वाली एजेंसियां हैं वह किस तरह से कार्य कर रही हैं, अगर इस पर विचार किया जाय तो मैं समझता हूं कि शायद हिन्दुस्तान के जितने प्रति-

निधि यहां उपस्थित हैं, सब को अफसोस ही करना पड़ेगा। पहले देहात के अन्दर जो कर्ज लेने देने की व्यवस्था थी, मनी लेन्डर्स थे, लैंड-लार्डस थे और दूसरी जो एजेंसियां थीं वह अब करीब करीब मिटती जा रही हैं। कुछ कानून ऐसे बने जो ज़रूरी कानून थे। कानून बन गये। पर मनी लैंडिंग के सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों में जो कठिनाइयां उपस्थित हुई उनके मुकाबले के लिये न तो कुछ वहां की सरकार ने किया और न कुछ केन्द्रीय सरकार ने इस की व्यवस्था की। आज बावजूद इस बात के कि सरकार ग्रो मोर फूड आन्दोलन को आगे बढ़ाने के लिये तकावी के रूप में कुछ रुपया देती है, लेकिन इस रुपये का व्यवहार जैसा खेती की तरक्की के लिये होना चाहिये नहीं होता है। जैसा कि मेरे किसी मित्र ने कहा था, जो भी रुपया, जो भी फाइनेंस हम खेती की तरक्की के लिये देते हैं उस का व्यवहार खेती के लिये नहीं होता है। जो बड़े बड़े किसान होते हैं वह सरकार से पैसा लेकर के उस को देहातों के अन्दर दूसरे कामों में इस्तेमाल करते हैं।

इसलिए, सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि यह जो बिल है इसको तो हम पास करेंगे ही, लेकिन जो रिजर्व बैंक आफ इंडिया का सरवे रूरल क्रेडिट के बारे में चल रहा है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाय और जो आंकड़े उस सरवे से हम को प्राप्त हों उनके आधार पर जल्द से जल्द ऐसी व्यवस्था की जाय कि जिससे हिन्दुस्तान के करोड़ों खेतिहर हैं उनको समय पर, सस्ती दर पर, सुभीते के साथ बिना किसी परेशानी के खेती के काम के लिये कर्ज मिल सके। आज रिजर्व बैंक आफ इंडिया की रिपोर्ट से पता चलता है कि वह विभिन्न राज्य सरकारों से इस बात के लिए बातचीत कर रही है कि उनके यहां जो सहकारी समितियां काम कर रही हैं उनका काम ठीक से चलता है या नहीं। रिज़र्व बैंक की सालाना रिपोर्ट को देखने से यह पता चलता है कि जांच पड़ताल तो बहुत हद तक हो गयी है लेकिन अभी राज्य सरकारों के साथ विचार विनिमय पूरा नहीं हो पाया है। इसलिए अभी उस सम्बन्ध में रिजर्व बैंक न ठीक ठीक कदम नहीं उठाया है। कोआपरेटिव आन्दोलन पर जितना जोर हमारे प्लानिंग कमीशन ने दिया है उतना न तो केन्द्रीय सरकार की तरफ से दिया गया है और न राज्य सरकारों ने उतना जोर इस संगठन को मजबूत करने के लिए दिया है। अभी तक इसको गांव गांव में फैलाने के लिये कोई रास्ता नहीं पकड़ा गया है। यह बात सही है कि केन्द्रीय सरकार और रिजर्व बैंक आफ इंडिया विभिन्न राज्यों को सहकारिता आन्दोलन को बढ़ाने के लिए सहायता देना चाहती है लेकिन जिस धीमी गति से हम कदम उठा रहे हैं उससे हमारा ख्याल है कि हम हिन्दुस्तान जैसे बड़े देश में ६ लाख गांवों में बिखरे हुए करोड़ों किसानों को उनकी खेती के लिए फाइनेंस का प्रबन्ध नहीं कर पा सकेंगे। इसलिए इस बिल को पास करने के बाद सरकार को चुप बैठ कर नहीं रह जाना चाहिए और मैं अपने माननीय मंत्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि जो सरवे रिजर्व बैंक कर रही है उसको जल्द से जल्द पूरा कराया जाय और उसके बाद देखा जाय कि खेती के समुचित प्रबन्ध और विकास के लिए कितने रुपए की ज़रूरत है। अभी प्लानिंग कमीशन को इस बात का पता नहीं लग सका है। उनको यह नहीं पता चल सका है कि हिन्दुस्तान जैसे बड़े देश में करोड़ों किसानों को समय पर कम सूद में बिना परेशानी के सहायता देने के लिए कितने रुपये की आवश्यकता है। यह सही है कि इस बिल के ज़रिये प्लानिंग कमीशन ने खेती और ग्रामोद्योगों की तरक्की के लिए पांच करोड़ रुपया रक्खा है। उसकी रिपोर्ट से पता चलता है कि सन् १९५१–५२ में

[श्री एस० एन० दास]

रिजर्व बैंक ने खेती की तरक्की के लिए १२ करोड़ रुपया देश की विभिन्न कोआपरेटिव बैंकों को दिया था, लेकिन उस रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि इस रुपये के दो तिहाई का उपयोग बम्बई और मदरास ने किया है और उसके बाद मध्य प्रदेश और यू० पी० ने उपयोग किया और दूसरे राज्यों में शायद को-आपरेटिव की व्यवस्था ठीक नहीं होगी इसलिए उसका उपयोग वह नहीं कर सके। इतने बड़े देश में रिजर्व बैंक का खेती की तरक्की के लिए १२ करोड़ रुपये का प्रबन्ध करना बहुत ज्यादा नहीं है। मैं इस मौके पर इस बिल का जो रिजर्व बैंक ऐक्ट में संशोधन करने के लिए पेश किया गया है समर्थन करता हूं। लेकिन साथ ही उम्मीद करता हूं कि रिजर्व बैंक जो कि राष्ट्रीय बैंक है वह हिन्दुस्तान की अर्थ नीति में जो खेती का स्थान है उसको मद्देनज़र रखते हुए खेती के लिए अधिक से अधिक रुपया देगी और ऐसा प्रबन्ध करेगी जिससे कि देश में खेती की तरक्की के लिए गांव गांव में बैंकों का ऐसा इन्तज़ाम हो जाय कि जिससे लोग खेती आसानी से कर सकें।

पंडित के० सी० शर्मा (जिला मेरठ—दक्षिण) : सदन के सामने जो विधेयक है उस पर मुझे हैरानी है, इसलिये कि इस में उपबन्ध यह है कि कुछ लोग मिल कर ऋण सम्बन्धी सुविधाओं की मांग करें तो रिजर्व बैंक ये सुविधायें देगा परन्तु शर्त यह है कि राज्य सरकार उस की प्रतिभूति दे।

किसानों के लिये ऋण की समस्या बहुत पुरानी है। एक समय था जब साहूकार उन से मूल का कई गुणा ब्याज वसूल करते थे। शुक्र है कि वह प्रथा समाप्त हो गई है। अब भी साहूकारी चलती है। किसानों को ऋण लेने के लिये अपना सब कुछ बन्धक रखना पड़ता है

हम ने पंच वर्षीय योजना बनाई है और उस के सम्बन्ध में लम्बी चौड़ी बातें की जाती हैं। उस दिन योजना मंत्री बोल रहे थे और वे संसार को यह बताना चाहते थे कि यह देश बदल रहा है। मुझे तो ऐसी बातें सुन कर और वास्तविकता को देख कर दुःख होता है। केवल बातें बनाने से ही काम नहीं चलता। मुझे यह समझ में नहीं आता कि इस विधेयक से किसानों के ऋण की समस्या कैसे हल हो जायेगी।

किसी समय खेती, अपनी रोटी कमाने का साधन थी। अब यह एक उद्योग बनती जा रही है। क्या सरकार इस उद्योग को यही सहायता दे रही है। इस ५ करोड़ रुपये से इस का क्या बनेगा? लाखों वर्ष पहले, मनुष्य पहाड़ों पर चढ़ कर बादलों से बरसने की प्रार्थना किया करते थे और आज वित्त मंत्री ५ करोड़ रुपये से किसानों के लिये ऋण की समस्या को हल करने की चेष्टा उसी ढंग से कर रहे हैं।

कुमारी एनी मुस्करीन (त्रिवेन्द्रम) : यह विधेयक बहुत पहले सदन के सामने आना चाहिये था। मैं ने इस में कोई त्रुटि तलाश करने की चेष्टा की जिस से कि मैं इस का विरोध कर सकूं, परन्तु मुझे कोई त्रुटि दिखाई नहीं दी। अतः मैं अब इस का समर्थन करती हूं।

वित्त मंत्री ने जिस ढंग से यह विधेयक सदन में रखते हुए बातें कीं उस से तो यही लगता था कि रिजर्व बैंक का दिवाला निकलने वाला है। इस विधेयक के साथ आंकड़े आदि नहीं दिये गये जिन से स्पष्टतया मालूम हो सके कि वास्तविक स्थिति क्या है।

यह विधेयक कृषि सम्बन्धी वित्त व्यवस्था के पुनर्संगठन के लिये बहुत आवश्यक है। इन संशोधनों का तात्पर्य यह है कि रिजर्व बैंक सभी प्रकार के कृषि कार्यों के लिये,

कुटीर उद्योगों तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये और कृषि विकास के लिये ऋण दे सके। इस से किसानों और छोटे छोटे उद्योगपतियों को बहुत सहायता मिलेगी।

आज हम किसानों पर होने वाले अत्याचारों की निन्दा करते हैं, सहकारी संस्थाओं के काम में दोष निकालते हैं और अपनी कृषि तथा अर्थ व्यवस्था के अन्य दोषों की चर्चा करते हैं। मैं लार्ड कार्नवालिस द्वारा पास किये गये १७९३ के अधिनियम की याद दिलाना चाहती हूं जिस के द्वारा लाखों किसानों का भूमि पर अधिकार रातों रात छिन गया था और शोषण की प्रतीक---जमींदारी, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी प्रणालियां प्रारम्भ हो गई थीं। कृषि सम्बन्धी वित्त व्यवस्था की अस्त व्यस्तता के अतिरिक्त मैं भारत सरकार का ध्यान किसानों के ऋण भार की ओर दिलाना चाहती हूं। केन्द्रीय बैंकिंग जांच समिति का अनुमान है कि भारत के किसानों पर कुल मिला कर ९०० करोड़ रुपये का ऋण है। इस के अतिरिक्त बाढ़ और अकाल तो हर वर्ष पड़ते हैं।

मुझे खेदपूर्वक यह कहना पड़ता है कि हमारी सरकार ने पिछले सात वर्षों में विदेशियों के साथ उधार पट्टे की व्यवस्था कर के राष्ट्र को फंसा दिया है। मैं जो रास्ता बताना चाहती हूं वह विदेशियों के साथ उधार पट्टे की व्यवस्था का नहीं बल्कि देश के करोड़ों लोगों के साथ सहयोग का रास्ता है। लोग स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में आप के साथ रहे हैं और अब भी आप का साथ देने के लिये तैयार हैं। परन्तु आप अपने ऊंचे शिखर से उतर आइये और विदेशों से सहायता की याचना न करते फिरिये।

सात वर्ष राष्ट्र के जीवन में कुछ भी नहीं होते। अब भी समय है कि जिन के हाथ में देश की बागडोर है वे ऐसी योजनायें बनायें जिस से भूमि सब के पास एक सी हो और कृषि में सुधार हो।

इन संशोधनों से रिजर्व बैंक को सहकारी ऋण समितियों और व्यापारिक बैंकों जैसी संस्थाओं का विकास करने के अधिकार प्राप्त हो जायेंगे। किसानों पर ऋण के भार की जांच से पता चला है कि अधिकतर ऋण विकास सम्बन्धी कामों के लिये नहीं वरण प्रति दिन की आवश्यकतायें पूरी करन के लिये लिया गया है। सहकारी ऋण समितियां काम नहीं आईं, व्यापारी बैंक दिवाला दे गये और इन मामलों की जांच करने के लिये समितियां नियुक्त की गईं जिन में गाडगिल समिति भी थी। इन्हीं समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने ये संशोधन रखे हैं। यह काम तो बड़ी बुद्धिमानी का है बशर्ते कि वित्त मंत्री और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री सार्वजनिक संसाधनों को अनार्थिक उपकर्मों में नष्ट न कर दें।

अब जब कि रिज़र्व बैंक को छोटे बैंकों पर नियंत्रण का अधिकार है, मेरा सुझाव है कि बैंक उद्योग का संगठन तथा राष्ट्रीयकरण किया जाये। बैंक उद्योग ने प्रारम्भ में तो बड़ी उन्नति की परन्तु बाद में विशेषकर छोटे छोटे बैंक फेल हो गये। इस के बाद छोटे छोटे बैंकों को मिला कर बड़े बैंक बनाने की चेष्टा की गई। इंगलैंड में तो यह कार्यवाही बड़ी सफल रही। मेरा सुझाव है कि भारत में भी ऐसा ही किया जाये। मेरे विचार में रिज़र्व बैंक भी स के पक्ष में है। अंग्रेजी बैंकों का इतिहास यह बताता है कि यह कार्यवाही बड़ी सफल रही है। जर्मनी, कैनेडा और अमरीका में भी यही हुआ है।

सभापति महोदय : मैं माननीया सदस्या से प्रार्थना करूंगा कि इस विधेयक के उपबन्धों पर ही बोलें। इस का बैंकों के एकीकरण

[सभापति महोदय]

से कोई सम्बन्ध नहीं है। वे काफी समय ले चुकी हैं। मैं उन से प्रार्थना करूंगा कि अपना भाषण समाप्त करें।

कुमारी एनी मस्करीन : मुझे और कुछ नहीं कहना है। मेरी सिफारिश है कि देश की बैंक व्यवस्था ऐसी हो कि किसानों के लिये ऋण का प्रबन्ध हो सके और कृषि का पुनर्संगठन हो।

श्री के० पी० त्रिपाठी (दरांग) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। यह उचित दिशा में एक छोटा सा कदम है। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है इस विधेयक के अधीन किसानों के लिये ऋण की व्यवस्था करने की जो चेष्टा की गई है वह बहुत मामूली सी है। अब तक तो यही समझा जाता था कि कृषि के लिये वित्त की व्यवस्था करने की आवश्यकता ही नहीं है। उद्योग पर जब भी विपत्ति आई सरकार ने उस की सहायता की है परन्तु कृषि की सहायता नहीं की गई और न ही उस के उत्पादन के सम्बन्ध में कुछ किया गया है।

उदाहरण के लिये १९५१ में चाय उद्योग की दशा बिगड़ी तो सरकार ने इस उद्योग को दिये जाने वाले ऋणों की प्रतिभूति दी। वह यह थी कि १० प्रतिशत तक की हानि होगी तो सरकार उसे सहन करेगी। परन्तु यहां तो यह उपबन्ध है कि सारे ऋण की प्रतिभति राज्य को करनी होगी। इस का अर्थ यह है कि सरकार हानि में हाथ नहीं बटाना चाहती। इस का अर्थ यह भी है कि सरकार इस बात को नहीं समझती कि यह समस्या तो सदा ही रहती है। दो फसलों में कुछ लाभ हो तो तीसरी फसल बेकार जाती है और सारा लाभ बराबर हो जाता है। यदि आप इस बात को ध्यान में रख कर ऋण की व्यवस्था नहीं करते तो आप इस समस्या के व्यापक रूप को नहीं समझ रहे हैं।

उधर अमरीका को लीजिये। १९२९ में उन के सामने यह समस्या आई तो उन्हों ने व्यापक ढंग से इसे निपटाया था। उस दिन सरकार ने बैंकिंग कम्पनी संशोधन विधेयक रखा जिस में परिसमापन का उपबन्ध है, परन्तु वह भी अपूर्ण ही है। अमरीका की तरह बैंकों में जमा कराये गये धन के बीमे की व्यवस्था नहीं की गई है। इसी प्रकार यह उपबन्ध भी अपूर्ण ही है। एक तो फसलों के बीमे का प्रबन्ध होना चाहिये और दूसरे अमरीका की तरह मूल्यों में तेजी मन्दी की दशा में मूल्यों का उचित स्तर बनाये रखने की व्यवस्था होनी चाहिये। तीसरी बात यह है कि अमरीका की तरह यहां भी यह प्रबन्ध होना चाहिये कि जिन लोगों को बैंक ऋण देने से इन्कार कर दें उन्हें सरकार ऋण दे। बैंक ऋण दे भी दें, हानि का खतरा तो रहता ही है। उस दशा में बीमे की व्यवस्था हो तो अच्छा है।

यदि आप इस समस्या को व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो कृषि उद्योग का समुचित संरक्षण किया जा सकता है। कृषि में बहुत लाभ है। आप कृषि में पूंजी नहीं लगाते, इसी से जनता की क्रय शक्ति ठीक नहीं रहती है।

उद्योगों के लिये तो बैंक ऋण देते हैं परन्तु कृषि को कोई नहीं पूछता। संयुक्त राज्य अमरीका में कृषि के लिये भी धन बैंक ही देते हैं। कृषि के क्षेत्र में क्रय शक्ति की रक्षा करने के लिये ऋण सम्बन्धी नीति की आवश्यकता है। यह मालूम होना चाहिये कि कहां प्रत्यय की कमी है और उसे दूर किया जाय। अभी तक ऐसी कार्यवाही नहीं की गई इसीलिये प्रति वर्ष कोई न कोई संकट आया ही रहता है।

इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इस समस्या को व्यापक रूप से निपटायें। इस को आंशिक रूप से तै करने की चेष्टा से यह समस्या हल नहीं होगी।

यह केवल एक प्रयोगात्मक विधेयक ही रहेगा। किन्तु १९५३ में तो प्रयोगात्मक विधेयक नहीं बनाने चाहियें और ऐसी व्यापक ऋण नीति निर्धारित करनी चाहिये जो सभी कमियों को पूरा कर सके।

मेरी सरकार से यह प्रार्थना है कि वह इस समस्या पर व्यापक रूप से विचार करे और कृषि क्षेत्र में भी वैसी ही ऋण सम्बन्धी सुविधायें दे जैसी कि औद्योगिक क्षेत्र में दी गई हैं।

सभापति महोदय माननीय मंत्री जी।

श्री जोकीम आल्वा (कनारा) मैं इस विधेयक का विरोध करना चाहता हूं। कृपया मुझे पांच मिनट बोलने के लिये दीजिये।

सभापति महोदय : यदि आप इस के विरोध में कुछ कहना चाहते हैं तो ततीय वाचन के समय कह सकते हैं।

श्री ए० सी० गुहा : श्रीमान, मैं समझता हूं कि सामान्यतया सदन के सदस्यों ने इस विधेयक का स्वागत किया है। अधिकांश सदस्यों न इस विधेयक का समथन किया है, किन्तु इस के साथ ही बहुत से सदस्यों ने सरकार के समक्ष कुछ बातें भी रखी हैं।

सब से पहिले मैं इम्पीरियल बैंक के सम्बन्ध में कही गई कुछ बातों का उत्तर दूंगा। इस विधेयक में जिस पर कि चर्चा हो रही है, इम्पीरियल बैंक के सम्बन्ध में बिल्कुल परोक्ष रूप से निर्देश किया गया है। जिस संशोधक खंड में इम्पीरियल बैंक के सम्बन्ध में कुछ कहा गया है, सदस्यों ने उस का अभिप्राय नहीं समझा है। यह बात नहीं है कि हम इम्पीरियल बैंक को कोई विशेष सुविधा देने लगे हैं....

श्री जोकीम आल्वा : आप सदा ही देते हैं।

श्री ए० सी० गुहा : जैसा कि कुछ सदस्यों ने अर्थ लगाया है। हम तो केवल इतना ही कर रहे हैं कि अनुसूचित बैंकों के लिये यह आवश्यक न हो कि इम्पीरियल बैंक से वे जो ऋण लें उस का ५ प्रतिशत उन्हें भारत के रक्षित बैंक म विनियोजित करना पड़े। इस प्रकार हम इम्पीरियल बैंक की कोई विशेष सुविधा नहीं दे रहे हैं।

श्रीमान्, इस विधेयक से संगत न होने पर भी सदस्यों ने इम्पीरियल बैंक के सम्बन्ध में बहुत सी बातें कही हैं। मैं उन की मिथ्या-शंकाओं को दूर करने का प्रयत्न करूंगा। इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में मुख्य रूप से तीन युक्तियां दी गई हैं: (क) कुछ वर्ष पूर्व इम्पीरियल बैंक में उच्च पदों पर काम करने वाले अधिकांश कर्मचारी अभारतीय थे, (ख) ऋण देने के सम्बन्ध में यूरोपियन समवायों के साथ पक्षपात किया जाता था; और (ग) मुद्रा पेटियों में धन के स्थानान्तरण की सुविधाओं के सम्बन्ध में और बैंक के कोषागारों तथा शाखाओं द्वारा नोटों के भेजने के सम्बन्ध में यह बैंक अन्य बैंकों की अपेक्षा अनुचित लाभ उठाता ा। इम्पीरियल बैंक के ज्येष्ठ कर्मचारियों की राष्ट्रीयता के सम्बन्ध में मैं सदन में कई बार आंकड़े बतला चुका हूं और अब फिर बतला देता हूं। १९४६ में ज्येष्ठ कर्मचारी पदाधिकारियों में से १५ यूरोपियन थ और १ भारतीय था। अब अर्थात् १९५२ में ११ यूरोपियन हैं और १२ भारतीय हैं। १९४६ में एक यूरो-

[श्री ० सी० गुहा]

पियन और एक भारतीय सहायक निरीक्षक था; अब कोई यूरोपियन नहीं है और १ भारतीय है। १९४६ में २३ यूरोपियन और १ भारतीय पदाधिकारी (प्रथम श्रेणी) थे और इस समय ४ यूरोपियन और २९ भारतीय थे। इसी प्रकार १९४६ में ज्येष्ठ श्रेणी में कुल १०१ यूरोपियन थे और अब उन की संख्या २९ है। १९४६ में केवल ७३ भारतीय थे और इस समय उन की संख्या १२० है।

(ख) के सम्बन्ध में इम्पीरियल बैंक की एक साप्ताहिक बैठक होती है और उस में ऋण सम्बन्धी सभी प्रार्थनापत्रों पर विचार किया जाता है। भारत सरकार का एक प्रतिनिधि श्री ए० डी० गोरवाला अब बैंक की इन साप्ताहिक बैठकों में भाग लेता है और उसे इस बारे में पूर्ण सन्तोष है कि भारतीय समवायों के साथ किसी प्रकार का भेद भाव नहीं किया जाता। तीसरी बात पर भी ग्रामीण बैंकिंग जांच समिति ने विचार किया था और उसे यह विश्वास हो गया था कि अब अन्य बैंकों को भी वैसी ही सुविधायें मिलती हैं। कतिपय सदस्यों ने इम्पीरियल बैंक के ग्रामीण ऋण के सम्बन्ध में कुछ करने का उल्लेख किया था। मेरे विचार में ग्रामीण बैंकिंग जांच समिति ने कुछ सिफारिशें की थीं और रक्षित बैंक ने इम्पीरियल बैंक से इन में से कुछ सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये कहा है। उन्हों ने गत दो वर्षों में ३४ शाखायें खोली हैं और वे कुछ और शाखायें खोलने वाले हैं और आशा है कि ये शाखायें ग्रामीण ऋण के लिये भी कुछ करेंगी।

इस के अतिरिक्त अंश पूंजी में से लगभग ७० प्रतिशत—मुझे ठीक ठीक पता नहीं है—बहुत अधिक अंश भारतीयों के हाथ में है। बोर्ड में भी भारतियों का बहुमत है और अब इम्पीरियल बैंक का प्रबन्ध संचालक भी एक भारतीय है। इस प्रकार क्रियात्मक रूप में एक प्रकार से इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण हो चुका है (**अन्तर्बाधायें**) यह सरकारी संस्था तो नहीं बनी है किन्तु इस का नियंत्रण पूर्णतया भारतीयों के हाथ में आ गया है।

श्री बी० दास : क्या मैं माननीय मंत्री से यह पूछ सकता हूं कि क्या वित्त मंत्रालय ने ग्रामीण बैंकिंग जांच समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ?

श्री ए० सी० गुहा : मैं उस जांच समिति के प्रतिवेदन का पहले ही उल्लेख कर चुका हूं।

श्री बी० दास : आप इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि इम्पीरियल बैंक राज्य द्वारा संचालित समवाय होना चाहिये चार वर्ष पूर्व सदन ने यह आज्ञा दी थी कि . . . . . .

श्री ए० सी० गुहा : यह राज्य बैंक नहीं है, किन्तु इस का प्रबन्ध अब अधिकांशतया भारतीयों के हाथ में है।

श्री दास और मेरे विचार में, श्री बसु ने भी कुछ बातों का उल्लेख किया था। मुझे मालूम नहीं कि उन्हों ने यह आरोप किस आधार पर लगाया है कि इस विधेयक द्वारा हम रक्षित बैंक के गवर्नर को केन्द्रीय बोर्ड के समान शक्तियां दे रहे हैं। हम इस विधेयक द्वारा ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं। हम तो केवल इतना कर रहे हैं। धारा ८(३) में एक उपबन्ध है जिस के अनुसार यदि गवर्नर अनुपस्थित हो तो वह किसी उपगवर्नर को रक्षित बैंक की बैठक में भाग लेने और अपना मत देने का अधिकार दे सकता है। 'अनुपस्थित' शब्द का अर्थ

बड़ा सीमित है । अतः हम केवल इस बात का उपबन्ध कर रहे हैं कि जब गवर्नर किसी कारण से एसी किसी बैठक में उपस्थित न हो सके तो कोई उपगवर्नर उस से इस विषय में लिखित अधिकार प्राप्त होने पर उस बैठक में उस की ओर से मत दे सकता है ।

श्री के० के० बसु : हम ने संशोधक विधेयक के खंड ८--मूल अधिनियम की धारा ५८ के सम्बन्ध में कहा है ।

श्री ए० सी० गुहा : उस में से भी 'गवर्नर' शब्द निकाल दिया जायेगा । इस विधेयक में हम गवर्नर को केन्द्रीय बोर्ड के समान स्थिति पर नहीं ला रहे हैं ।

मेरे विचार में शेष सब आपत्तियां ग्रामीण ऋण के लिये धन की कमी के सम्बन्ध में उठाई गई हैं । श्रीमान्, हम इस विधेयक द्वारा ५ करोड़ रुपये कृषि सम्बन्धी कार्यों के लिये बीच की अवधि के ऋणों के लिये अलग रख रहे हैं । अधिकांश सदस्यों ने ५ करोड़ रुपये की इस तुच्छ राशि के लिये क्रोध प्रकट किया है । परन्तु मैं उन का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि रक्षित बैंक के पास अल्पकालीन ऋणों के अतिरिक्त अन्य ऋणों के लिये देने को केवल १० करोड़ रुपये हैं । इस का अर्थ यह है कि रक्षित बैंक के पास पूंजी और रक्षित निधि के रूप में केवल १० करोड़ रुपये हैं । इन १० करोड़ रुपयों में से कृषि सम्बन्धी प्रयोजनों के हेतु बीच की अवधि के ऋण के लिये ५ करोड़ रुपये अलग रख दिये गये हैं । इस के अतिरिक्त रक्षित बैंक के अन्य भी दायित्व हैं । हम राज्य वित्त निगमों, गोदाम व्यवस्था विकास बोर्ड, केन्द्रीय भूमि रेहन बैंक इत्यादि के लिये भी कुछ धन राशि रख रहे हैं । अतः रक्षित बैंक के पास उपलब्ध धन को ध्यान में रखते हुए कृषि सम्बन्धी प्रयोजनों के हेतु बीच की अवधि के ऋण के लिये और अधिक राशि देना सम्भव नहीं है ।

श्रीमान्, सदस्य सम्भवतः यह समझते होंगे कि रक्षित बैंक तो भारत सरकार का बैंक है या रक्षित बैंक नोट जारी करता है अतः वह कुछ करोड़ के नोट और छाप कर कृषि सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये ऋण दे सकता है । मैं उन की इस बात से सहमत हूं कि ५ करोड़ रुपये की राशि इस प्रयोजन के लिये पर्याप्त नहीं है । किन्तु मैं उन्हें यह भी बता देना चाहता हूं कि रक्षित बैंक कृषि सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये केवल इतनी ही राशि नहीं देगा । इस के अलावा रिज़र्व बैंक विभिन्न राज्य सहकारी बैंकों को कृषि सम्बन्धी मौसमी कार्यों के लिये पहले ही लगभग १२ करोड़ रुपया दे चुका है । फिर, भूमि बन्धक बैंकों को भी रिज़र्व बैंक से एक करोड़ से अधिक रुपया मिला है । इस के अतिरिक्त, और कई प्रकार के कृषि सम्बन्धी ऋण हैं । माननीय सदस्यों को यह आशा नहीं करनी चाहिये कि रिज़र्व बैंक ही देश भर में कृषि सम्बन्धी कार्यों के लिये सारा रुपया दे ।

कुछ समय पूर्व मैं ने दूसरे सदन में कृषि वित्त निगम के बारे में वाद विवाद कर उत्तर दिया था । वह प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन है । इस के अलावा, सदस्यों को मालूम है कि इस समय रिज़र्व (रक्षित) बैंक द्वारा कृषि सम्बन्धी ऋण की प्रणाली तथा उस की आवश्यकता के सम्बन्ध में जांच की जा रही है । ज्योंहि रिपोर्ट आ जायेगी रिज़र्व बैंक और मैं समझता हूं, केन्द्रीय सरकार कृषि सम्बन्धी ऋण के बारे में अपनी नीति निर्धारित करेंगे । परन्तु यदि माननीय सदस्य यह समझते हों कि रिज़र्व बैंक का काम देश भर को कृषि सम्बन्धी ऋण देना है तो मैं यह कहूंगा कि उन्हें रिज़र्व

[श्री ए० सी० गुहा]

बैंक के कार्यों और ज़िम्मेदारियों के बारे में बिल्कुल गलत ख्याल है ।

कुछ माननीय सदस्यों ने भूमिबन्धक बैंकों का प्रश्न उठाया । यद्यपि यह विषय संगत नहीं, फिर भी मैं यह बता दूं कि इस समय हमारे यहां २८६ प्रारंभिक भूमिबंधक बैंक हैं जिन की सदस्यता दो लाख से ऊपर है और जिन के पास ७ करोड़ रुपया पूंजी के रूप में है तथा ६.७४ करोड़ ऋण पत्रों के रूप म । जब कभी भूमिबन्धक बैंक कोई ऋण पत्र जारी करते हैं तो रिज़र्व बैंक आमतौर से उन में से २० प्रतिशत को खरीद लेता है और इस तरह रिज़र्व बैंक ने भूमिबन्धक बैंक को १.३३ करोड़ का ऋण दे रखा है ।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : विभिन्न भूमिबन्धक बैंकों द्वारा विभिन्न काश्तकारों को कुल कितना ऋण दिया गया है ?

श्री ए० सी० गुहा : यह सूचना मेरे पास नहीं है । भूमिबन्धक बैंकों के पास जो रुपया होगा वो काश्तकारों को ही दिया गया होगा, वरना उसे अपने पास रखे रहने देने से उन्हें क्या फायदा ।

श्री गांधी तथा अन्य कुछ सदस्यों ने ज़मानत के बारे में प्रश्न उठाया और कहा कि कार्य संचालन के लिये क्या व्यवस्था होगी। स्वयं विधेयक में यह उल्लिखित है कि कुटीर एवं छोटे उद्योगों के बारे में राज्य सहकारी बैंकों के जरिये काम होगा और जहां तक ज़मानत का सम्बन्ध है, हुंडियां आदि राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत होंगी । मेरे विचार में विधेयक में यह भी दिया गया है कि इन को अन्त में रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकृत कराना होगा । इस पर बाद में विचार होगा जब इस व्यवस्था को क्रियान्वित किया जायेगा और रिज़र्व बैंक को उचित जमानत प्राप्त होगी ।

फिर राज्य की प्रत्याभूति के बारे में कुछ बातें कही गई हैं । राज्य की प्रत्याभूति मध्य कालीन ऋणों के लिये ही है । रिज़र्व बैंक अथवा किसी भी केन्द्रीय संस्था के लिये यह संभव नहीं कि वह देश भर में इस बात पर निगरानी रखे कि मध्यकालीन ऋण किस प्रकार दिया जाता है और वसूल हो रहा है। इसलिये यह जरूरी है कि राज्य सरकार उसे प्रत्याभूत करे क्योंकि राज्य सरकार ही सहकारी बैंकों पर निगरानी रखती है और सहकारी बैंक राज्य सरकारों के अधीन कार्य करते हैं । मैं यह बता दूं कि सहकारिता राज्य विषय है, केन्द्रीय विषय नहीं । परन्तु फिर भी रिज़र्व बैंक ने इन सहकारी बैंकों पर निगरानी रखने के बारे में कुछ जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है और मैं समझता हूं वह उन बैंकों पर कुछ निगरानी और नियंत्रण रखेगा। सहकारी बैंक मूल काश्तकारों को दिये गये ऋण पर जो ब्याज लेते हैं, उस के बारे में यहां कल और कई बार पहले भी यह कहा गया है कि वे मूल काश्तकारों से बहुत अधिक ब्याज लेते हैं। इसीलिये रिज़र्व बैंक ने सहकारी बैंकों पर कुछ निगरानी रखने का काम अब अपने ऊपर लिया है । मैं आशा करता हू कि यह कठिनाई भी कुछ हद तक दूर हो जायेगी ।

श्री एस० एन० दास ने कहा कि रिज़र्व बैंक ने सहकारी बैंकों को कृषि कार्यों के लिये जो १२ करोड़ रुपया ऋण दिया है, उस में से अधिकतर रुपया मद्रास, बम्बई तथा अन्य दो राज्यों द्वारा ले लिया गया है । इस में रिज़र्व बैंक का या उन तीन या चार राज्य सरकारों का जो अन्य राज्य सरकारों के मुकाबिले में अधिक फायदा उठा रहे हैं, कोई

दोष नहीं । इस का कारण सिर्फ यही है कि अन्य राज्यों में सहकारिता आन्दोलन को उचित रूप से संगठित नहीं किया गया है, सहकारिता आन्दोलन को संगठित करना राज्य सरकार का कर्त्तव्य है । यदि राज्य सरकार ऐसा नहीं कर पाई है और यदि राज्य में सहकारिता आन्दोलन का संगठन नहीं हो पाया है तो इस में रिज़र्व बैंक का कोई दोष नहीं ।

श्री मुहीउद्दीन अहमद ने श्रौफ़ समिति का ज़िक्र किया । उन का कहना ठीक है कि भारत की औद्योगिक संस्थाओं को बैंकों द्वारा रुपया दिये जाने के प्रश्न पर श्रौफ़ समिति विचार करेगी । इस समय जो स्थिति है वह अधिक सन्तोषजनक नहीं है और इसीलिये रिज़र्व बैंक ने यह जांच शुरू की है । मैं समझता हूं कि श्रौफ समिति की ओर जो निर्देश किया गया है वह यह सिद्ध करता है कि रिज़र्व बैंक कृषि अथवा औद्योगिक क्षेत्र की आवश्यकताओं के प्रति उदासीन नहीं है ।

श्री त्रिपाठी ने अमरीका में जो कुछ हुआ है और भारत में जो कुछ किया गया है उस की तुलना की है । उन का सुझाव है कि भारत में फसलों का बीमा होना चाहिये । मैं उन्हें फिर से याद दिला दूं कि भारत में जो कृषि व्यवस्था है वह अमरीका की कृषि व्यवस्था से बिल्कुल भिन्न है । वहां कृषि बहुत बड़े पैमाने पर होती है जब कि हमारे यहां औसतन दो या तीन एकड़ से बड़ी जमीनों पर खेती नहीं होती । इसीलिये यहां भी उसी तरह की व्यवस्था लागू करना संभव नहीं ।

जहां तक बड़े नोटों या अधिक मूल्यों वाले नोटों का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं श्री चटर्जी ने यह कहा है कि मैं ने इस उपबन्ध को आवश्यकता से अधिक सरल दिखलाने का प्रयत्न किया है, ऐसी बात नहीं है । १३५ करोड़ रुपये के बड़े नोटों में से करीब करीब सब वापस आ गये हैं और रद्द कर दिये गये हैं । केवल १.२५ करोड़ रुपये के बड़े नोट नहीं आये हैं, हो सकता है कि इन में से कुछ को दीमक खा गई हो और कुछ को छिपा रखा हो । इस विधेयक के द्वारा, यद्यपि हम नये बड़े नोटों को जारी करने का उपबन्ध कर रहे हैं परन्तु हम उस अध्यादेश को निरसित नहीं कर रहे जिस के द्वारा १९४६ में बड़े नोटों का चालन बन्द कर दिया गया था । इस विधेयक के पारित होने से पहले जो नोट जारी किये गये थे उन का चलन अब भी बन्द रहेगा । माननीय सदस्य इस बात का सन्देह न करें कि पुराने नोटों को फिर से विधिमान्य बनाया जा रहा है और वह रुपया फिर चोर बाजार करने वालों की जेब में जायेगा । इस तरह का कोई डर नहीं होना चाहिये । नये नोट ही, जो इस विधेयक के पारित किये जाने के बाद जारी किये जायेंगे विधिमान्य होंगे और वे रिज़र्व बैंक द्वारा अधिकृत होंगे । यद्यपि कुछ सदस्यों ने बड़े नोटों के जारी किये जाने की आवश्यकता को स्वीकार किया है कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस बारे में सन्देह भी प्रकट किये हैं । जैसा मैं पहले बता चुका हूं, बहुत सी वाणिज्यिक संस्थाएं, व्यापार मंडल और बैंक सरकार से बड़े नोट जारी करने के बारे में बार बार कहते रहे हैं और यहां नये नोट, जो इस विधेयक के नये पारित होने के बाद जारी किये जायेंगे । विधि मान्य होंगे --पुराने नोट नहीं, जिन का चलन १९४६ के अध्यादेश द्वारा बन्द कर दिया गया था ।

मैं समझता हूं मैंने माननीय सदस्यों की सारी बातों का उत्तर दे दिया है ; मुझे आशा है कि सदन इस विधेयक को सहर्ष पारित करेगा ।

सभापति महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

खंड २— १९३४ के अधिनियम २ की धारा ८ का संशोधन

सभापति महोदय : प्रश्न है :

"कि खंड २ विधेयक का अंग बनाया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खंड ३—१९३४ के अधिनियम २ की धारा १७ का संशोधन

श्री ए० सी० गुहा : मुझे खंड ३ के बारे में दो संशोधन प्रस्तुत करने हैं । मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

(१) पृष्ठ २ पर पंक्ति १६ में, "advances" (अग्रिम धन) शब्द के पश्चात् "for agricultural purposes" (कृषि कार्यों के लिये) शब्द जोड़े जाएं ।

(२) पृष्ठ २ पर ३१ से ३९ तक की पंक्तियों के स्थान पर निम्नलिखित आदिष्ट किया जाये :

"(a) Repayable on demand or on the expiry of fixed periods not exceeding ninety days from the date of such loan or advance, against securities of the Central Government or of any State Government ; or

(b) repayable on the expiry of fixed periods not exceeding eighteen months from the date of such loan or advance, against securities of the Central Government of any maturity or against bonds and debentures issued by the said corporation and guaranteed by the Central Government and maturing within a period not exceeding eighteen months from the date of such loan or advance :"

["(क) केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार की प्रतिभतियों पर, मांगे जाने पर अथवा ऐसी निश्चित अवधियों की समाप्ति पर, जो इस ऋण या अग्रिम धन की तारीख से नव्वे दिन से अधिक न हो, पुनर्देय ; अथवा

(ख) केन्द्रीय सरकार की किसी परिपक्कता की प्रतिभूतियों पर, अथवा ऐसे बन्धपत्रों तथा ऋण-पत्रों पर जो उपरोक्त निगम द्वारा जारी किये गए हों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतियाभूत किये गये हों और ऐसे ऋण अथवा अग्रिम धन की तारीख से अट्ठारह महीने से अनधिक अवधि के अन्दर परिपक्क होने वाले हों, उन निश्चित अवधियों की समाप्ति पर, जो इस ऋण अथवा अग्रिम धन की तारीख से अट्ठारह महीने से अधिक न हों, पुनर्देय : "]

इन संशोधनों के सम्बन्ध में मैं दो शब्द कहूंगा । श्री बसु को यह डर था कि हम निम्नलिखित परन्तुक को हटा रहे हैं:

"परन्तु खंड (ख) के अन्तर्गत दिये गये ऋणों और अग्रिम धनों की राशि किसी समय भी कुल तीन करोड़ रुपये से अधिक नहीं बढ़ेगी ।"

हम ऐसा नहीं कर रहे हैं । मूल विधेयक की जो भाषा थी, यानी—"केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार की प्रतिभूतियों पर, मांगे जाने पर पुनर्देय. . . ." वह स्पष्ट नहीं थी । "पुनर्देय" शब्द किसी भी चीज को निदिष्ट कर सकता है और इस

लिये नई भाषा रखी गई है ताकि इसका अर्थ निकालने में कोई अस्पष्टता नहीं रहे ।

श्री वी० बी० गांधी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(१) पृष्ठ २ पर पंक्ति २७ में "aggregate" (कुल) शब्द के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाये :

"and that it shall not be utilised for other than agricultural purposes." "और उसका कृषि कार्यों के अलावा किसी भी कार्य में प्रयोग नहीं किया जायेगा ।"

(२) श्री गुहा द्वारा प्रस्तुत संशोधन में जो संख्या २ के रूप में छापा गया है । उप-धारा (ग) में *"and guaranteed by the Central Government and" (तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत किये गये हों और) शब्द हटा दिये जायें ।

यहां खंड ३ (ग) में हम राज्य सहकारी समितियों को ५ करोड़ रुपये तक का ऋण या अग्रिम धन देने का उपबन्ध करना सोच रहे हैं । परन्तु इस में जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि ये ऋण १५ महीने से लेकर ५ वर्ष की अवधियों तक के लिये होंगे । मैं अपना संशोधन इसलिये रख रहा हूं ताकि सहकारी समितियों को यह याद रहे कि इतनी लम्बी अवधियों के लिये जो यह बड़ी-बड़ी राशियां दी जाती हैं उनका केवल कृषि कार्यों के सम्बन्ध में ही प्रयोग हो । मैं आशा करता हूं कि सरकार इस संशोधन को स्वीकार करेगी ।

जहां तक मेरे दूसरे संशोधन का सम्बन्ध है मैं समझता हूं "तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत किये गये हों और"—ये शब्द अनावश्यक हैं क्योंकि औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम की धारा २१ में यह स्पष्ट रूप से दिया गया है कि निगम के बन्ध पत्र तथा ऋण-पत्र, मूलधन तथा व्याज को चुकाने के बारे में, केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत किये जायेंगे । इसलिये औद्योगिक वित्त निगम ऐसे कोई बन्ध पत्र तथा ऋण पत्र जारी नहीं कर सकता जो केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत न हों ।

श्री एन० बी० चौधरी (घाटल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि पृष्ठ २, पंक्ति २७ में—

"five" के स्थान पर "twenty-five" को आदिष्ट किया जाय ।

श्रीमान्, विधेयक का मुख्य उद्देश्य ऋण की सुविधाओं का बढ़ाना बताया गया है । अपने देश की ग्रामीण जनसंख्या को सामने रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति इस राशि को बहुत कम तथा अपर्याप्त समझेगा । यदि आप ऋण के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को ३५ रुपया भी दें तथा ऐसी व्यक्तियों की संख्या ३ करोड़ भी ली जाय तो भी १०० करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ेगी । क्या पंच वर्षीय योजना के काल में कृषि को इसी प्रकार से विकसित किया जायेगा ? कहा गया है कि राज्यों में भी ऐसे अभिकरण हैं जो ऋण सम्बन्धी सुविधाओं को देते हैं । परन्तु हमें वास्तविक अनुभव से पता है कि वे भी बहुत कम राशि को देते हैं । सहकारी बैंकों का भी उल्लेख किया गया है । उनके सम्बन्ध में होता यह है कि वे ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं के सदस्यों को अपनी भूमि गिरवी रखने के लिये कहते हैं । किसानों को इन संस्थाओं से ऋण पर रुपया बहुत

*मूल संशोधन की स्वीकृति को ध्यान में रखते हुए यह संशोधन अस्वीकृत समझा गया ।

[श्री एन० बी० चौधरी]

अधिक व्याज पर मिलता है। बिना ऋण के किसानों का काम नहीं चलता। परन्तु सरकार केवल ५ करोड़ रुपये की व्यवस्था कर रही है। इस पर इसमें पशु-पालन आदि कई बातों की व्यवस्था की गई है। अतएव किसानों को वस्तुतः मिलने वाला समय बहुत कम रह जाता है। सरकार द्वारा इस तुच्छ व्यवस्था का करना हास्य-जनक है।

सरकार राज्य सहकारी बैंको के ऋणों के सम्बन्ध में किसी प्रतिभूति की व्यवस्था नहीं करती है। किसानों को अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ती है। एक निश्चित काल में इन जमीनों को बेचा आदि नहीं जा सकता ऋण लौटाने का अधिक से अधिक समय पन्द्रह मास से लेकर पांच वर्ष तक रखा गया है। किसानों को ऋण की आवश्यकता बीज बोने के खास महीनों में होती है, परन्तु इन बैंकों को कितना ही समय लग जाता है।

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि पांच करोड़ रुपये की व्यवस्था बहुत थोड़ी है। मैंने २५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। यदि ग्राम्य ऋण ९०० करोड़ रुपये है तो ऋण देने के लिये २५ करोड़ की राशि को अधिक नहीं समझा जा सकता।

मैं आशा करता हूं कि माननीय उपमंत्री मेरे संशोधन पर सहानुभूति से विचार करेंगे तथा इसे स्वीकार करेंगे।

इसके पश्चात् सदन की बैठक मंगलवार, ८ दिसम्बर, १९५३ के डेढ़ बजे तक के लिए स्थगित हो गई।

G IPD—HS—583 PSD—9-7-54—285